खण्ड ६—अंक २६
२२ अगस्त, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे

१ शिलिंग (विदेश में)

218 L. S. D./56.

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

† *१२५४. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसकी इस समय क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रस्थापना के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) इसके बारे में अपने अपने विचार प्रकट करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा हुआ है । उनमें से अधिकांश सरकारों के उत्तर अभी तक नहीं आये हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस सेवा को कब समाप्त किया गया था और ऐसा करने के कारण क्या दिये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा ख्याल है कि १९२१ के बाद जब शिक्षा का काम प्रांतीय सरकारों को हस्तान्तरित किया गया था, उस समय उस सेवा को समाप्त कर दिया गया था । हाल ही में भारत सरकार नें कई योजनायें चलाई हैं और यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीतियों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विकसित करने में अखिल भारतीय सेवायें बड़ी भारी सहायक सिद्ध होंगी । राज्य पुनर्गठन आयोग नें भी यह सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार की अखिल भारतीय सेवायें स्थापित की जायें । उन्होंने विशेषकर अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का उल्लेख नहीं किया है । इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया गया है कि इस प्रकार की सेवा अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : गत सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि राज्य सरकारों से उनकी राय मांगी गई है । क्या उनमें से किसी पर सरकार ने अपनी राय भेजी है, और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अधिकांश राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्रस्थापना के पक्ष में नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

1—218— L. S./56

†**श्री ब० स० मूर्ति** : राज्य सरकारें किस आधार पर इसका विरोध कर रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्होंने किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया है। एक राज्य सरकार ने यह कहा है कि उसे इस समय शुरू करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि वे इस प्रस्थापना से सहमत नहीं हैं।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में भारतीय शिक्षा सेवा के कितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रस्थापना का अन्तिम रुप निर्धारित करने के बाद ही यह अनुमान लगाया जायेगा। उससे पहले प्राक्कलन तैयार करने का कोइ लाभ नहीं ।

दिल्ली में यातायात सम्बन्धी विनियम

† *१२५५. **श्री डाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री १५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में यातायात विनियमों का उल्लंघन करने वाले साइकिल चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये यहां भी बम्बई पुलिस अधिनियम के कुछ एक उपबन्ध लागू करने का विचार रखती है ; और

(ख) बम्बई पुलिस अधिनियम के कौन कौन से उपबन्ध दिल्ली में लागू करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). प्रस्थापना अभी विचाराधीन है।

†**श्री डाभी** : क्या अभी तक दिल्ली में साइकिलों पर दो और तीन व्यक्ति सवारी करते हैं ?

†**श्री दातार** : जी हां अभी तक ऐसा ही हो रहा है। इसलिये हम शीघ्रातिशीघ्र बम्बई पुलिस अधिनियम के उपबन्ध लागू करना चाहते हैं।

†**श्री डाभी** : पिछले चार महीनों में कितने व्यक्ति यातायात विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं ? उनमें से कितनों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया था और कितने सिद्ध दोष पाये गये हैं ?

†**श्री दातार** : सदस्य महोदय ने कुछ मास पहले जब यह प्रश्न पूछा था तो उस समय मैंने सभी आंकड़े दिये थे। मेरे पास और नये आंकड़े नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या साइकल चालक संबंधी ये विनियम परिवर्तित किये गये हैं या नहीं ?

†**श्री दातार** : सरकार इन साइकिल चालकों द्वारा किये जाने वाले उल्लंघनों के विरुद्ध कोई कठोर नियम लागू करना चाहती है। इसलिये वह इन सभी अनियमितताओं को रोकने के के लिये बम्बई पुलिस अधिनियम के उपबन्ध को लागू करने का विचार रखती है।

†**श्री मात्तन** : क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि रात को यात्रा करने वाले ९९ प्रतिशत साइकिल चालकों के पास रोशनी नहीं होती। और ऐसा पुलिस के सामने किया जाता है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कोई प्रबन्ध करेंगे ?

†**श्री दातार** : मैं ९९ प्रतिशत संख्या को तो स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं परन्तु हां इतना अवश्य स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, सरकार ऐसे सभी अपराधों को रोकने के लिये कोई प्रबन्ध करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कासलीवाल** : इन्हीं दोनों सरकार ने कई और मौन खंड भी बनाये हैं, क्या उनसे साइकिल दुर्घटनाओं में कोई वृद्धि हो गयी है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस बारे में स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या यातायात विनियम केवल साइकिल चालकों पर ही लागू होते हैं अथवा वे सामान्य यातायात पर भी लागू होते हैं ?

†**श्री दातार** : स्वाभावतः सभी प्रकार की यातायात पर जिसमें साईकल भी है ।

†**श्री अय्युणि** : साइकल चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कितनी दुर्घटना हुई हैं ?

†**श्री दातार** : मैंने सभा में एक बार आंकड़े दिये थे और यह बताया था कि दिल्ली की दुर्घटनाओं की संख्या बम्बई तथा कलकत्ता की अपेक्षा बहुत कम है ।

†**श्री मात्तन** : क्या उसमें अब सुधार हो गया है ?

†**श्री दातार** : जी, हां ।

भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण

*१२५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से भारत के भाषा संबंधी सर्वेक्षण की योजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके वित्तीय पहलू इत्यादि और मोटी रूप रेखा का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बीच उस दिशा में क्या प्रगति हुई है और कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) हां जी, यह निश्चय किया गया है कि इसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग इस विषय के महत्व को नहीं समझते और इसी वजह से इस को टाला जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : हमने यह योजना योजना आयोग को सौंप दी थी, और उसने यह राय दी है कि अभी वह अवसर नहीं है जब कि १६१.७ लाख रुपयों वाली इस व्यापक योजना को कार्यान्वित किया जाये । उसकी राय यह है कि इस योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर लिया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि कोई २५ लाख रुपये की रकम इस के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिये नियत की जा रही है । तो क्या २५ लाख रुपये की रकम भी समाप्त कर दी गई है और इस दिशा में कोई काम भी नहीं किया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि आगामी पंच वर्षीय योजना में इस काम को पूरा करने के लिये गवेषणा तथा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण आदि के निमित्त संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के लिये २५ लाख रुपये निर्धारित किये जायेंगे । मुझे आशा है कि इस मामले को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ले लेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस भाषा संबंधी सर्वेक्षण को कब प्रारम्भ किया जायेगा, क्या तुलु जैसी भाषाओं का भी सर्वेक्षण किया जायेगा जिनकी कोई लिपि नहीं है ।

†**डा० म० मो० दास** : यह भाषा संबंधी सर्वेक्षण लगभग ५० वर्ष पहले एक यूरोपीय सज्जन श्री ग्रियर्सन द्वारा प्रारम्भ किया गया था । परन्तु इस योजना के न्योरों को तैयार तथा स्वीकार न कर लिया जायेगा, मैं उसके बारे में उत्तर नहीं दे सकता ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

† * **१२५८. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी राष्ट्र जन, श्री कोम्पन्टसेव द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर लिखित निबन्ध की एक प्रति मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उससे भारत में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या उस विषय से संबंध रखने वाली पुस्तकों तथा अन्य पत्रों का परीक्षण करने के लिये किसी रूसी लेखक के भारत में आने की संभावना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं आई है ।

मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने २९ अक्टूबर, १९५५ को वैदेशिक कार्य मंत्रालय को बताया था कि रूस की विज्ञान-अकादमी की ओरियन्टल संस्था, १८५७-५९ के अखिल भारतीय आन्दोलन की शताब्दी के उपलक्ष में एक विशेष पुस्तक तैयार कर रही है, और इस संस्था ने भारतीय पुस्तकालयों में रखे हुए ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन करने के लिये और उनकी फिल्में लेने के लिये दो वैज्ञानिक कर्मचारियों को कुछ समय के लिये भारत भेजने का सुझाव भेजा है । हमने उसे स्वीकार कर लिया है । परन्तु उन रूसी विद्वानों में से अभी तक कोई भी नहीं भेजा गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या राज दूतावास के द्वारा जो निबन्ध प्राप्त हुआ था वह इस सज्जन श्री कोम्पन्टसेव का है, और क्या वही इसका लेखक है ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है । हमने उस सज्जन द्वारा लिखित निबन्ध के बारे में मास्को स्थित अपने राजदूतावास से पूछा है । रूसी सरकार ने हमें यह सूचना दी है कि वह व्यक्ति दिल्ली में रूसी दूतावास में है । और उसने यह उत्तर दिया है कि वह उस निबन्ध की एक प्रति अवश्य देगा, परन्तु उस प्रति पर फिर से विचार करने तथा उसके पुनर्वासन में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या रूस में स्थित हमारे राजदूतावास ने इस आशय की कोई पूछताछ की है कि क्या भारत से समाचार पत्र तथा अन्य पत्र एकत्रित किये गये थे और तब यह निबन्ध लिखी गयी थी ?

†**डा० म० मो० दास** : यह निबन्ध कैसे लिखा गया था इसके बारे में हमने कोई पूछताछ नहीं की है । परन्तु हम उसकी एक प्रति प्राप्त कर रहे हैं । यह भी विचार है कि उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रादेशिक मुद्रण स्कूल, दिल्ली

†*१२५९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २००९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मुद्रण के एक प्रादेशिक स्कूल के स्थापित करने की योजना का ब्योरा तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). दिल्ली पोलीटैक्नीक में एक मुद्रण स्कूल स्थापित करने की योजना के बारे में संस्था की योजना समिति द्वारा तैयार की जा रही है ।

क्योंकि उस स्कूल को द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में स्थापित करने का विचार है इस लिये इसमें देरी का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस प्रकार के स्कूल देश के अन्य भागों में भी स्थापित किये जायेंगे ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, हां । इस प्रकार का एक प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा गया था । हम इस प्रकार के स्कूल स्थापित कर रहे हैं और तीन तो स्थापित किये जा चुके हैं—कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में । एक और इलाहाबाद में स्थापित किया जायेगा ।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या यह संस्था एक अखिल भारतीय संस्था होगी ? क्या यहां के प्रशिक्षण से प्राप्त की गयी अर्हतायें अखिल भारतीय संस्थाओं की अर्हताओं के समान समझी जायेंगी या नहीं ?

†**डा० म० मो० दास** : हमारे पास इस प्रकार का कोई भी केन्द्रीय मुद्रण स्कूल नहीं है, परन्तु अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद ने इस प्रकार के कई स्कूल स्थापित करने की योजना तैयार की है । यह स्कूल भी उसी योजना के अनुसार स्थापित किया जायेगा, अतः अर्हतायें उसी स्तर की होंगी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : देश के विभिन्न भागों में बहुत से मुद्रण स्कूल हैं । इस स्कूल का उन स्कूल से क्या अन्तर होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं इस स्कूल का पाठ्यक्रम तो बता सकता हूं, परन्तु राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये स्कूलों के पाठ्यक्रम का मुझे ज्ञान नहीं है ।

गोआ से और गोआ में चोरी-छिपे माल लाना व ले जाना

†*१२६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कि सरकार द्वारा सीमा बन्द कर दी गई है गोआ से और गोआ में चोरी-छिपे आवश्यक वस्तुओं का लाना ले जाना अब भी जारी है ; और

(ख) यदि हां तो इस सिलसिले में अब तक कितने लोगों का पता लगा है और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां, यह सच है कि गोआ सीमान्त पर कुछ हद तक चोरी-छिपे माल का लाना ले जाना अब भी जारी है । किन्तु सरकार को उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि सीमा बन्द कर देने के बाद से इस प्रकार की चोरी-छिपे माल का लाना ले जाना काफी कम हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) ३० जून १९५६ तक चोरी छिपे माल लाते ले जाते हुए १८६० व्यक्ति पकड़े गये थे किन्तु उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी थी और कोई अभियोजना नही लगाया गया था।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कौन सी आवश्यक वस्तुओं को चोरी-छिपे लाया और ले जाया जाता है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : भारत से गोआ में चोरी-छिपे जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनमें अधिकांशत: चाय, तम्बाकू, मसाले, मवेशी, गुड़ और भारतीय मुद्रा होती है। गोआ से भारत में चोरी-छिपे जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनमें अधिकांशत: मद्य, सुपारी, सोना और विलास की कुछ वस्तुएं होती हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय संघ में आसपास के ऐसे कौन से स्थान हैं जहां चोरी-छिपे माल लाया ले जाया जाता है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : शब्द "आसपास के स्थान" का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आसपास के स्थान का तात्पर्य है आसपास के सब क्षेत्र।

†**श्री अ० चं० गुह** : समुद्र को शामिल करके।

ठेकों का दिया जाना

†*१२६२. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को ऐसी फर्मों का ठेका देने के बारे में कोई नया निर्देश दिया है जिनमें उनके लड़के, लड़कियां और अन्य आश्रित काम करते हैं ; और

(ख) यदि हां तो उक्त निर्देश किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४६**]

† **श्री गिडवानी** : नया निदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार** : पूर्ण सावधानी की दृष्टि से ऐसा किया गया है ताकि जो कार्य उचित रूप से भी किया जा रहा हो उसके औचित्य के बारे में कोई सन्देह न किया जा सके।

†**श्री गिडवानी** : क्या इससे पहले इन निदेशों का उल्लंघन किया गया है ?

†**श्री दातार** : उल्लंघन तो नहीं हुआ किन्तु प्रत्येक मामले में अनुमति मांगी गई थी।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस निदेश के अन्तर्गत जमाई आते हैं ?

†**श्री दातार** : हमने "आश्रित" शब्द का भी प्रयोग किया है उसमें जमाई सम्मिलित हैं। मैं माननीय सदस्य को कार्यालय ज्ञापन पढ़कर सुनाता हूं—जिसमें कोई पुत्र, पुत्री अथवा आश्रित काम करता है ....."

जमाई जब तक घर जमाई बन कर नहीं रहता तब तक उसे आश्रित कहना जरूरी नहीं है।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या इसका अर्थ यह है कि उन जमाइयों के मामले इस प्रतिषोधात्मक आदेश के अन्तर्गत नहीं आते हैं जो कि अपने ससुर के साथ नहीं रहते ?

†**श्री दातार** : यह तो निर्वचन पर निर्भर करता है। यदि किसी विशिष्ट मामले में यह पाया जाये कि किसी ससूर और दामाद अथवा पुत्री के बीच साधारण से गहरे संबंध हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वेलायुधन उठे .....**

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का कोई दामाद है ?

†**श्री वेलायुधन** : मेरा एक लड़का है। क्या ऐसी फर्मों पर यह आदेश लागू होता है जिनमें किसी पदाधिकारी के पुत्र अथवा पोते अथवा किसी मंत्री के पुत्र अथवा जमाई संपर्क पदाधिकारी के पद पर कार्य करते हों और प्रविधिक रूप से जिन्हें फर्म से कोई वेतन प्राप्त नहीं होता ?

†**श्री दातार** : जब ऐसे मामले उत्पन्न होंगे, तो सरकार निश्चय ही इस बात पर विचार करेगी कि यह नियम उन पर लागू होते हैं अथवा नहीं ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निश्चित करना

*१२६३. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ अगस्त, १९५२ को बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की एक बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-रेखा निश्चित किये जाने के संबंध में कोई निश्चय किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सरकारों ने उक्त सीमा निश्चित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा था ; और

(ग) यदि हां तो भारत सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रा० न० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमिटी (समिति) का चैयरमैन (सभापति) कौन है तथा कौन कौन से इसके मैम्बर (सदस्य) हैं ?

श्री दातार : यह किसी समिति की स्थापना का प्रश्न नहीं है। बाढ़ आ जाने के कारण नदी ने जो प्रवाह चेंज (बदला) किया है, यह उसके बारे में प्रश्न है।

श्री रा० न० सिंह : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री दातार : यह प्रश्न १९५२ से विचाराधीन है और थोड़े ही महीनों में इसका फैसला हो जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस प्रश्न पर विचार करते समय केवल गंगा नदी के प्रवाह के इधर उधर होने वाली जमीन पर ही ध्यान दिया जाएगा।

†**श्री दातार** : सरकार को कई बातों पर विचार करना होगा। ऐसी दो नदियां हैं जिनके प्रवाह बदलते रहते हैं और इसलिये लोगों की इच्छा जानना आवश्यक हो गया है और इसके बाद पूरे मामले का अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह मामला सरकार के समक्ष १९५० से है और एक समिति नियुक्त की गयी थी किन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। लोगों की इच्छा किस प्रकार ज्ञात की जायेगी और कर्मनासा नदी के पूर्व में जो क्षेत्र है क्या उसको ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि इसे सीमा संबंधी विवाद समझा जाना जरूरी नहीं है। बाढ़ का अथवा नदियों का प्रवाह स्वाभाविक तथा बदल जाने के परिणाम स्वरूप होने वाले सीमाओं के उचित निर्धारण का यह एक प्रश्न है। अभी हाल तक यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के विचाराधीन था। उन्होंने हाल ही में भारत सरकार से इस प्रश्न को हल करने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

का तरीका खोजने के लिये अनुरोध किया है। मौजूदा स्थिति ज्ञात करने के लिये सरकार एक अधिकारी को भेजेगी और बाद में राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें अथवा परामर्श देगी और वह इस मामले को अन्तिम रूप से हल करेगी ।

† **डा० राम सुभग सिंह** : इस बात को देखते हुए कि नदी के दोनों तरफ काफी खून हो रहे हैं क्या सरकार इस मामले के बारे में शीघ्रता करेगी और इन दोंनों राज्य सरकारों के मामले को अविलम्ब निबटाने के लिये निर्देश देगी ?

† **श्री दातार** : जहां तक भारत सरकार का संबंध है, राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये वह सदा तत्पर रहती है मामले के बारे में शीघ्रता की जायेगी। सरकार द्वारा १८८८ में जो निर्णय किये गये थे उन्हें देखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। परिवर्तन किस हद तक आवश्यक है यही बात विचाराधीन है।

श्री रा० न० सिंह : जिस प्रान्त में रेवेन्यू (राजस्व) वसूल होता है, उसके अन्दर आने वाले क्षेत्र में होने वाले फौजदारी मामलों को क्या उसी प्रान्त में देखे जाने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध करेगी ?

†**श्री दातार** : न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर भी विचार किया जायेगा ।

राज भाषा आयोग

† *१२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां। आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया ह और विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिवेदन सर्वसम्मत है अथवा उसमें कोई विमति टिप्पणियां भी हैं और यदि हां तो वह कितनी हैं ?

†**श्री दातार** : इस अवस्था में मैं और कोई जानकारी नही देना चाहूंगा। माननीय सदस्य कृपा कर थोड़े समय के लिये प्रतीक्षा करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रतिवेदन के संबंध में कार्यवाही करने का तरीका क्या है ? क्या प्रतिवेदन की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी अथवा उन्हें राज्य सरकारों को उनकी रायें जानने के लिये भेजा जायेगा और उसके बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न के बारे में कार्यवाही करने के दो—संभवतः—वैकल्पिक तरीके हैं : एक तो यह है कि प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद ३४४(४) के अनुसार गठित की जाने वाली संसदीय समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये; दूसरा यह है कि प्रतिवेदन को अभी प्रकाशित कर दिया जाये और बाद में उसको संसदीय समिति को निर्दिष्ट किया जाये। सरकार इन मामलों पर विचार कर रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा तथा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : शीघ्रातिशीघ्र।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा है कि इस रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के संबंध में दो प्रकार से विचार किया जा सकता है—वह पहले प्रकाशित कर दी जाय और फिर उसके बारे में संसद् की एक कमेटी (समिति) बनाई जाय या पहले एक कमेटी बना दी जाय और फिर उसको प्रकाशित किया जाय। जहां तक लोक-सभा का ताल्लुक है, उसके चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और अब उसका सिर्फ एक ही अधिवेशन नवम्बर में होगा। क्या इस बात की आशा की जा सकती है कि वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित कर दी जाय और इसी अधिवेशन में संसद् की एक कमेटी बना दी जाय, जिससे अगले अधिवेशन में कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा सके ?

श्री दातार : गवर्नमेंट इस प्रश्न के दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है।

सेठ गोविन्द दास : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आशा की जा सकती है कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो कमेटी बनने वाली है, वह इसी अधिवेशनमें बना जाय, जिससे अगले अधिवेशन में कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा सके।

श्री दातार : ज्यादा से ज्यादा जल्दी इस पार्लियामेंटरी कमेटी (संसदीय समिति) की नियुक्ति की जायगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : जब इस प्रतिवेदन को कमेटी के सम्मुख रखा जाना है, तो अब सरकार कौन कौन सी बातों पर विचार कर रही है ?

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर अभी रखा जाये अथवा इसे गठित की जाने वाली संसदीय समिति को प्रस्तुत किया जाये और प्रतिवेदन को उक्त समिति की सिफारिशों के साथ सभा पटल पर रखा जाये। यही बात विचाराधीन है।

†**श्री बूवराघ स्वामी** : उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके सदस्यों ने हिन्दी को राज भाषा बनाये जाने के बारे में आपत्ति की है ?

†**श्री दातार** : जिस प्रश्न का उत्तर मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं देना चाहता उसका उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दे सकता।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ पदाधिकारियों को इस संबंध में रूस भेजा है ताकि वे इस बात की जांच करें कि इस बड़े मिले जुले राज्य में रूसी राजभाषा के रूप में कैसे चलती है और यदि हां तो किन पदाधिकारियों को भेजा गया है ?

†**श्री दातार** : यह पहले की बात है, हाल की नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : नहीं नहीं, अभी की है।

†**श्री दातार** : मेरा ख्याल है कि आयोग ने स्वयं अपने सचिव को रूस भेजा था और वह वापिस भी आ गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग ने सारे देश का दौरा करके साक्ष्य लिया था, क्या उस साक्ष्य को भी प्रतिवेदन के साथ प्रकाशित किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सारे मामले पर विचार किया जायेगा। प्रतिवेदन पर और आवश्यक हुआ तो साक्ष्य पर भी विचार किया जायेगा। सारा मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता था कि संविधान के नियम के अनुसार इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट (एकल संक्रमणीय मत) से जो कमेटी चुनी जायेगी, क्या इस अधिवेशन में वह कमेटी बनाई जाने की आशा है जिससे उस कमेटी की रिपोर्ट लोक-सभा के अगले अधिवेशन में आ जाये।

श्री दातार : मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी यह कमेटी नियुक्त की जायेगी।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

†*१२६७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के लिये सामग्री एकत्रित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है (व्यय के मुख्य वितरण सहित) ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १८८४ तक की पहली अवधि से सम्बन्धित लगभग सभी सामग्री एकत्रित की गयी है और उसकी सूची तैयार कर ली गई है। १९१९ तक की अवधि से संबंधित सामग्री एकत्रित की जा रही है और सितम्बर, १९५६ तक यह सामग्री इकट्ठी हो जायेगी और तृतीय अवधि अर्थात् १९४७ तक की सामग्री दिसम्बर, १९५६ तक इकट्ठी कर ली जायेगी।

(ख)

(१)	स्थापना पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन सहित	२,७२,१५०–१०–० रुपये
(२)	भत्ते आदि कार्यालय व्यय . . .	९७,१५८–१४–६ रुपये
(३)	सामग्री का संग्रहण	३५,२४७–११–९ रुपये
	कुल	४,०४,५५७– ४–३ रुपये

†**श्री मादिया गौडा** : क्या विभिन्न राज्यों से सामग्री प्राप्त करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां तो किस अभिकरण द्वारा और सामग्री किस प्रकार एकत्रित की जा रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : जब सम्पादकों का बोर्ड बना था तो उसने स्वयं विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिये राज्य समितियां गठित करने की प्रार्थना की थी। अब संभवत: त्रिपुरा को छोड़ कर, शेष सभी राज्यों ने राज्य समितियां स्थापित कर दी हैं। जब बोर्ड विघटित किया गया था तब भारत सरकार के प्रान्तीय सरकारों से कहा था कि राज्य समितियां जारी रखी जायें और वे अपना कार्य अब भी कर रही हैं।

†**श्री मादिया गौडा** : स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का अनुमानित व्यय क्या है ? . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री जयपाल सिंह को पुकार रहा हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रश्न के भाग (क) के संबंध में, क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष श्री डब्ल्यू० सी० बैनर्जी की सन्तान के पास जो सामग्री थी, वह सरकार को उपलब्ध हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : कई हजार पृष्ठ सामग्री एकत्रित कर ली गई है। किसी विशिष्ट बात के बारे में जानकारी देने में मैं असमर्थ हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या पहले भाग को, जिसका संकलन किया जा चुका है, लिखने के लिये किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है और यदि हां, तो उस सज्जन का नाम क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : सभी सामग्री एकत्र हो जाने के बाद इतिहास लिखने का काम शुरू किया जायेगा ।

†**श्री क० कु० बसु** : सभी भागों का ?

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस संबंध में सामग्री एकत्रित की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी सामग्री—देश के स्वतंत्र होने तककी सामग्री—कब तक इकट्ठी होने की आशा है और इस पुस्तक के कब तक प्रकाशित हो जाने की आशा की जा सकती है ।

†**डा० म० मो० दास** : श्रीमान्, मैंने यह कहा है कि अंग्रेजों के सर्व प्रथम आधिपत्य के प्रारम्भ से १९४७ तक के काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है । पहला काल अंग्रेजों के सर्व प्रथम आधिपत्य से १८८४ तक—जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, दूसरा काल १८८५ से १९१६ तक—इस क्षेत्र में गांधीजी के आने तक और तीसरा काल १९१६ से १९४७ तक जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की । जहां तक पहले भाग की जानकारी एकत्र करने का संबंध है, हमने यह काम समाप्त कर लिया है । अब भी एक या दो राज्यों से एक जानकारी प्राप्त हो रही है किन्तु सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि प्रथम काल के संबंध में जानकारी एकत्रित करने का कार्य हमने पूरा कर लिया है । जहां तक दूसरे काल का संबंध है हम आशा करते हैं कि सितम्बर, १९५६ के अन्त तक सामग्री एकत्र करने का कार्य समाप्त हो जायेगा । जहां तक तीसरे काल का संबंध है हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक अर्थात् ३१ दिसम्बर तक हम कार्य समाप्त कर देंगे ।

†**सेठ गोविन्द दास** : प्रकाशन कब होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : सामग्री एकत्र करने के कार्य को पूरा कर लेने के बाद सरकार इतिहास लिखने के बारे में कार्यवाही करेगी ।

†**सेठ गोविन्द दास** : कब तक ?

†**डा० म० मो० दास** : अन्त में ।

†**श्री मादिया गौडा** : इतिहास सर्व प्रथम किस भाषा में लिखा जायेगा और मुद्रण कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक मुझे ज्ञात है, इतिहास पहले अंग्रेजी में लिखा जायेगा किन्तु मैं यह निश्चित तौर पर नहीं कह रहा हूं ।

सेठ गोविन्द दास : और वह हिन्दी में कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : माननीय सदस्य को मैं आश्वासन दे दूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मैं आशा करता हूं कि बाद में उसका अनुवाद हिन्दी में ही नहीं वरन् अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में किया जायेगा । सारे देश की उसमें दिलचस्पी है ।

सेठ गोविन्द दास : मूल तो हिन्दी में होनी चाहिये ।

निर्वाचन नामावलियां

*१२६९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत में जो निर्वाचक नामावलियां बनी हुई हैं उनमें बहुत सी अशुद्धियां हैं जैसे कि पति का नाम पुत्र के साथ स्थान पर दिखाया गया है और इसी प्रकार स्त्री का नाम माता के स्थान पर, और नामों में भी बहुत सी अशुद्धियां हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) आगामी सामान्य निर्वाचनों में निर्वाचक नामावलियों में संशोधन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ग) क्या यह सच है कि नये नामों को दर्ज करने और वर्तमान नामावलियों में संशोधन करने के लिये मतदाताओं को पदाधिकारियों द्वारा सरकारी दफ्तरों में बुलाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक हानि होती है और उनका समय भी नष्ट हो जाता है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) जहां तहां इस प्रकार की चन्द एक भूलें जरूर हो गयी हैं, किन्तु यह कहना कि ऐसी अशुद्धियां बहुत बड़ी संख्या में की गई हैं ठीक नहीं है।

(ख) निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस वर्ष निर्वाचन नामावलियां ठीक तरह से तैयार की जा रही हैं, विशेष कार्यवाही कर चुका है, विशेषतया इसलिये जब कि आगामी साधारण निर्वाचन इन्हीं नामावलियों के आधार पर होगा, इस बारे में जो महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की जा चुकी हैं, उन में से कुछ एक इस प्रकार हैं:—

निर्वाचन नामावलियों के विस्तारपूर्वक दुहराने के लिये एक सामान्य स्कीम अपनाई गई थी जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में पांच वर्ष की अवधि के दौरान में हर एक निर्वाचन क्षेत्र की नामावलि प्रत्येक के घर जा कर कम से कम एक बार विस्तार पूर्वक दोहराई जा चुकी है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखते हुए कि लोग दावों और आपत्तियों की खानापुरी किये बिना ही अपने आप को मतदाताओं के रूप में दर्ज करा सकें अनौपचारिक रूप में निर्वाचन नियम १९५३ प्रकाशित किये गये थे, ताकि पात्र व्यक्ति जिनके नाम दर्ज नहीं थे, वह इन लुप्तियों (चूकों) की जरूरी तसदीक करने के पश्चात मसौदा निर्वाचन नामावलि में दर्ज कराने के लिये निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी को सूचना दे सकें। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की नियत कालावधि २ से ३ सप्ताह तक जितनी सम्भव हो सकती थी, बढ़ाई जा चुकी है। फिर भी जहां तक सम्भव है, निर्वाचन नामावलियां तैयार करने के लिये राजनीतिक दलों की सहायता मांगी और इस्तेमाल की जा चुकी है।

(ग) जिस बात की ओर निर्देश किया गया है वह स्पष्टतः उन व्यक्तियों के, जिन्होंने दावे और आपत्तियां फाइल की हैं, पुनरीक्षक प्रधिकारियों के सामने उपस्थित होने के संबंध में है। ऐसे व्यक्तियों को जब कभी पुनरीक्षक प्राधिकारी ऐसी उपस्थिति आवश्यक समझते हैं, उन के सामने आवश्यक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। पुनरीक्षक प्राधिकारी प्रायः न्यायिक, पदाधिकारी या वरिष्ठ कार्यपालक पदाधिकारी हैं जो अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त पुनरीक्षक प्राधिकारियों के कर्तव्य पूरे करते हैं। इसलिये ऐसे दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिये ऐसे प्राधिकारियों का प्रत्येक घर पर जाना, अन्य कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यावहारिक नहीं है। निचले स्तर के पदाधिकारियों को यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जा सकता।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि प्रधान निर्वाचन आयुक्त, श्री सुकुमार सेनने अभी हाल में चंडीगढ़ में एक वक्तव्य दिया है कि ३० अगस्त को राजधानी में सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुला रहे हैं, और यदि हां, तो क्या उस सम्मेलन में निर्वाचक नामावलियों के महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा की जायगी ?

†**श्री विश्वास** : मैंने वह वक्तव्य पढ़ा है किन्तु निर्वाचक आयुक्त वास्तव में क्या करने जा रहे हैं यह मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उस विशिष्ट विषय पर कोई पूछताछ नहीं की है। किन्तु मैं यह समझता हूं कि निर्वाचन आयोग प्रत्येक विषय में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों से सहायता लेने के लिये सदा चिन्तित रहता है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछली बार कुछ संसद् सदस्यों के नाम रह गये थे क्या सरकार ध्यान रखेगी कि इस बार किसी संसद् सदस्य का नाम न रह जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री विश्वास** : सरकार ध्यान रखेगी कि जहां तक संभव हो, चाहे वह संसद् सदस्य हो या न हो, किसी व्यक्ति का नाम न रह जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम यह समझें कि किसी का नाम वहां न होगा ?

†**श्री कासलीवाल** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये निर्वाचक नामावलियां प्रति वर्ष तैयार की जाती ह और कुछ न्यायाधिकरणों के समक्ष कुछ पुरानी निर्वाचक नामावलियां के बारे में आपत्ति उठाई गयी है और न्यायाधिकरणों ने यह कहा है कि सबसे नयी और चालू निर्वाचक नामावलियां ही मान्य होंगी, क्या सरकार ने पुरानी निर्वाचक नामावलियां रद्द करने और केवल चालू निर्वाचक नामावलियों को ही मान्य समझने के लिये निर्वाचन पदाधिकारियों को निदेश जारी किये हैं ?

†**श्री विश्वास** : जब कभी नयी निर्वाचन नामावलि तैयार की जाती है, वही लागू होती है और पहले की नामावलियां अपने आप रद्द हो जाती हैं ।

†**श्रीमती अ० काले** : गत निर्वाचनों के समय, बिहार की लाखों महिला मतदाताओं के नाम गलत लिखे जाने की गलती के कारण उन्हें नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया गया था । अब उनका क्या हुआ है और क्या कम से कम इस समय उनका नाम मतदाताओं की सूची में लिखा जायेगा ?

†**श्री विश्वास** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मालूम होता है कि पिछले समय बिहार में कई महिलाओं के नाम छूट गये थे । माननीय सदस्या जानना चहाते है कि क्या इस वर्ष उनका नाम शामिल करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री विश्वास** : केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी नाम संभवत: छूट गये हों । किन्तु जहां कहीं इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, तो वह इन त्रुटियों को दूर करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

बहुत से माननीय सदस्य उठे –

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को निश्चय ही इसमें दिलचस्पी है कि निर्वाचन नामावलियां सचित रूप से तैयार की जायें । अत: माननीय सदस्यों को मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि उन्हें कोई कठिनाई या अनियमता मालूम होती है तो वे माननीय विधि मंत्री को अपने नोट भेज सकते हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उन अभ्यावेदनों की ओर उचित ध्यान देने के लिये निर्वाचन आयोग से कहेंगे ।

त्रावनकोर-कोचीन विश्वविद्यालय के अध्यापक

†*१२७०. **श्री मात्तन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन क्रमों को संशोधित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रस्थापनाएं अभी तक क्यों कार्यान्वित नहीं की गयी हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : त्रावनकोर-कोचीन सरकार अभी उस विषय पर विचार कर रही है ।

†**श्री मात्तन** : माननीय उपमंत्री ने त्रावनकोर-कोचीन आयव्ययक पर वाद-विवाद के दौरान में कहा था कि इन प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जायगी । क्या कार्यवाही की गयी है और क्या अड़चनें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार पहले ही कुछ कार्यवाही कर चुकी है। हमने सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को नये वेतन क्रम लागू करने के लिये लिखा है। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली में १-४-१९५६ से नये वेतन क्रम लागू किये जा चुके हैं। मद्रास, कर्नाटक और राजपूताना के विश्वविद्यालयों ने हमें लिखा है कि चूंकि २० प्रतिशत लागत वे उठाने के लिये तैयार हैं इसलिये वे अनुमोदित वेतनक्रम लागू कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने त्रावनकोर-कोचीन का उल्लेख किया था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : त्रावनकोर-कोचीन के संबंध में स्थिति यह है कि संशोधित वेतन क्रम लागू करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने में सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां हैं। उसने हमें लिखा है कि प्रस्थापित संशोधित वेतन क्रमों से सरकारी सेवाओं के संपूर्ण वेतन-ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा और उसे यह जांच करना होगा कि संपूर्ण राज्य के कोष पर इन प्रस्थापनाओं का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। उसी दृष्टिकोण से वह अभी तक प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है। उसनें कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

†**श्री मात्तन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्रावनकोर विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सब से कम वेतन मिल रहा है और अन्य सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना से लाभ हुआ है, क्या मंत्री इस ओर ध्यान देंगे कि यह योजना त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा यथाशीघ्र कार्यान्वित की जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अत्यधिक चिन्तित है कि संशोधित वेतनक्रमों की प्रस्थापनाएं सारे देश में कार्यान्वित की जायें और इसलिये हम प्रत्येक संभव प्रयत्न करेंगे। किन्तु राज्य सरकारों के सामने कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हम समझते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : मंत्री महोदय की यह बात सुन कर कि योजना कार्यान्वित करने में कुछ वित्तीय कठिनाई है, क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी है और क्या विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने यह मांग की है कि अन्तरिम वेतन क्रम तुरन्त लागू किये जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को लिख दिया है कि अतिरिक्त व्यय का ८० प्रतिशत वह उठायेगा किन्तु इस शर्त पर कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय शेष २० प्रतिशत खर्च उठाने के लिये तैयार हों। अब यह राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों पर निर्भर है कि वे अपना हिस्सा पूरा करें।

†**श्री पुन्नूस** : अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को जो वेतन मिलता है उसकी तुलना में त्रावनकोर-कोचीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों को प्राप्त वेतन क्रमों की कुछ जानकारी क्या हमें मिल सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह एक लंबी सूची होगी। इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो वे मंत्री महोदय को लिखें और वे आंकड़े प्राप्त कर ले।

†**श्री अच्युतन्** : माननीय मंत्री ने कहा कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। क्या उन वेतन क्रमों को लागू करने से पहले अन्य राज्यों ने भी इस तरह की कोई बात कही थी या अकेले त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ही यह बात कही थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य का उत्तर भिन्न भिन्न है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित कर दिया है और कुछ राज्य इस विषय पर विचार कर रहे हैं। त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने उत्तर दिया है कि उसकी कुछ विशिष्ट कठिनाइयां हैं।

†**श्री मास्तन** : क्या माननीय उपमंत्री को मालूम है कि त्रावनकोर-कोचीन की पिछली कांग्रेस सरकारने इस वर्ष अप्रैल से उस वेतन क्रम को लागू करने का निश्चय किया था, और यदि हां, तो क्या वह राष्ट्रपति शासन से कहेंगे कि वे तुरन्त लागू किया जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने कहा है, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगोंके प्रती मेरी सबसें अधिक सहानुभूती है। भारत सरकार और विश्वाविद्यालय अनूदान आयोग यथा संभव सब कुछ कर रहे हैं किन्तु माननीय सदस्य को मानना होगा कि स्थानीय सरकार की कुछ कठिनाइयां हैं।

चोरी छिपे लाया गया सोना और जवाहरात

†***१२७१. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी छिपे लाया गये सोने और जवाहरात की तलाशी में सीमा शुल्क और पुलिस पदाधिकारियों ने ४ जुलाई, १९५६ को कुछ घरों और दफ्तरों पर छापा मारा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं या जवाहरात बरामद हुए हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). सीमा शुल्क और आयकर विभागों के पदाधिकारियों ने ४ जुलाई को कुछ घरों में तलाशी ली थी किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह खासकर चोरी छिपे माल लाये गये सोने, जेवरात आदि के संबंध में थी। बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं और कुछ प्रलेख जब्त कर लिये गये हैं।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : किन किन जगहों पर छापा मारा गया था ?

†**श्री अ० चं० गुह** : हरिसन रोड पर एक मकान पर और कार्नवालिस स्ट्रीट पर एक मकान पर छापा मारा गया था।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या कोई कार्यवाही की गयी थी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं और कुछ प्रलेख जब्त कर लिये गये थे। उनकी परीक्षा करनी होगी और तब कार्यवाही की जायगी।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या मेसर्ज सूरजमल और नागरमल के मकान पर भी छापा मारा गया था ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैंने बताया है कि हरिसन रोड पर एक मकान की और कार्नवालिस स्ट्रीट पर एक मकान की तलाशी ली गयी थी। वे मकान किसी के भी हो सकते हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : माननीय मंत्री ने कहा है कि चोरी छिपे लाई गई कुछ वस्तुएं और प्रलेख जब्त कर लिये गये थे। क्या संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, क्योंकि भविष्य में अभियोग चलाने के लिये आवश्यक साक्ष्य में वे संभवतः कुछ गड़बड़ी करें।

†**श्री अ० चं० गुह** : सभी आवश्यक प्रलेख उन मकानों से बाहर ले जाये गये हैं। अतः साक्ष्य में गड़बड़ी करने का कोई प्रश्न नहीं है। जब तक कोई हस्तक्षेप अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या अफीम भी वहां पायी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज पायी गयी थी।

तेल की खोज

†*१२७२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने वहां तेल की खोज के नवीनतम तरीकों का अध्ययन करने के लिये भारत से मंत्री महोदय और विशेषज्ञों को कनाडा आने के लिये आमंत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां। यह विषय विचाराधीन है किन्तु इसका उद्देश्य तेल की खोज के तरीकों का अध्ययन नहीं बल्कि तेल और खनिज पदार्थ विकास कार्यक्रम का संगठन और कार्य देखना तथा तेल प्रौद्योगिक की अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श करना है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह कनाडा कब जायेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह विषय अभी विचाराधीन है।

†**श्री क० प्र० त्रिपाठी** : क्या विशेषज्ञ विदेशी राष्ट्र जनों या भारतीय राष्ट्र जनों में से चुने जायेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : विशेषज्ञ किसलिये ?

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : तेल विशेषज्ञ जिन्हें आप भेज रहे हैं। मंत्री और कुछ विशेषज्ञ जा रहे हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार के विचाराधीन विषय यह है कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के कुछ पदाधिकारियों और प्रविधिज्ञों को, जो कि विदेशी नहीं भारतीय ही होंगे, इन चीजों का अध्ययन करने के लिये मंत्री के साथ भेजा जाये।

†**श्री वेलायुधन** : क्या हमारे देश में रूमानिया और रूस से कोई तेल खोजने वाले विशेषज्ञ हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इसका इस प्रश्न से क्या संबंध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न कनाडा से संबंधित है।

†**श्री वेलायुधन** : मैं यह पूछता हूं कि क्या रूस और रूमानिया जैसे किसी अन्य देश से कोई तेल खोजने वाले विशेषज्ञ भारत में हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अनेक विदेशी हैं जो तेल की स्थिति का परीक्षण कर रहे हैं और अपने तरीके से परामर्श दे रहे हैं, इनमें अमेरिकी, कनेडियन, रूमानियन और रूसी सम्मिलित हैं।

सेफ डिपाजिट वॉल्ट

†*१२७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) इस समय किन किन स्थानों और समवायों में सेफ़ डिपाजिट वाल्ट रखे जाते हैं ; और

(ख) ये वाल्ट किन किन स्थानों पर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). भारत के रक्षित बैंक को बैंकों द्वारा रखे गये सेफ़ डिपाजिट वाल्टों के संबंध में कोई आवधिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती। तथापि भारत के रक्षित बैंक द्वारा इकट्ठे किये गये अन्तिम आंकड़ों के अनुसार पर (१) वाणिज्य बैंकों और (२) सहकारी बैंकों के संबंध में ३० सितम्बर, १९५३ तक की जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४७**]। गैर-बैंक समवायों के संबंध में, उनके द्वारा रखे गये सेफ़ डिपाजिट वाल्टों के विषय में कोई जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा इस तरह की डिपाजिट्स की जांच करने का अधिकार है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं प्रश्न नहीं समझा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आयकर पदाधिकारियों द्वारा ऐसी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जो लोग इन्कम टैक्स से बचने के लिये सेफ डिपाजिट्स में अपना रुपया रखते हैं तो क्या इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा इस तरह की डिपाजिट्स की जांच करने की कोई व्यवस्था है या होने वाली है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं नहीं समझता कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है कि आयकर का अपवंचन करने के लिये सेफ डिपाजिट वाल्टों का प्रयोग किया जा रहा है। आयकर पदाधिकारी निश्चय ही ऐसी बात पर ध्यान देते हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : सेफ डिपाजिट वाल्टों की स्थापना पर नियंत्रण रखने के लिये विधि या नियम बनाने की प्रस्थापना का क्या हुआ है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : कुछ समय पहले मैंने इस सभा को बताया था कि हमने इस विषय पर पूरा विचार किया है, इस विषय के संबंध में कोई विधि बनाना आवश्यक नहीं समझा गया।

प्राथमिक शिक्षा

†*१२७५. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के संबंध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी विशिष्ट समितियां हैं या सर्वेक्षण किये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४८**]

†**श्री नि० बि० चौधरी** : १९३८ से इस प्रश्न पर पांच समितियों ने विचार किया है। उन समितियों की जांच और सर्वेक्षणों के आधार पर क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नया रूप देने और सुविधाएं बढ़ाने के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, इसकी विस्तृत योजना केवल हमारी पंच वर्षीय योजनाओं में पाई जा सकती है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या सरकार ने ऐसा कोई प्राक्कलन तैयार किया है कि संविधान के अनुच्छेद ४५ के अन्तर्गत, निश्चित अवधि में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जारी करने में कितना व्यय होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कठिनाई यह है कि प्राक्कलन समय समय पर तैयार किये गये हैं। उदाहरण के लिये, भारत में शिक्षा के विकास के लिये अर्थोपाय संबंधी समिति ने इस के वित्तीय पहलू पर विचार किया था। सार्जेन्ट समिति ने वित्त के सारे प्रश्न पर विचार किया था किन्तु प्राक्कलन समयानुसार भिन्न भिन्न होते हैं। नवीनतम प्राक्कलन अगली पंच वर्षीय योजना में मिल सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वेलायुधन** : प्राथमिकता शिक्षा के संबंध में पांच से अधिक समितियां नियुक्त की गई हैं । क्या वे सब प्राथमिकता शिक्षा जारी करने में आर्थिक कठिनाई के कारण ही बनाई गई थीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन समितियों ने इस प्रश्न के विभिन्न पहलूओं पर विचार किया था । सरकार को समय समय पर स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है और समस्या को हल करना होता है । अंतिम समिति बुनियादी शिक्षा जांच समिति थी जिसने बुनियादी शिक्षा की प्रगति के सार प्रश्न पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या सरकार ऐसा प्राक्कलन तयार करने के लिये कोई और समिति या आयोग बनाना चाहती है कि संविधान के अनुसार, अनिवार्य शिक्षा जारी करने के लिये कितना व्यय होगा और प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की सेवा की शर्तें क्या होंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का निकट भविष्य में ऐसा कोई विचार नहीं है । विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा जो प्रस्ताव और सिफारिशें की गई हैं उन्हें क्रियान्वित करने का मख्य प्रश्न ही अभी सरकार के सम्मुख है ।

शारीरिक शिक्षा

†***१२७८. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में देश में शारीरिक शिक्षा-विकास के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन, विस्तृत शारीरिक शिक्षा के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिये एक उपसमिति बनाई गई है और इसकी रिपोर्ट सितम्बर में प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक शारीरिक शिक्षा का संबंध है, क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस देश में भिन्न संस्थायें यह शिक्षा अलग अलग पद्धति से देती है, जैसे केवल्यधाम में आसनों के द्वारा दी जाती है और अमरावती में दूसरे ढंग से दी जाती है ? और यह जो कमेटी बनाई गई है क्या वह इस विषय पर भी विचार करेगी कि किस पद्धति को अपनाया जाये तथा क्या इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों की भी राय ली जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह जो कमेटी नियुक्त की गई है वह सब प्रकार की संस्थाओं को इसमें शामिल करेगी, जिनमें व्यायाम शालायें भी हैं और केवल्यधाम का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको तो हम पहले से ही ग्रांट दे रहे हैं । और जितनी भी योजनायें देश में हैं वह सब ध्यान में रक्खी जायेंगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : किन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस उपसमिति में बोर्ड के तीन सदस्य हैं :—

(१) श्री पी० एम० जोसेफ, प्रिंसिपल, सरकारी प्रशिक्षण संस्था, कंडीवाली ।

(२) स्वामी कुवलयानन्द, निर्देशक, के० एस० एम० वाई० एम० समिति, लोनावला, पूना ।

(३) श्री एस० आर० महिन्द्रन, प्रिंसिपल, शारीरिक प्रशिक्षण के लिये सरकारी प्रशिक्षण संस्था, रूपा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जहां तक मुझे याद है श्री जोसेफ, प्रिंसिपल, सरकारी प्रशिक्षण संस्था, उसके अध्यक्ष हैं।

†**श्रीमती अ० काले** : क्या इस समिति द्वारा लड़कियों की शारीरिक शिक्षा पर भी विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, ऐसा भी प्रस्ताव है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट १५ सितम्बर तक प्राप्त हो जाने की आशा है किन्तु मेरे अनुपूरक के उत्तर में वे कहते हैं कि उन्हें उस समिति के अध्यक्ष का नाम मालूम नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने समिति के सदस्यों के नाम बताये हैं किन्तु उन्हें यह मालूम नहीं है कि उनमें से अध्यक्ष कौन हैं।

†**राम सुभग सिंह** : यही मैं कहता हूं। उस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। क्या वह समिति अपना काम कर रही है और उसके कार्य में क्या प्रगति हुई है जिसके आधार पर सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में रिपोर्ट दी जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह समिति शारीरिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में नियुक्त की गई है और मेरे विचार से अभी उसकी बैठक नहीं हुई है किन्तु बैठक शीघ्र ही होगी और सितम्बर के अन्त तक रिपोर्ट पेश की जायेगी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस बात की जांच की गई है कि क्या विभिन्न स्थानों पर विश्व-विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शारीरिक प्रशिक्षक बहुत कम हैं क्या सरकार विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान निधि में से कोई रकम देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे मालूम नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसी कोई निधि है या नहीं। राशियों के आवंटन करना आयोग का काम है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, उस ने शारीरिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय कालेज खोलने का निश्चय किया है जो शारीरिक शिक्षा पर गवेषणा करेगा। यह ग्वालियर में खोला जायेगा। उस की योजना बनाई जा रही है और आशा है कि इससे देश की काफी जरूरत पूरी होगी। शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न प्रकार की शारीरिक संस्थाओं और संगठनों को अनुदान देने का विचार है।

†**श्री केशव अय्यंगर** : क्या योग की क्रियाओं की देशी प्रणाली पर भी इस समिति द्वारा विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था और स्कूल के बच्चों के लिये जो विभिन्न प्रकार के व्यायाम हैं उनमें योग की क्रियायें भी सम्मिलित की गई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*१२७९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों के लिये कोई आयु-सीमा निश्चित की गई है; और

(ख) क्या किसी कर्मचारी को अब तक कोई विमुक्ति दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामचंद्र रेड्डी :** क्या ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमे कुछ पदाधिकारियों को जो कुछ वर्ष पहले सेवा-निवृत्त हुए थे फिर नौकरी दे दी गई ह और उन की सेवायें बढ़ाई जा रही हैं ? यदि हां, तो उन्हें फिर से नौकरी देने और उनकी सेवायें बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि कोई आयु-सीमा नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक अस्थायी आधार पर कर्मचारी नियुक्त किये हैं किन्तु अब उसे एक संविहित संस्था बनाया जायेगा और वह कर्मचारियों के नियोजन के लिये नियम बनायेगी। अभी तक तो उन्होंने केवल वार्षिक आधार पर कर्मचारी नियुक्त किये हैं

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या यह सच नहीं है कि उन्हें अस्थायी आधार पर रखने और उनकी सेवा की अवधि बढ़ाने से अन्य पदाधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं श्रीमान्, बिलकुल नहीं।

†**श्री वेलायुधन :** क्या अस्थायी पदों के लिये भी कोई विशेष आयु-सीमा निर्धारित की गई थी और यदि हां, तो क्या उसका अनुसरण किया गया था अथवा आयु या योग्यता का ध्यान रखे बिना कुछ विशिष्ट अधिकारी नियुक्त कर लिये गये थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने कहा है, सारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को फिरसे बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १० में कहा गया है :

"कर्मचारियों की सेवा की शर्तें आयोग द्वारा निश्चित की जायेंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों पर निर्भर करेंगी।"

धारा २६(१) में कहा गया है :

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बना सकता है।"

अत: नियम बनाने का कार्य आयोग का है। अत: पुनर्गठन के उपरान्त आयोग शीघ्र ही इस प्रश्न पर विचार करेगा।

†**श्री वेलायुधन :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता

†***१२८०. श्री का० प्र० त्रिपाठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २७ जुलाई, १९५६ के प्रैस नोट के आधार पर आसाम स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रतिकरात्मक भत्ता क्या पहाड़ी अथवा जंगल भत्ते से भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) इससे कुल कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ; और

(घ) इससे कितना अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) आसाम राज्य के कुछ हिस्सों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये हाल ही में स्वीकृत किया गया प्रतिकरात्मक भत्ता लगभग पहाड़ी अथवा जंगल के भत्ते के समान है। यह भत्ता उसके स्थान पर है यद्यपि इसे लागू करने में थोड़ा सा अन्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) आसाम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये, पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों की जो पुनः परिभाषा दी है उसके कारण यह अंतर है।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि असैनिक कर्मचारी (रेलवे में नियुक्त व्यक्तियों सहित) ८५०० होंगे। ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(घ) अतिरिक्त वार्षिक व्यय ५ से ७ लाख रुपये तक होने का अनुमान है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : यह प्रतिकरात्मक भत्ता केवल पर्वत और जंगल के क्षेत्रों तक क्यों सीमित है ?

†**श्री म० च० शाह** : केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाये। तब यह मालूम हुआ था कि रेलवे में यह भत्ता उन स्थानों पर दिया जाता था जहां इसे देना उचित नहीं था। अतः इस समस्त प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया था और एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी जिस में दो रेलवे अधिकारी तथा एक वित्त अधिकारी था। उन्होंने सारे आसाम राज्य का दौरा किया और आसाम सरकार से भी परामर्श किया था। उसके बाद यह आदेश जारी किये गये थे ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि आज कल आसाम में निर्वाह व्यय १९३७ या १९४७ से भी अधिक है और वह कलकत्ता और बंगाल के अन्य भागों में निर्वाह व्यय से भी अधिक है और यदि हां, तो क्या आसाम के कर्मचारियों के लिये भत्ता निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री म० च० शाह** : इस भत्ते का हिसाब अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है और ऐसे भत्तों को निश्चित करते समय सब बातों पर विचार किया जाता है। ये तो विशेष प्रतिकरात्मक भत्ते हैं जो पहाड़ों और जंगल के क्षेत्रों में दिये जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

†**श्री सु० चं० देव** : क्या सरकार को विदित है कि प्रेस के समाचार के अनुसार आसाम के कुछ हिस्सों में, इस निश्चय के विरोध में कर्मचारी एक विरोध सप्ताह मना रहे हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : इस विरोध के बारे में हमने भी अखबारों में पढ़ा है किन्तु आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं और इन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि और किन किन प्रान्तों के पहाड़ी हिस्सों को सरकार हिल और जंगल अलाऊंस देने का विचार कर रही है और उन स्थानों के नाम क्या क्या हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : यह प्रश्न तो आसाम के बारे में है। यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना दें तो मैं सब बातें बता दूंगा।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : जब ये क्षेत्र जहां यह भत्ता दिया जाता है, आसाम के क्षेत्रों से जहां यह भत्ता नहीं दिया जाता, बहुत कम हैं, तो फिर इसे आसाम भत्ता क्यों कहा जाता है ?

†**श्री म० च० शाह** : ये सब बातें पहले सोच ली गई हैं। वास्तव में आसाम सरकार इस भत्ते के देने के बारे में प्रसन्न नहीं थी क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अपेक्षा आसाम सरकार के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। एक ही स्थान पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में काफी अन्तर है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

राजस्थान में खड़खड़ाहट की आवाज

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री ज० रा० मेहता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि राजस्थान के जोधपुर डिवीजन के रामसीन गांव और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में (जो कच्छ के रन से अधिक दूर नहीं हैं) कई दिनों तक लगातार कई खड़खड़ाहट की आवाजें सुनी गई हैं शायद अब भी सुनाई देती हैं ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र के एक जैन मंदिर तथा कुछ मकानों में दरारें पड़ गई हैं ;

(ग) इन आवाजों और दरारों का कारण जानने के लिये क्या किसी विशेषज्ञ द्वारा कोई खोज की गई है; और

(घ) अब तक कितनी क्षति हो चुकी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). राजस्थान सरकार ने बताया है कि रामसीन गांव में पिछले १५ दिनों से दो से पांच सैकण्ड तक खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। बताया गया है कि लगभग ४० मकानों में और एक जैन मंदिर में दरारें पड़ गई हैं। राजस्थान सरकार उस के कारणों का पता लगा रही है। क्षति के बारे में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

†**श्री ज० रा० मेहता** : कुल कितना क्षेत्र इससे प्रभावित है और रामसीन के अलावा क्या और भी गांव इससे प्रभावित हुए हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : क्षेत्र के बारे में मुझे ठीक मालम नहीं है किन्तु भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग एक दल भेज रहा है जो सरकार को इन सब बातों की रिपोर्ट देगा।

†**श्री ज० रा० मेहता** : रामसीन की जनसंख्या कितनी है और कितने लोग गांव छोड़ कर चले गये हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे गांव की जनसंख्या का ज्ञान नहीं है।

†**श्री ज० रा० मेहता** : इस बात को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं कि लोगों को कष्ट न हो ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यदि वह हिस्सा भूकम्प क्षेत्र के अन्दर है तो भूकम्प के लिये कोई भी रोक थाम नही की जा सकती।

†**श्री ज० रा० मेहता** : क्या केन्द्र अथवा राज्य का कोई मंत्री वहां की स्थिति जानने के लिये वहां गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** ; जैसा मैंने कहा है, राजस्थान सरकार ने इसकी जांच करने के लिये कुछ दल भजे हैं और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण की ओर से भी एक दल भेजा गया है ताकि वे भूतत्वीय स्थिति की विस्तृत जांच कर सकें और वहां भूकम्पीय क्षेत्र होने के बारे में हमारी जो शंका है, उसकी पुष्टि कर सकें। अपनी जांच के बाद वे भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे जो सभा-पटल पर रखी जायेगी।

†**श्री ज० रा० मेहता** : क्या मैं जान सकता हूं .....

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक ही सदस्य को सात आठ प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री ज० रा० मेहता** : यदि आप इनकार कर रहे हैं तो .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रामसीन और सीहोर के कम्पन में कोई संबंध है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नहीं । भूतत्वीय प्राविधिज्ञों ने हमें बताया है कि उन दोनों में कोई संबंध नहीं है और इन दोनों के कारण भिन्न हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या वहां कोई सहायता कार्य किये गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं प्रश्न को नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन क्षेत्रों में कोई सहायता कार्य किये गये हैं जैसे लोगों को उन विशेष क्षेत्रों से निकालना ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक रामसीन का प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं है कि उन लोगों को, जिन्हें दरार पड़ने या मकान गिरने के कारण कष्ट हो रहा है सहायता देने के लिये राजस्थान सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है । जहां तक सीहोर का प्रश्न है, भोपाल सरकार ने लोगों को वह स्थान न छोड़ने की सलाह दी है क्योंकि किसी प्रकार के खतरे का अंदेशा नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण यह जानने का प्रयत्न कर रहा है वह गांव भूकम्पीय क्षेत्र में है या नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि देश के कौन से हिस्से भूकम्प क्षेत्र में हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, भारत के भूतत्वीय परिमाप के पास देश के भूकम्पीय क्षेत्र के स्वरूप के बारे में काफी सामग्री है । किन्तु उस क्षेत्र में कौन सा विशिष्ट गांव स्थित है यह ठीक ठीक बताने के लिये कुछ अधिक जानकारी आवश्यक है ।

†**श्री ज० रा० मेहता** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों को ध्यान में रखते हुए क्या प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप राजस्थान में होने वाली और देश के अन्य भागों में ऐसी ही विपत्तियों के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाने के लिये हमारे पास भिन्न प्रसाप हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हानि का जिक्र तो अभी आया ही नहीं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या देश के विभिन्न भागों में भूकम्प आदि के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाने के लिये भिन्न भिन्न तरीके अपनाये जाते हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का संबंध केवल कम्पों से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कोई हानि नहीं हुई ।

†**श्री ज० रा० मेहता** : माननीय मंत्री को मैं यह बता दूं कि काफी हानि हुई है और इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ....

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ दरारें ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, मैंने यह कहा है कि काफी दरारें पड़ गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्पष्ट है कि ये प्रश्न इस बात के संबंध में पूछे गये थे कि यदि गड़-गड़ाहट की आवाजें आती हैं तो उनके भूकम्प आदि में बदलने से पहले क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैं बता चुका हूं, यदि भूकम्प के क्षेत्र में गड़गड़ाहट होती हैं तो आवाजों को रोकना और उनको भूकम्प बन जाने से रोकना दुर्भाग्यवश भूतत्वीय प्रविधिज्ञों के लिये संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विपत्ति से बचने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है यही प्रश्न का आशय है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो राज्य सरकार का काम है। वे लोगों को कहीं अन्यत्र जाने को कह सकते हैं। किन्तु जहां तक हमारा संबंध है, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह क्षेत्र कम्प क्षेत्र में स्थित है और जांच करने के लिये तथा परामर्श प्राप्त करने के लिये हम एक भूतत्वीय दल वहां भेज रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैनिक स्कूल, देहरादून

*१२५७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल, देहरादून में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये रियायती फीस का नियम लागू किये जाने के समय से कितने हरिजन तथा आदिवासी छात्र सैनिक भर्त्ती हुए; और

(ख) क्या वही रियायत अन्य जातियों के योग्य और गरीब लड़कों को भी देने का विचार है?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य मिलिटरी कालेज देहरादून के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इस समय में कोई भी हरिजन या आदिवासी छात्र मिलिटरी कालेज के रेगुलर कोर्स में भर्त्ती होने के लिये पास नहीं हुआ।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में मद्यनिषेध

†*१२६१. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जायगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली राज्य सरकार ने जो कि सम्बन्धित है, इस विषय के बारे में पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं।

राज्य लोक सेवा आयोग

*१२६४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि १९५३ में गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की थी कि वे राज्य लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने के संबंध में यत्न करें; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य सरकारों को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई। पर कुछ संसत्सदस्यों का इस आशय का एक सुझाव राज्य सरकारों को भेजा गया था और यह आशा प्रकट की गई थी कि वे इस पर पूर्ण रूप से विचार करेंगे ।

(ख) इस सुझाव पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं आई है।

शिक्षा प्रणाली

*१२६६. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयत्न किये गये ; और

(ग) इन प्रयत्नों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) हां, जी।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४९**]

आंम चुनाव

†*१२६८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगामी आम चुनावों में मतदान की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो बदली हुई प्रक्रिया किस प्रकार की होगी ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) निर्वाचन आयोग अगामी चुनावों में 'चिन्ह प्रणाली' नामक मतदान प्रणाली जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रस्तावित प्रणाली में मतदान-पत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम (और यदि सम्भव हो सका तो चिन्ह) रहेंगे। मतदाता गुप्त रूप से अपनी पसन्द के उमीदवार के नाम के सम्मुख एक चिन्ह बना देगा और मतदान पत्र को तह करके मतदान पेटिका में डाल देगा जो पीठासीन पदाधिकारी की दृष्टि के सम्मुख रखी रहेगी। प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र में दूसरों द्वारा देखे जाने से बचने के लिये एक या अधिक कमरों की व्यवस्था की जायगी । वहां मतदाता अपने मतदान पत्रों पर चिन्ह लगायेंगे। मतदान पत्र बहुत कुछ डाक से-मतदान करने के समान होंगे जिन पर उम्मीदवारों के नाम चिन्ह सहित छपे होंगे। यह प्रणाली सर्वप्रथम चुने हुए नगरों में अपनाई जा सकती है जहां अपेक्षतः मतदाता अधिक पढ़े लिखे होते हैं।

कोणार्क मन्दिर

†*१२७३. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर में पत्थरों के बीच में लोहा होने के कारण दरारें पड़ती जा रहीं हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो मन्दिर को और अधिक हानि से बचाने के लिये सरकार क्या सावधानी बरत रही है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कोणार्क मन्दिर में पत्थरों के बीच में लोहा होने से निस्सन्देह कुछ पत्थर चटक सकते हैं और टूट कर अलग हो सकते हैं किन्तु उस मन्दिर में उस कारण से दरारें नहीं आई हैं ।

(ख) और अधिक क्षति से बचाने के लिये मन्दिर के धरातल को उपयुक्त सामग्री से पक्का बनाया जा रहा है और कुछ लोहे के टुकड़ों के स्थान पर तांबे की छड़ें लगाई जा रही हैं ।

लोक प्रशासन में गवेषणा

†*१२७६. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन पर कोई गवेषणा की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस विषय पर गवेषणा करने के लिये आवेदन पत्र मांगने का कोई विचार है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस विषय पर गवेषणा करने के लिये आवेदन पत्र मांगने का कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान के राष्ट्रजनों का भारत में आना

†*१२७७. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें पाकिस्तान के उन राष्ट्रजनों की संख्या दिखाई गई हो जो पिछले पांच वर्षों में वष-वार भारत में आये हों ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ।

खनिजों की खोज

†*१२८१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेंडीपेरिया क्षेत्र के "पुलमेडू" का हाल ही में खनिजों के लिये सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कौन-कौन से मुख्य खनिज मिलते हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). त्रावनकोर-कोचीन राज्य के वेंडीपेरिया क्षेत्र में भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग द्वारा अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है ।

राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान

*१२८२. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष १९५५-५६ में निम्नलिखित मदों के लिये प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को कितनी राशि मंजूर की है :

(१) पुस्तकालय तथा प्रयोगशालायें,

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान, और

(३) स्नातकोत्तर शिक्षा-प्रसार ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५०]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विदेशी उच्च पदाधिकारियों से उपहार

†*१२८३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८७ तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पदाधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या क्या हैं जिन्होंने अब तक सरकार द्वारा जारी किये निदेश का पालन किया है; और

(ख) इस प्रकार 'तोशखानों' में अथवा अन्य कहीं अब तक लगभग कितने मुल्य के उपहार जमा किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). यह जानकारी प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद

†*१२८४. **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे पुस्तकें कौन कौन सी हैं जिनका सभी चौदह प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का विचार है; और

(ख) मूल रूप से वे किस भाषा में लिखी गयी थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की जाने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंदमान में बम्बई के बसने वाले

†*१२८५. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक बम्बई राज्य के (जिलेवार) कितने परिवार अन्दमान में जाकर बस गये हैं; और

(ख) वे किस प्रकार की और कैसी फसलें वहां बोते हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलैण्डर सुधार समिति का प्रतिवेदन

*१२८६. **श्री भक्त दर्शन** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने अब तक कैलण्डर सुधार समिति की रिपोर्ट के बारे में अपनी सम्मति भेज दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उनसे प्राप्त सम्मतियों का सारांश क्या है; और

(ग) कब तक अन्तिम निश्चय होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) भोपाल के अतिरिक्त सब राज्यों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) कैलण्डर सुधार समिति (कैलण्डर रिफार्म कमेटी) की सिफारिशें सामान्यत: स्वीकार कर ली गई हैं ।

(ग) यह विषय विचाराधीन है और आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा ।

हिन्दी के टाइपराइटर

***१२८७. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी टाइपराइटरों (टंकन यंत्रों) में रोमन अंक रखने के लिए सरकार के निर्णय के विरुद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अन्य संस्थाओं से कितने विरोध पत्र आज तक सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुन: विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) हिन्दी टाइपराइटरों के कुंजी-पटल में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का विरोध पांच हिन्दी संस्थाओं ने किया है जिनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी शामिल है ।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि यदि सम्भव हो सके तो दोनो प्रकार के अंक टाइपराइटर में रक्खे जायें । यह न हो सका तो सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को तरजीह देगी ।

डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी लिमिटेड

†***१२८८. श्री रामकृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री २१ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया दादरी सीमेंट कं० लिमिटेड के विरुद्ध पंजीयक से प्राप्त जांच के प्रतिवेदन पर तब से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) तथा (ख). इस मामले में समवाय पंजीयक द्वारा उसी वर्ग के अन्य समवायों से सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदनों के साथ प्रस्तुत किया गया वह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

†***१२८९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में (१) विदेशी छात्रों और (२) विदेशों में भारतीय उद्भव के छात्रों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने में कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियों से अब तक कुल कितने छात्रों को लाभ पहुंचा है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३४८.

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कच्छ के खनिज संसाधन

†*१२९०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में कच्छ के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण करना आरम्भ किया है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां ।

मध्य पूर्व के देशों से सांस्कृतिक संपर्क

†*१२९१. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य पूर्व के देशों से सांस्कृतिक संपर्क की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ५१**]

छात्रों द्वारा जापान का सांस्कृतिक दौरा

†*१२९३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी इर्विन कालेज, दिल्ली के एक छात्र-दल ने हाल ही में जापान का एक शैक्षिक और सांस्कृतिक दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और उन्होंने किस सांस्कृतिक पहलू का प्रतिनिधित्व किया;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपनी यात्रा की वापसी में सिंगापुर में कोई सांस्कृतिक प्रदर्शन किया था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) से (घ). जी हां । किन्तु भारत सरकार की ओर से न तो इस दौरे का आयोजन ही किया गया था और न वित्तीय सहायता ही दी गई थी ।

मकान कर

†*१२९४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अलेप्पी की नगरपालिका परिषद् को यह आदेश दिया है कि अलेप्पी की नगरपालिका की सीमा के अन्दर के सारे मकानों पर मकान कर वसूल किया जाना चाहिये; और

(ख) क्या अलेप्पी की नगरपालिका परिषद् ने नगरपालिका आयुक्त से यह निवेदन करते हुये एक संकल्प पारित किया है कि त्रावनकोर-कोचीन की सरकार के निदेश से सारी कार्यवाही अभी रोक दी जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं । सरकार ने अलेप्पी की नगरपालिका परिषद् को ये निदेश जारी किये हैं कि जिला नगरपालिका अधिनियम के द्वारा जिन भूमियों और भवनों को विशेष रूप से छोड़ा नहीं गया है उन सब पर सम्पत्ति कर लगा देना चाहिये ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सीमा शुल्क

†*१२९५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय शुल्क विभाग द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों से भारत आने वाले यात्रियों द्वारा निःशुल्क सामान लाने की सीमा २००० रुपये से घटाकर ५०० रुपये कर देने के बारे में किये गये निर्णय से मलाया के भारतीयों को हुई कठिनाईयों के सम्बन्ध में भारत सरकार को उनका कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां ।

(ख) कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण सीमा में कटौती सारे संगत कारणों पर विचार करने के पश्चात् की गई थी । इस प्रकार का एक उपयुक्त उत्तर भेज दिया जायेगा ।

बुद्ध की प्रतिमा

†*१२९६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाकहाम के निकट एक द्वीप में बुद्ध की एक भारतीय प्रतिमा मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसका पता किस प्रकार लगा;

(ग) क्या भारतीय अथवा अन्य किन्हीं विशेषज्ञों ने उसका अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके ऐतिहासिक महत्व के सम्बन्ध में किस प्रकार के निष्कर्ष निकले और वह उक्त द्वीप में किस प्रकार पाई गई; और

(ङ) क्या मूर्ति की जांच और उसका अध्ययन करने के लिये किसी भारतीय विशेषज्ञ को वहां भेजने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सरकार को इस मामले में जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) जी नहीं ।

कुल सम्पत्ति पर कर

†*१२९७. **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण सम्पत्ति पर वार्षिक कर लगाने के बारे में प्रस्ताव पर तब से अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी नहीं। प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बुद्ध स्मारक

*१२९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से २५००वीं बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती के सम्बन्ध में नई दिल्ली में बनाये जाने वाले स्मारक के स्वरूप का निर्धारण करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो स्मारक के स्वरूप और वित्तीय पहलू का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) नहीं, जी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कुछ नये नमूने विचाराधीन हैं।

पंजाब में शिविर लगाने योग्य मैदान

†*१२९९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में फालतू शिविर लगाने योग्य मैदानों को बेचने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : शिविर लगाने योग्य केवल पांच मैदान रक्षा सेवाओं की आवश्यकता से अधिक हैं। राज्य सरकार उन्हें खरीदना चाहती है। भूमि के बाजार मूल्य, उस पर की आस्तियों के मूल्य सम्बन्धी विस्तृत बातें आदि सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्राप्त की जा रही हैं जिनके प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार से उनकी बिक्री की शर्तों और निबन्धनों के औपचारिक प्रस्ताव किये जायेंगे।

आसाम तेल कम्पनी

†*१३००. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम तेल कम्पनी ने और अधिक तेल खोजने के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने लाइसेंस दिये जायेंगे और कितना क्षेत्र उसके अन्तर्गत चला जायेगा; और

(ग) लाइसेंस किन शर्तों पर दिये जायेंगे?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) १२ आवेदन पत्र १९४४.७२ वर्गमील के क्षेत्र के लिये प्राप्त हुये हैं।

(ग) लाइसेंस देने के लिये कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत-मिश्र व्यापार

†*११९२. **श्री कासलीवाल :**
श्री बंसल :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
डा० रामा राव :
श्री गोपाल राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि इंग्लिस्तान की सरकार ने मिश्र के पौण्ड पावने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिश्र के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करार के अधीन ६० प्रतिशत भुगतान पावनों में किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां, भारत सरकार को इंग्लिस्तान सरकार द्वारा सरकारी तौर पर मिश्र के पावने पर उनके द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के बारे में सूचित कर दिया गया है ।

(ख) भारत और मिश्र के बीच व्यापार करार लागू करने के लिये जो प्रबन्ध किया गया है उसके अन्तर्गत मिश्र से भारत को जितना भी निर्यात होगा उसका भुगतान भारतीय रुपयों में किया जायेगा । ऐसे रुपयों का ४० प्रतिशत भारत में व्यय किया जाना है जब कि शेष ६० प्रतिशत के लिये यदि मिश्र चाहे तो पावनों में बदल दिया जायेगा । चूंकि मिश्र और भारत के बीच सारे व्यापार की वित्त व्यवस्था रुपयों में की जानी है, इंग्लिस्तान सरकार द्वारा मिश्र के पावनों की रकम पर लगाये गये प्रतिबन्धों का भारत-मिश्र व्यापार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

(ग) यदि कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, तो सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को बनाये रखने के लिये जो कार्यवाही करना वह आवश्यक समझेगी, करेगी ।

भारत सेवक समाज

†८०८. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिलेवार भारत सेवक समाज के तत्वावधान में, केन्द्रीय सहायता से पेप्सू राज्य में अब तक कुल कितने शिविर लगे हैं ;

(ख) शिविरवार, शिविरों में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे;

(ग) कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) शिविरवार, किस प्रकार का कार्य पूरा किया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५२**]

शिक्षा तथा साहित्यिक संगठन

†८०९. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में अखिल भारतीय संगठनों (शिक्षा तथा साहित्य) में से प्रत्येक को कितना अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में खानें

†८१०. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्तान में मेंगनीज, लोहा, तांबा तथा जस्त की कितनी खानें चालू हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में खानों की संख्या इस प्रकार है:—

मेंगनीज	१४
लोहा	८
तांबा	कोई नहीं
जस्त . . .	१

इन खानों के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

त्रिपुरा में गैर-सरकारी हाई-स्कूल

†८११. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के ऐसे गैर-सरकारी हाई-स्कूलों के नाम जिनको १९५५–५६ में सरकार से धन का अनुदान मिला है;

(ख) प्रत्येक को कितना धन दिया गया;

(ग) प्रत्येक को राशि किस आधार पर वितरित की जाती है; और

(घ) क्या किसी स्कूल को कोई राशि मिल चुकी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था

†८१२. **श्री बेलीराम दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में दिल्ली में कितनी हत्याएं हुई; और

(ख) इन हत्याओं में से कितनी में आग्नेय अस्त्र व्यवहार में लाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क)

	१९५५	१९५६ (३१–७–१९५६ तक)
	४०	३१
(ख)	४	१

आवास संबंधी सुविधायें

†८१३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास अटिंगल नगर के बर्तन बनाने वालों (वेलार्स) को अच्छी आवास सुविधायें प्रदान करने का कोई कार्यक्रम है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अंटिगल के बर्तन निर्माताओं तथा नगरपालिका कर्मचारियों के सौ परिवारों के लिये आवास निर्माण की योजना बनाई है। अर्जन व्यय समेत कुल व्यय की राशि को सरकार बिना सूद लिये अग्रिम ऋण के रूप में देगी जो कि पच्चीस समान किश्तों में लौटाना होगा। योजना को अटिंगल नगरपालिका द्वारा कार्यान्वित किया जायगा।

लोहा अयस्क[3]

८१४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर डिवीजन में अरावली पहाड़ियों के काले मगरा क्षेत्र के निकट विपुल मात्रा में लोहे के निक्षेप प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में खनिजों की खोज करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) [2]भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पास कालेमगरा क्षेत्र में लोहा अयस्क पाये जाने की कोई निश्चित जानकारी नहीं है। फिर भी, अरावली की पहाड़ियों में कच्चे लोहे के भंडार पाये गये हैं।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का १९५६–५७ के क्षेत्र-कार्य-काल में उदयपुर डिविजन में कच्चे लोहे के अधिक आशाजनक क्षेत्रों में खोजें करने का प्रस्ताव है।

[3]खनिज निक्षेप

†८१५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में हुये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जावर क्षेत्र में सीसा और जस्ते को छोड़ कर अन्य खनिज लगभग कितनी मात्रा में मिले हैं;

(ख) खनिजों का सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) कितनी दूर तक इस खनिज के मिलने के आसार मिले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). सीसे तथा जस्ते के अतिरिक्त अन्य खनिज निक्षेपों की संचित मात्रा बहुत ही कम पाई गई तथा उनका अनुमान नहीं लगाया गया है। यह निश्चित नहीं बताया जा सकता है कि जावर क्षेत्र का सर्वेक्षण कब पूर्ण होगा। उन क्षेत्रों का विस्तार जिनमें खनिजों के चिन्ह पाये गये हैं, सर्वेक्षण समाप्त होने के पश्चात ही जाना जा सकेगा।

निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त

†८१६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिनीक्षाधीनों के प्रशिक्षण के प्रभावी निरीक्षक आयकर सहायक आयुक्त के क्या कार्य हैं; और

(ख) उनके प्रभार में औसतन कितने प्रशिक्षार्थी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Ore.

[2]Indian Geological Survey.

[3]Mineral Dcposits.

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५३**]

सैनिक इंजिनियरिंग सेवा में ठेकेदारों के न चकाये गये बिल

†८१७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम समाप्त हो जाने पर भी सैनिक इंजीनियरिंग सेवा पदाधिकारियों के पास अब भी ठेकेदारों को बहुत से बिल चुकाने शेष हैं;

(ख) यदि हां, तो लाल किला दिल्ली परियोजना डिवीजन के गैरिजन इंजीनियर द्वारा कये गये कार्यों के इस समय कितने बिल शेष हैं;

(ग) ये बिल कितनी अवधि से बकाया हैं; और

(घ) शीघ्र भुगतान के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) ११ (ग्यारह)

(ग) ग्यारह में से, केवल पांच कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात से छः मास से अधिक अवधि से लम्बित हैं । इन पांचों मामलों में, ठेकेदारों ने बिल प्रस्तुत नहीं किये थे, जो कि सरकार को बनाने पड़े । ये ठेकेदारों ने स्वीकार नहीं किये जिसके कारण वे मध्यस्थ निर्णय को भेजे गये तथा न्यायालय कार्यवाही हुई । इन पांचों मामलों में अवशिष्ट अवधि १४ मास से ३।। वर्ष है ।

(घ) वित्त मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा लेखों के महानियंत्रक के परामर्श से, परिहार्य विलम्ब को दूर करने के सम्बन्ध में प्रभारी इंजीनियर ने निम्न कार्यालयों को विस्तृत आदेश जारी कर दिये हैं । कार्य समाप्ति पर ठेकेदारों द्वारा किये गये दावों अथवा असंतोषजनक कार्य करने के कारण मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायालय कार्यवाही से हुए विलम्ब सरकारी हितों की सुरक्षा के लिये तथा सरकारी निधि के उचित तथा प्रभावोत्पादक उपयोग के लिये, अपरिहार्य हैं ।

तस्कर व्यापार

†८१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, अप्रैल, मई तथा जन १९५६ मास में पश्चिमी बंगाल सीमा पर कितने तस्कर व्यापारी पकड़े गये हैं;

(ख) कुल कितने मूल्य की वस्तुयें जब्त की गई हैं;

(ग) उनमें से मुख्य वस्तुयें क्या हैं; और

(घ) कितने तस्कर व्यापारियों को दण्ड दिया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ०चं० गुह)** : (क) मार्च, अप्रैल, मई तथा जून, १९५६ में कोई भी तस्कर व्यापारी पश्चिमी बंगाल सीमा पर नहीं पकड़ा गया था ।

(ख) सक्षम सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा इस अवधि में, भूमि सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये ७,१५,६०० रुपये की वस्तुयें जब्त की गई थीं ।

(ग) सुपारी, फूस की चटाइयां, सोना, चांदी, पाक तथा भारतीय मुद्रा तथा सूती वस्त्र मुख्य वस्तुयें थीं ।

(घ) इस अवधि में विधि न्यायालय में मुकदमे के लिये कोई भी तस्कर व्यापारी नहीं भेजा गया । अधिकांश मामले स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि उन मामलों के व्यक्तिगत रूप से छोटे-छोटे होने अथवा सीमा के पर्याप्त दूरी पर होनेसे, उनको नियमों के विपरीत, साबित करना कठिन था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

छावनी बोर्ड

८१६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अप्रैल, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडौन, लंढौर और चकराता के छावनी बोर्डों की विकास योजनाओं के बारे में क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से प्रत्येक के बारे में किये गये निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जा सकती है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन तीन छावनियों को अस्थायी तौर पर बांटी गई राशियों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हायर सेकेन्डरी स्कूल

†८२०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, १६५५–५६ में हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित हाई स्कूलों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) हायर सेकेन्डरी तथा बहुप्रयोजनीय स्कूलों के परिवर्तन तथा चुने हुये सेकेन्डरी स्कूलों के सुधारों में क्या मूल वैत्रिन्य है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५५]**

वैदेशिक सम्पर्क विभाग

†८२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् तथा वैदेशिक सम्बन्ध विभाग में कोई समन्वय होगा; और

(ख) इस विभाग पर, कुल कितनी राशि आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय के रूप में व्यय होने का आगणन किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है जो सांस्कृतिक कार्यों के अपने कार्यक्रम स्वतन्त्र रूप से स्वयं बनाती है, यद्यपि यह जब आवश्यक समझती है तब इस विभाग का परामर्श ले लेती है।

(ख) विभाग ११–६–१६५६ को बनाया गया था। ऐसा विचार है कि १६५६–५७ में ८७,५०० रुपये आवर्त्तक व्यय होगा। अनावर्त्तक भी नहीं है।

अन्धों की संख्या का सर्वेक्षण

†८२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्धे लोगों के प्रस्तावित नमूना सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई हैं; और

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). उपयुक्त प्रश्नावलि बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ।

मनीपुर के [1]प्रविधिक कर्मचारी

†८२४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रविधिक कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण मनीपुर विकास कार्यक्रमों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रविधिक कर्मचारियों की भरती के लिये मनीपुर सरकार के विज्ञापनों से कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये ; और

(घ) इसी अवधि में कितने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया गया, कितने भरती किये गये तथा कितने अस्वीकार कर दिये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी छात्रवृत्तियों पर विदेश भेजे गये विद्यार्थी

८२५. **श्री बाल्मीकी :**
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत १९५० से अब तक कितने विद्यार्थी अध्ययन के लिये विदेश गये;

(ख) उनके अध्ययन के विषय क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि शिक्षा प्राप्त करके लौटने पर उन्हें बेकार बैठना पड़ता है और उन्हें यथायोग्य काम नहीं मिलता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) चौंतीस ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५६**]

(ग) अभी तक कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोलम्बो योजना

८२६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में (जनवरी १९५६ तक) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कितने विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गयीं;

(ख) स अवधि में कितने विद्यार्थियों को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत से बाहर विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये भेजा गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Teehnical.

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १०२

(ख) ६६७।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

जनसंख्या के आंकड़े

†८२७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या के आंकड़ों के सुधार के लिये महापंजीयक के क्या कार्य हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : महापंजीयक जो पदेन जनगणना आयुक्त भी हैं, सांख्यकी तथा जनगणना समेत, जनसंख्या सांख्यकी का कार्य करने वाले संगठन के प्रधान हैं।

वायुयान

†८२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में वायु सेना के पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान रखने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने विमान खरीदे जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) पुराने विमानों को बदलने के प्रश्न पर सरकार लगातार पुनरीक्षण करती है।

(ख) पूछी गई यह जानकारी बताना लोकहित में नहीं होगा।

शस्त्रास्त्रों का आयात

†८२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में विदेशों से कुल कितनी राशि के शस्त्रास्त्र आयात किये गये; और

(ख) १९५४–५५ में आयात किये गये शस्त्रों का मूल्य क्या था ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). जानकारी बताना लोकहित में नहीं है।

गहन शिक्षा विकास

†८३०. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में गहन शिक्षा विकास योजना में विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार कुल कितनी धनराशि अनुदान में दी थी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५७**]

शिक्षितों की बेकारी

†८३१. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में शिक्षित बेकारी दूर करने के लिये देहाती क्षेत्रों में कुल कितने प्राध्यापक राज्यवार नियुक्त किये गये ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा म० मो० दास)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५८**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†८३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं तथा वह किन पदों पर हैं;

(ख) इनमें कितने कर्मचारी अस्थायी हैं; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५९**]

(ग) पंजाब, दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तृ कार्यालय के अन्तर्गत आता है जिसमें दिल्ली, पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अजमेर तथा जम्मू और काश्मीर राज्य हैं, नियुक्तियां तथा स्थायीकरण सभी श्रेणियों में समाहर्तृ कार्यालय के आधार पर किये जाते हैं, राज्यवार नहीं। कुछ दिन पूर्व के विस्तार के कारण इस तथा अन्य समाहर्तृ कार्यालयों में पद अभी अस्थाई हैं तथा अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के व्यक्तियों को भी अपना स्थान आने पर स्थायित्व के लिये अन्य व्यक्तियों से प्रतिद्वन्द्विता करनी पडती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के बहुत कम व्यक्ति स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से अपने स्थानों पर रह नहीं पाते, तथा स्थायी होने के अधिकारी होने से पहले ही विभाग को छोड देते हैं। क्योंकि उनके स्थान पर नये व्यक्ति भरती किये जाते हैं इसलिये वह अपने स्थायी पद के स्थान पर नहीं रह पाते हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौकियां

†८३३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा राजस्थान की भारत-पाकिस्तान सीमा पर वस्तुओं के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये कितनी चौकियां हैं;

(ख) ये चौकियां किन स्थानों पर हैं; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर १९५४ तथा १९५५ में, तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये थे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के अतिरिक्त, भारत-पाकिस्तान सीमा पर वस्तुओं का तस्कर व्यापार रोकने के लिये राजस्थान में ८ चौकियां तथा पंजाब में १३ चौकियां ह।

(ख) अधिसूचित स्टेशनों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६०**]। अन्य चौकियां समस्त सीमा के साथ साथ, आक्राम्य स्थानों पर हैं। उनके नाम बताना लोकहित में नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) १९५४ तथा १९५५ में तस्कर व्यापार के पकड़े गये मामलों की संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	पंजाब	राजस्थान
१९५४	१७७	कोई नहीं
१९५५	११०	२४३

सांस्कृतिक मिशन

†८३४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १९५६ में विदेशों में सांस्कृतिक मिशन भेजने के कार्यक्रम के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : भारत सरकार ने अफगानिस्तान के अफगान जशन समारोह में भाग लेने के लिये भारतीय खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निश्चय किया है। और रूस में भी भारतीय शिक्षाशास्त्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निश्चय किया गया है।

अन्य प्रतिनिधि मंडल भेजने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

वायु प्रतिरक्षा रक्षित सेना

†८३५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ११ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक वायु प्रतिरक्षा रिजर्व सेना में कुल कितने व्यक्ति पंजीबद्ध किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : इसके लिये बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं और उनकी छानबीन हो रही है। औपचारिक पंजीयन तभी आरम्भ होगा जब सब प्रार्थना पत्रों की छानबीन हो चुकेगी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†८३६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के १० वें दौर के कार्यक्रम के लिये कौन से २६६ गांव चुने गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पंजाब में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के १०वें दौर के कार्यक्रम के लिये चुने गये गांवों के नामों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६७, अनुबन्ध संख्या ६१**]

आदिम जातियों का समाज कल्याण

†८३७. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण बोर्डों ने किसी भी राज्य में आदिम जातियों के समाज कल्याण के लिये कोई योजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने राज्य के आदिम जाति क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिम जाति के लोगों के लिये भी कोई कार्य प्रारम्भ किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (ख). बोर्ड ने अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ कल्याण विस्तार परियोजनाएं चलाई हैं किन्तु वे केवल आदिम जाति अथवा केवल गैर आदिम जाति के लोगों के लिये नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

†८३८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में एक जर्मन डिजाईनर कुछ विशेषज्ञों के साथ '१ लाइन विमान' बनाने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ कितने वर्ष का संविदा किया गया है; और

(ग) पहला विमान कब तैयार हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (ग). जी हां । यह निश्चय किया गया है कि एक जर्मन विमान विशेषज्ञ टीम को हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में भारत में विमानों के डिजाइन बनाने तथा विकास करने के लिये नियुक्त किया जाये । कुछ विशेषज्ञ आ चुके हैं और कुछ शीघ्र ही आने वाले हैं । संविदा की विस्तृत शर्तें तथा सैनिक विमानों के डिजाइनों की योजनाओं का बताना जनहित में नहीं है ।

लोक सहायक सेना

†८३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये लोक सहायक सेना के विस्तार की योजना को तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : लोक सहायक सेना में जिसका कि १ मई, १९५५ को प्रारम्भ किया गया था, उस अवधि में ५ लाख आदमियों को प्रशिक्षण देने का विचार किया गया है । प्रतिवर्ष १ लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । किन्तु इस समय लोक सहायक सेना के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस बात को पांच वर्ष के पश्चात् ही देखा जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिक

†८४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में कितने भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक तथा सैनिक विभागों में नौकरी दिलाई गई है; और

(ख) इस वर्ष इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १९५५ के दौरान में सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवाओं में १५,०३९ भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाई गई है ।

(ख) इन लोगों के लिये नौकरियां तलाश करने के लिये लगातार कोशिश की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डुंगरपुर और बांसवाडा जिलों में अनुसूचित आदिम जातियां

†८४१. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डुंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आंकड़ों का पुनरीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षित आंकड़ों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) पश्न उत्पन्न नहीं होता।

बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र

†८४२. **श्री भीखा भाई** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र के रूप में सुरक्षित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कारवाई की गई है; और

(ग) क्या परिसीमन आयोग ने इस पर कोई ध्यान दिया है ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)**: (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). भूतपूर्व परिसीमन आयोग ने १६ दिसम्बर, १९५४ को अपनी उदयपुर की बैठक में इस अभ्यावेदन पर विचार किया था। उनका यह मत था कि राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या इतनी नहीं है कि उसमें उनके लिये एक सुरक्षित संसदीय स्थान रखा जाये।

विमानों का क्रय

८४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत ने प्रशिक्षण प्रयोजन के लिये अमरीका से ३० पुराने विमान खरीदे हैं ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : यू० एस० वायुसेना से ३० ट्रेनर वायुयान खरीदने के लिये आदेश दिये गये हैं। यह वायुयान अभी तक भारतीय वायु सेना और अन्य कई देशों की वायु सेनाओं में प्रयोग में लाये जा रहे हैं और अप्रचलित नहीं हैं।

तम्बाकू पर कर

†८४४. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता कलेक्टरी के उड़ीसा सर्किल से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि निजी खपत के लिये छोटे-छोटे पहाड़ी इलाकों में छोटे पैमाने पर जो तम्बाकू बोया जाता है उसे कर से मुक्त कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के नाम; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निश्चय किया है?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सर्वस्वदान ग्राम

†८४५. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५६ को जिला कोरापुर (उड़ीसा) में सर्वस्वदान ग्रामों के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन ग्रामों के लिये २ लाख रुपये का अनुदान देने की कोई योजनाएं भेजी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कैसी योजनाएं हैं; और

(ग) उनको कहां तक कार्यान्वित किया गया है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना संग्रहीत की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर सचिवालय कर्मचारी

†८४६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर सचिवालय में कितने लोअर डिवीजन तथा कितने अपर डिवीजन क्लर्क हैं;

(ख) उनको कितना वेतन तथा अन्य भत्ते आदि मिलते हैं;

(ग) उनके वेतन तथा भत्ते त्रिपुरा तथा आसाम के सचिवालयों के क्लर्कों के मुकाबले में कितने हैं; और

(घ) उनको वर्तमान वेतन तथा भत्ते किस तिथि से मिल रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मणिपुर के सचिवालय में ३१ जुलाई, १९५६ को ५२ लोअर डिवीजन तथा २० अपर डिवीजन क्लर्क थे ।

(ख) अपर डिवीजन क्लर्कों का वेतन क्रम ८०–४–१६०–५–१८० है और लोअर डिवीजन क्लर्कों का ५५–३–११८–४–१३० है । इसके अतिरिक्त उन्हें निम्निलिखित दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता भी मिलता है :

वेतन	महंगाई भत्ता
१ से ३० रुपये तक	वेतन का ४० प्रतिशत + ६ रुपये
३१ से ६० रुपये तक	वेतन का २० प्रतिशत + ६ रुपये
६१ से १०० रुपये तक	वेतन का १५ प्रतिशत + ६ रुपये
१०१ से १००० रुपये तक . . .	वेतन का १७।। प्रतिशत ।

(ग) अपेक्षित सूचना संग्रहीत की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) वर्तमान वेतन क्रम १–६–५५ से प्रारम्भ हुए हैं और महंगाई भत्ता १–४–५० से ।

अपंगों की शिक्षा

†८४७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंगों की शिक्षा के लिये वर्ष १९५६–५७ में अब तक बिहार राज्य को कोई सहायता दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी नहीं।

अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा अपील

†८४८. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपीलें) नियम, १९५५ के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने पदाधिकारियों ने भारत सरकार या राष्ट्रपति के पास आवेदन पत्र दिये या उनसे अपील की है; और

(ख) कितने आवेदन-पत्र और कितनी अपीलें अन्तिम रूप से स्वीकार हो गयीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, १९५५, पहली सितम्बर, १९५५, से लागू हुए। तब से भारतीय पुलिस सेवा के केवल दो पदाधिकारियों के आवेदन-पत्र (मैमोरियल) राष्ट्रपति के नाम आये हैं। यह आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं। भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी पदाधिकारी की कोई अपील नहीं आई है।

सरकारी कार्यालयों का पुनर्गठन

†८४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये कोई 'अग्रिम योजना' लागू की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप अनेक अस्थायी असिस्टेंटों को, जो उस ग्रेड में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, अपने पुराने पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा; और

(ग) कितने व्यक्तियों पर इस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा

†८५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९५५ में संघ लोक सेवा आयोग की जो असिस्टेंट्स ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें कुल कितने व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की;

(ख) इनमें से कितने सरकारी कर्मचारी हैं;

(ग) उनमें से कितने इस समय भी असिस्टेंटों के ग्रेड में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) कुल कितने व्यक्तियों को अस्थायी और अस्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ११३६।

(ख) ५५४।

(ग) २३।

(घ) प्रारम्भ में ४०० अभ्यर्थियों को स्थायी और ४०० को अस्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अभ्रक

†८५१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री त्रावनकोर कोचीन में पाये जाने वाले अभ्रक का ब्यौरा सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि वहां इस समय कुल कितनी अभ्रक निकाली जा रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नेडोर और पुनालूर के निकट 'फ्लोपोगोपाइट' अभ्रक पाया जाता है।

इन निक्षेपों का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका है। १९५० में इस राज्य में केवल २८ हंडरवेट अभ्रक का उत्पादन हुआ था, और उसके बाद कुछ भी उत्पादन होने की सूचना नहीं मिली है ।

दिल्ली की प्राचीन-वेधशाला

†८५२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली स्थित उत्तर भारत की ढाई सौ वर्ष पुरानी एतिहासिक वेधशाला धीरे-धीरे नष्ट हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रक्षा तथा मरम्मत के लिये कुछ उपाय करना चाहती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) हां जी, यदि इसका संकेत जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली की ओर है ।

(ख) इसको रक्षार्थ "प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम १९०४" के अन्तर्गत लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

सोना

†८५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में १९५४ की अपेक्षा सोने के उत्पादन में कमी होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस वर्ष सोने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सोने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार इस वर्ष कोई कार्यवाही नहीं करने वाली है। मैसूर और हैदराबाद के सोना खनन समवाय, खानों की दशा के अनुसार खानों के उत्पादन को अधिकतम सीमा पर बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

औद्योगिक प्रशासन

†८५४. **श्री ख० चं० सोधिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशासन कोर्स की पढ़ाई बम्बई और बंगलोर के इंस्टीट्यूट्स में चालू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों इन्स्टीट्यूटों में कितने कितने छात्र हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) इस कोर्स में प्रवेश पान के लिये क्या क्या योग्यतायें हैं और कोर्स की अवधि और शुल्क क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) अभी नहीं, जी ।

(ख) तथा (ग). कोर्स का पूर्ण विवरण इन्स्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जा रहा है । तथापि स्कीम के अनुसार प्रार्थी इंजीनियरिंग और तकनीकी या उसके समान, में स्नातक हो और उसको दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो ।

वैदिक गुरुकुल

†८५५. **श्री रामदास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने संस्थान कोट्टा में एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना करने के लिये भूमि के एक टुकड़े का पट्टा मंजर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा अब तक गुरुकुल की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११५९–८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२५४	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा . .	११५९–६०
१२५५	दिल्ली में यातायात सम्बन्धी विनियम	११६०–६१
१२५६	भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण	११६१–६२
१२५८	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास .	११६२
१२५९	प्रादेशिक मुद्रण स्कूल, दिल्ली . . .	११६३
१२६०	गोआ से और गोआ में चोरी छिपे माल लाना व ले जाना	११६३–६४
१२६२	ठेकों का दिया जाना	११६४–६५
१२६३	उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निश्चित करना .	११६५–६६
१२६५	राजभाषा आयोग . . .	११६६–६७
१२६७	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास .	११६८–६९
१२६९	निर्वाचक नामावलियां . . .	११६९–७१
१२७०	त्रावणकोर-कोचीन विश्वविद्यालय के अध्यापक	११७१–७३
१२७१	चोरी छिपे लाया गया सोना और जवाहरात . .	११७३–७४
१२७२	तेल की खोज . . .	११७४
१२७४	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	११७४–७५
१२७५	प्राथमिक शिक्षा . .	११७५–७६
१२७८	शारीरिक शिक्षा . .	११७६–७७
१२७९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	११७७–७८
१२८०	आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता .	११७८–७९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	राजस्थान में खड़खड़ाहट की आवाज .	११८०–८२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	११८२–१२०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२५७	सैनिक स्कूल, डेहरादून . .	११८२
१२६१	दिल्ली में मद्यनिषेध . . .	११८२
१२६४	राज्य लोक सेवा आयोग . . .	११८२–८३
१२६६	शिक्षा प्रणाली	११८३

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६८	ग्राम चुनाव	११८३
१२७३	कोणार्क मन्दिर	११८३–८४
१२७६	लोक-प्रशासन में गवेषणा	११८४
१२७७	पाकिस्तान के राष्ट्रजनों का भारत में ग्राना	११८४
१२८१	खनिजों की खोज	११८४
१२८२	राज्य विश्वविद्यालयों को ग्रनुदान	११८४
१२८३	विदेशी उच्च पदधारियों से उपहार	११८५
१२८४	प्रादेशिक भाषाग्रों में पुस्तकों का ग्रनुवाद	११८५
१२८५	ग्रन्दमान में बम्बई के बसने वाले	११८५
१२८६	कैलण्डर सुधार समिति का प्रतिवेदन	११८५–८६
१२८७	हिन्दी के टाइप राइटर	११८६
१२८८	डालमिया दादरी सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११८६
१२८९	सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां	११८६
१२९०	कच्छ के खनिज संसाधन	११८७
१२९१	मध्य पूर्व के देशों से सांस्कृतिक सम्पर्क	११८७
१२९३	छात्रों द्वारा जापान का सांस्कृतिक दौरा	११८७
१२९४	मकान कर	११८७
१२९५	सीमा शुल्क	११८८
१२९६	बुद्ध की प्रतिमा	११८८
१२९७	कुल सम्पत्ति पर कर	११८८–८९
१२९८	बुद्ध स्मारक	११८९
१२९९	पंजाब में शिविर लगाने योग्य मैदान	११८९
१३००	ग्रासाम तेल कम्पनी	११८९
११९२	भारत-मिस्र व्यापार	११९०
ग्रतारांकित प्रश्न संख्या		
८०८	भारत सेवक समाज	११९०
८०९	शिक्षा तथा साहित्यिक संगठन	११९०–९१
८१०	राजस्थान में खाने	११९१
८११	त्रिपुरा में गैर-सरकारी हाई-स्कूल	११९१
८१२	दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था	११९१
८१३	ग्रावास सम्बन्धी सुविधायें	११९१–९२

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८१४	लोहा-अयस्क	११९२
८१५	खनिज निक्षेप . .	११९२
८१६	निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त . .	११९२
८१७	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में ठेकेदारों के न चुकायें गये बिल	११९३
८१८	तस्कर व्यापार .	११९३
८१९	छावनी बोर्ड . .	११९४
८२०	हायर सैकंडरी स्कूल .	११९४
८२२	वैदेशिक संपर्क विभाग . . .	११९४
८२३	अन्धों की संख्या का सर्वेक्षण . .	११९४–९५
८२४	मनीपुर के प्रविधिक कर्मचारी . .	११९५
८२५	सरकारी छात्रवृत्तियों पर विदेश भेजे गये विद्यार्थी .	११९५
८२६	कोलम्बो योजना . . .	१९९५–९६
८२७	जनसंख्या के आंकड़े . . .	११९६
८२८	वायुयान	११९६
८२९	शस्त्रास्त्रों का आयात . . .	११९६
८३०	गहन शिक्षा विकास . . .	११९६
८३१	शिक्षितों की बेकारी . . .	११९६
८३२	पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग .	११९७
८३३	भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौकियां .	११९७–९८
८३४	सांस्कृतिक मिशन . .	११९८
८३५	वायु प्रतिरक्षा रक्षित सेना	११९८
८३६	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण .	११९८
८३७	आदिम जातियों का समाज कल्याण .	११९८–९९
८३८	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड .	११९९
८३९	लोक सहायक सेना	११९९
८४०	भूतपूर्व सैनिक	११९९
८४१	डूंगरपुर और बांसबाड़ा जिलों में अनुसूचित आदिम जातियां	१२००
८४२	बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र .	१२००
८४३	विमानों का क्रय	१२००
८४४	तम्बाकू पर कर	१२००
८४५	सर्वस्वदान ग्राम .	१२०१
८४६	मनीपुर सचिवालय कर्मचारी .	१२०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

८४७	अपंगों की शिक्षा . . .	१२०१—०२
८४८	अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा अपील	१२०२
८४९	सरकारी कार्यालयों का पुनर्गठन . . .	१२०२
८५०	असिस्टैंट ग्रेड की परीक्षा . . .	१२०२
८५१	अभ्रक	१२०३
८५२	दिल्ली की प्राचीन वेधशाला . . .	१२०३
८५३	सोना	१२०३
८५४	औद्योगिक प्रशासन . . .	१२०३—०४
८५५	वैदिक गुरुकुल . . .	१२०४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१९०.

लोक-सभा

बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुइ ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२२ म० प०

नियम समिति

कार्यवाही का सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : श्रीमान्, मैं नियम समिति की ७ अगस्त, १९५६ की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—३४७/५६**]

सदस्य की नज़रबन्दी

†**श्री पुन्नूस** (अलेप्पी) : श्रीमान्, इससे पहले कि हम आगे कार्यवाही प्रारंभ करें, मैं एक ऐसी बात की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में इस सदन में और बाहर चिंता प्रगट की जा रही है । समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि श्री अ० क० गोपालन अपना उपवास जारी रख रहे हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को यह बात सदन में आने से पहले विदित नहीं थी ?

†**श्री पुन्नूस** : विदित थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मुझे पहले सूचित कर देते । वह मुझे एक पत्र लिख सकते थे । खैर, चूंकि यह बात इस सभा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में है, इसलिये मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खान पट्टे (शर्तों में रुपभेद) नियमों का प्रारूप

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा ७(२) के अधीन बनाये गये खान पट्टे (शर्त्तों में रूपभेद) नियम १९५६ के प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–३४८/५६]**

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यह प्रारूप नियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि सभा में नियमों पर चर्चा करने के लिये कुछ समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन नियमों के बारे में एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना होगा। यदि स्वयं अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध है जो संसद् को उनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता हो, तो समय आवंटित किया जायेगा और माननीय सदस्य अपने संशोधन भेज सकते हैं। इन प्रारूप नियमों का अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना है। माननीय मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव किया जायेगा कि उनका अनुमोदन किया जाये और सदस्यों द्वारा सूचनायें भेजी जायेंगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी स।म।त

उनसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला---भटिंडा) : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मोटरगाड़ी अधिनियम सम्बंधी याचिका

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री विश्वनाथ रेड्डी एक याचिका उपस्थापित करेंगे। यह कार्य-सूची में समाविष्ट नहीं हैं तथापि इसका अधिक महत्व नहीं है। श्री रेड्डी केवल एक याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं और यदि कोई माननीय सदस्य याचिका देखना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (चित्तूर) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में एक याचिका उपस्थापित करता हूं जिस पर एक याचक के हस्ताक्षर हैं।

सदस्य की नज़रबन्दी

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पुन्नूस।

†**श्री पुन्नूस** : श्रीमान्, मैंने इसके सम्बन्ध में आपको पहले इसलिये नहीं लिखा कि मेरा ख्याल था कि हमें कुछ जानकारी दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं। स्थिति यह है कि यदि सूचना दी जाती है तो उसकी प्रतियां माननीय मंत्रियों को भी भेजी जाती हैं। माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी होगी तो वह काम आयेगी।

†**श्री पुन्नूस** : श्री गोपालन को गिरफ्तार हुए सात दिन हो गये हैं समाचारों से ज्ञात होता है कि वह भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मित्र श्री रेड्डी वहां उनसे मिलने गये थे किन्तु स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है और उनकी लगातार नजरबन्दी से हमें काफी चिंता हो रही है। माननीय गृह-कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री हमें नवीनतम स्थिति की जानकारी दे सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका स्वास्थ्य अब कैसा है ? यदि कोई माननीय सदस्य, चाहे वह कोई भी हो कोई अपराध करने पर हिरासत में ले लिया जाता है तो इस बात की सूचना हमें दी जाती है। यदि वह जमानत देने से इंकार करता है तो अधिकारी उसे हिरासत में रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बतायें। उनके स्वास्थ्य की मौजूदा हालत के बारे में जानकारी देने के लिये मैं माननीय मंत्री से कह सकता हूं। माननीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। जो कुछ हुआ है उसे माननीय मंत्री ध्यान में रखेंगे और श्री गोपालन के स्वास्थ्य की मौजूदा हालत के बारे में सभा को जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, आपने अभी यह कहा है कि श्री गोपालन को एक अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा निवेदन है कि अन्य सम्बन्धित मामले में कर्फ्यू आर्डर के उल्लंघन के अपराध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह कहा है कि कर्फ्यू आर्डर का उल्लंघन कोई अपराध नहीं है जब तक कि अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं करता कि ऐसा आदेश भंग दूसरों को हानि अथवा चोट पहुंचाता है। श्री गोपालन इस निर्णय के बाद गिरफ्तार किये गये हैं। आप कृपया इस बात का ध्यान रखें और आवश्यक कार्यवाही करें।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : माननीय मंत्री से हमारा यह अनुरोध है कि उन्हें यह देखना चाहिये कि गिरफ्तारी १७ तारीख को हुई और चार्जशीट दी जाये अथवा नहीं इसका निर्णय करने के लिये सात दिन कैसे लगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक सभा के एक सदस्य की गिरफ्तारी और नजरबन्दी के बारे में मुझे अहमदाबाद के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मेजिस्ट्रेट से दिनांक १८ अगस्त, १९५६ का निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :

"दण्ड पुस्तिका, १९४७ के पृष्ठ ४७ पर दिये गये उच्च न्यायालय दण्ड परिपत्र संख्या १०३ के अनुसरण में, मुझे आपको यह सूचना देनी है कि लोक सभा के सदस्य श्री अ० क० गोपालन को अहमदाबाद की पुलिस ने कल लगभग ७-३०म०प० पर गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें इसके लगभग १ घण्टे के भीतर मेरे सामने पेश किया गया था। उनको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और १८८ के अधीन दण्डनीय अपराध किये हैं।

मेरे सामने पेश किये जाने पर मैंने श्री गोपालन को बता दिया था कि उन पर जमानत योग्य अपराध करने का अभियोग लगाया गया है और मैं उनको इस मुचलके पर छोड़ने को तैयार हूं कि वह मुकदमे के समय न्यायालय में उपस्थित हों। उन्होंने कोई भी मुचलका देने से इन्कार कर दिया।

तदनुसार संसद सदस्य श्री अ० क० गोपालन को १७ अगस्त, १९५६ को ८-३० म०प० पर हिरासत में ले लिया गया और उनको इस समय अहमदाबाद सेन्ट्रल जेल, साबरमती, अहमदाबाद में रखा गया है।"

यही नवीनतम जानकारी है जो कि मुझे प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री कल या संभव हो तो उससे पहले उनकी हालत के बारे में जानकारी सभा में देंगे। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है मैं यह नहीं जानता कि वहां की घटनाओं और स्वयं जमानत के बारे में माननीय मंत्री का अधीक्षणात्मक क्षेत्राधिकार क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब अधिकारियों के हाथ में ह। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं। जो भी जानकारी उपलब्ध हो, उसे माननीय मंत्री सभा के समक्ष रखेंगे।

†**श्री कामत** : उनके मित्रों को उनसे मुलाकात करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : वहां मुलाकात करने को अनुमति देने के लिये मंत्री महोदय का क्या क्षेत्राधिकार है यह मैं नहीं जानता। इस वाद-विवाद की एक प्रति माननीय मंत्री को भेजी जायेगी जो आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

*अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१-५२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९५१–५२ के आय व्ययक सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

*वर्ष १९५१–५२ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि (रुपये)
३	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	४,५४,७१५
९	प्रतिरक्षा मंत्रालय	२८,८०५
१५	पुरातत्व	८,१३०
३०	विविध विभाग	१०,४१,८६७
३३	अति वयस्कता भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	१,१८,३११
३४	विविध	१,२५,४३,८९३
३६	संघ और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५६,८५२
४६	भारतीय भूपरिमाप	३४,५८१
५५	असैनिक प्रतिरक्षा	१३,८७८
५८	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	३,२४,२१६
६४	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा	८८,२८९

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : अतिरिक्त अनुदान के बारे में मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : जैसा कि सभा को भलीभांति विदित है, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद ११५ (१) और ११५(२) हैं। विनियोग लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद जब कभी अतिरिक्त व्यय होता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह बताता है कि मंजूर किये गये अनुदानों के अतिरिक्त कितना व्यय हुआ है। यह मामला लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाता है। लोक लेखा समिति सभी अतिरिक्त व्यय की जांच करती है तथा अतिरिक्त व्यय की मदों को नियमानुकूल बनाने की सिफारिश करती है। इसलिये अनुच्छेद ११५(१) के अधीन ये मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्टपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभा को यह भी ज्ञात है कि इंग्लैंड और अन्य स्थानों में जिस राज्य कोष नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, वह हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां लेखा और लेखा परीक्षण दोनों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन होते हैं। हमने यह सिद्धान्त पहले ही स्वीकार कर लिया है कि लेखा और लेखा परीक्षण अलग करने चाहिये तथा इसके लिये कार्यवाही की जा रही है। आज स्थिति यह है कि हमें प्रस्तुत विपत्र को देखकर भुगतान करना पड़ता है। कभी कभी कुछ विप्रेषण भी होता है। कभीकभी लेखे में समायोजन होते हैं और इसलिये जो व्यक्ति भुगतान करता है वह यह नहीं जान सकता कि सभा द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों में से कितनी राशि व्यय की गई है। इसलिये ये अतिरिक्त व्यय हुए हैं। लेखा को लेखा परीक्षण से शीघ्रातिशीघ्र अलग करने की और विपत्रों को देख कर चैक द्वारा भुगतान करने की एक प्रणाली अपनाने की हमारी प्रस्थापना है ताकि जो व्यक्ति भुगतान करता है उसके समक्ष संसद द्वारा दी गई पूरी राशि रहे और चेक देने से पूर्व वह यह जान सके कि सभा ने जो राशि मंजूर की है, उसमें से अब तक कितना व्यय हो चुका है और कितना विकलन हुआ है। इसलिये लोक लेखा समिति द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की जांच तथा उनको नियमानुकूल बनाने की सिफारिश किये जाने के बाद उनपर मतदान कराने के लिये हमें अनुच्छेद ११५(१) के अधीन उन्हें संसद के समक्ष रखना पड़ता है।

यह राशि बहुत थोड़ी है। मांगों की संख्या १२९ है और केवल १९ मांगों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय हुआ है और वह भी लगभग ३·१९ लाख करोड़ रुपये है जब कि मंजूर की गई कुल राशि २१९४·३० करोड़ रुपये है। अतिरिक्त व्यय लगभग ०·१५ प्रतिशत है। यदि हम सारी बातों पर विचार करें तो हम यह देखेंगे कि मंजूर की गई २१९४·३० करोड़ रुपये की राशि में से जो व्यय हुआ वह २०९४·८२ करोड़ रुपये है।

इसलिये कुल बचत ९९·४८ करोड़ रुपये हुई है किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिये, जहां तक खाद्य और कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है लगभग १२५ लाख रुपये की राशि है। वहां वित्तीय सहायता दी जानी थी और कितनी राशि व्यय की जायेगी यह जानना सम्भव नहीं था। वर्ष के उत्तरार्ध में वित्तीय सहायता देकर अथवा हानि को समाप्त करके अधिकाधिक राशि दी जानी थी। दूसरा उदाहरण अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि का है। वहां यह व्यवस्था है कि खान श्रमिकों के कल्याण के लिये एक उपकर है और भारत से अन्य देशों को अभ्रक का निर्यात करते समय उसे एकत्रित किया जाता है। यह उपकर प्रशुल्क विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है किन्तु वर्ष के अन्त में जो कुछ इकट्ठा हुआ है वह इस निधि को दे दिया जाता है। हमने एक विशिष्ट राशि के एकत्र होने का अनुमान लगाया था किन्तु निर्यात काफी होने से वसूली अधिक अच्छी हुई है। इसलिये हमें वह ऋण उक्त निधि को देना पड़ा। इसलिये अतिरिक्त मांग की गई है।

वे ये मुख्य मदें हैं। अन्य छोटी मदें भी हैं। इस प्रकार कोई १७ मदें होती हैं जिन पर यहां वहां कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ है और इसलिये इन अतिरिक्त मांगों को मंजूर कराने के लिये हमें सभा से प्रार्थना करनी होती है। मैं ने संक्षेप में यही स्थिति बता दी है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरा औचित्य प्रश्न नियमानुकूलता के अधिक नहीं, औचित्य के ही सम्बन्ध में है।

इससे पता चलता है कि सरकार को व्यय पर संसदीय नियंत्रण की अधिक परवाह नहीं है। सरकार की बातों से किसी में भी विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता।

सात लाख रुपयों की एक छोटी सी मद के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा है कि महालेखा परीक्षक ने कुछ आपत्तियां की थीं, और उसके कारण लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझावों के बाद यह समायोजन करना पड़ा था। लेकिन और भी बड़ी बड़ी राशियां हैं, जिनके सम्बन्ध में यह तर्क ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

१,२५,४३,८९३ रुपयों के व्यय सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि वर्ष के आखिरी महीनों में विकलन आशा से अधिक हो गया था। इसका अर्थ यह है कि वर्ष १९५२ के मार्च महीने में सरकार को उसका पता चल गया था। तब सरकार चार वर्षों तक—१९५६ तक—चुपचाप कैसे बैठी रही ?

†**श्री म० च० शाह** : मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। यह औचित्य प्रश्न नहीं है। लोक-सभा इस पर अपना मत भी तो व्यक्त करेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : दूसरी मद है १,६७,३४,१६० रुपयों की। सरकार अपने ब्याज की दर जानती है, पर वह इस पर ब्याज की गणना क्यों नहीं कर सकी ? सरकार की कार्य-कुशलता यह है कि वह ३९,३७,२६५ रुपयों के स्थायी ऋणों पर ब्याज की गणना नहीं कर सकी। रेलवे राजस्व रक्षित निधि का पता उसको अगले ही वर्ष में लग गया था, पर वह चार वर्ष में भी उस पर दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं कर सकी।

इसके बाद, प्रश्न उठता है वर्ष १९५१–५२ के अतिरिक्त लाभ कर का। व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि सरकार ने उसी वर्ष इसकी गणना कर ली थी और वह रकम १,६०,६२,९२५ रुपयों की थी। लेकिन वह चार वर्षों तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही ? उसका समायोजन क्यों नहीं किया गया ? अनुच्छेद ११३ से ११७ तक के उपबन्धों के अनुसार सरकार विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना कोई व्यय नहीं कर सकती है। उसके पारित होने के बाद ही सरकार व्यय कर सकती है। केवल अनुदानों के स्वीकार किये जाने के बाद ही सरकार कोई व्यय नहीं कर सकती।

पता नहीं सरकार की व्याख्या कहां तक सही है। लेकिन अनुच्छेद ११५(१)(क) में स्पष्ट तौर पर इसकी व्यवस्था की गई है। इस उपबन्ध का उद्देश्य यही है कि व्यय पर संसदीय नियंत्रण होना चाहिये, जो उसको विधि का रूप देने पर ही सम्भव हो सकता है। चालू वर्ष में भी यदि सरकार यह देखती है कि वास्तविक व्यय अनुमित व्यय से अधिक होगा, तो उसे उसी वित्तीय वर्ष में अनुपूरक अनुदानों की मांग रखना चाहिये। एक प्रकार का विनियोग विधेयक पारित करने के बाद ही, व्यय किया जा सकता है।

अनुच्छेद ११५(१)(ख) के अनुसार, अतिरिक्त व्यय के लिये भी सरकार को उसी वित्तीय वर्ष में संसद् से मांग करनी चाहिये। लेकिन इन दोनों मामलों में तो सरकार ने अनुपूरक मांगों की मांग किये बिना ही वर्षों तक व्यय किया है।

ऐसी परिस्थिति में, मेरा अनुरोध है कि लोक-सभा को इसकी जांच करनी चाहिये और सरकार को भारत के संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिये। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में ही अनुपूरक अनुदानों की मांग करनी चाहिये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : प्रारम्भिक टिप्पणियों में कहा गया है कि अतिरिक्त व्ययों की जांच कर ली गई है और लोक लेखा समिति द्वारा उनके विनियमन की सिफारिश की गई है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या समायोजन करने के लिये सरकार को लोक लेखा समिति की सिफ़ारीश तक रुकने की आवश्यकता है ? वर्ष १९५१–५२के लेखों सम्बंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सरकार को वर्ष १९५३ और १९५४ में मिल गया था। उसके शीघ्र ही बाद सरकार को अनुपूरक मांगों द्वारा उसका व्यवस्थापन करना चाहिये था।

मांग संख्या ३ में दिया गया है कि विदेशों में स्थित भारत सरकार के व्यापार मिशनों से सम्बंधित कुछ समायोजन किये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय हो गया था। क्या व्यापार मिशनों के अधिकारियों द्वारा निकाली गई राशियों को करमुक्त कर दिया गया था ? क्या उन्हें करमुक्त करने के सम्बन्ध में कोई नियम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

विविध विभागों सम्बंधी मांग संख्या ३० में दिया गया है कि भारत की संचित निधि में से १०,४१,८६७ रुपये की एक राशि १९४६ के अधिनियम के अन्तर्गत अभ्रकखान श्रम-कल्याण निधि में स्थानान्तरित कर देनी पड़ी थी। उस श्रम-कल्याण निधि द्वारा कितनी राशि संचित की गई थी और दस लाख से अधिक की इस राशि को बिहार, आंन्ध्र और राजस्थान में किस प्रकार वितरित किया गया था ?

कुछ गणनायें गलत ढंग से भी की गई हैं। उदाहरण के लिये, राजस्थान से बिहार को अभ्रक भेजा जा सकता है और बिहार से बाहर के देशों को; इसी प्रकार बिहार से आन्ध्र को अभ्रक भेजा जाता है और आन्ध्र से बाहर के देशों को उसका निर्यात किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक मामले में तो राजस्थान और दूसरे मामले में बिहार को अभ्रक खान श्रम-कल्याण निधि के लाभ से वंचित होना पड़ता है। क्या रेलवे अधिकारियों के साथ परामर्श करके इसका उचित विनियमन नहीं किया जा सकता ? क्या इसके बाद, अब उसका उचित समायोजन नहीं किया जा सकता ?

अतिरिक्त लाभ कर के निक्षेपों के मामले में इतने अधिक समय तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? उसकी गणना तो उसी समय की जानी चाहिये थी और उसे अतिरिक्त लाभ कर जमा करने वालों के हिसाब में डाल दिया जाना चाहिये था।

लगभग १.६० करोड़ रुपयों के ब्याज की गणना को स्थगित करते जाने से, सरकार को हानि हुई है।

माननीय मंत्री बतायें कि सरकार के पास अभी अतिरिक्त लाभ कर निक्षेपों की कितनी राशि है, और क्या १९४२ के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत पुनः अदायगीयोग्य सभी निक्षेपों की अदायगी कर दी गई है ? मेरा अनुरोध है कि इन सब के ब्यौरों का एक विवरण लोक-सभा में प्रस्तुत किया जाये।

उचित तो यही था कि सरकार इस में इतना विलम्ब न करती और समय पर मांगें प्रस्तुत कर देती, ताकि इस समय अब तीन करोड़ से अधिक रुपयों का विनियमन न करना पड़ता।

अब सरकार को ऐसी अनियमिततायें नहीं होने देनी चाहियें।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को इस प्रकार अब प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मैं यही चाहता हूं कि सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाले धन पर अधिक संसदीय नियंत्रण होना चाहिये। सरकार को अपनी अनियमितताओं के लिये संसद की मंजूरी लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। चार वर्षों तक इनके विनियमन के लिये रुके रहने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

माननीय मंत्री ने इसका कारण यह बताया है कि बहुत समय तक लेखों (अकाउन्टस) और लेखा परीक्षा (आडिट) का पृथकीकरण नहीं हुआ था। आशा है कि अब एक-दो वर्षों में उसे सभी मंत्रालयों में पूरा कर लिया जायेगा।

मांग संख्या ९ में अतिरिक्त व्यय का कारण यह बताया गया है कि वर्ष के अन्त में एक अधिकारी ने अपने वेतन और भत्ते का बकाया अप्रत्याशित रूप में लिया था और पहले से उसकी व्यवस्था नहीं थी। इसे इतना संचित क्यों होने दिया गया था ? और यदि उस अधिकारी ने अपना पूरा भुगतान नहीं लिया था, तो सरकार को तो इसका अनुमान रहना चाहिये था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री क० कु० बसु]

चूंकि यह प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है, इसलिये मुझे इसकी और भी अधिक चिन्ता है। यह इसलिये कि संसदीय समितियों के कार्यकरण के समय हम यह देख चुके हैं कि प्रतिरक्षण सेवाओं के कुछ अभारतीय अधिकारी वेतनों और भत्तों के सम्बन्ध में कुछ अनियमिततायें करते हैं, और जब तक उनका पता चलता है वे अवकाश प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिये हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं कर पाते।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे वेतन और भत्तों के इस अपूर्वानुमित रूप से निकाले जाने के सम्बन्ध में अधिक ब्यौरा देने की कृपा करें। यह कोई साधारण बात नहीं ह, क्योंकि हमसे तो यही कहा जाता है कि अधिकारियों के पास इतना रुपया नहीं रहता है कि वे कुछ महीनों या वर्षों का बकाया इकट्ठा कर सकें। हो सकता है कि वह अधिकारी विदेश में भेजा गया हो और मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उसका बकाया अदा न किया जा सका हो।

इसलिये, यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

मांग संख्या ७३ में भी यही कारण दिया गया है कि कुछ देशी नरेशों को वर्ष के अन्त में अप्रत्याशित निजी थैलियां देनी पड़ी थीं। यह कारण मेरी समझ में नहीं आता। निजी थैलियों की मंजूरी तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। फिर उसका अनुमान क्यों नहीं किया गया था? वे अपनी निजी थैलियां समय पर इसलिये नहीं लेते हैं क्यों कि उनकी आमदनी के अन्य स्रोत भी हैं। लेकिन सरकार को तो अपने अनुमित व्यय में उसे सम्मिलित करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का अधिक ब्यौरेवार स्पष्टीकरण करें कि चार वर्ष तक उस विनियमित क्यों नहीं किया गया था। एक पंक्ति में उसका कारण बता देना पर्याप्त नहीं है। हमें वे परिस्थितियां बताई जानी चाहिये, जिनके कारण इनके समायोजन में इतना विलम्ब किया गया है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (जिला बनारस—पूर्व) : अतिरिक्त अनुदानों की इन मांगों के सम्बन्ध में हुई चर्चा से एक बात स्पष्ट है कि प्रशासकीय मंत्रालयों के लिये अपने लेखे स्वयं रखना आवश्यक है। इन अधिकांश मांगों का कारण यही है कि यथासमय लेखों में समायोजन नहीं किया गया था। यदि सम्बन्धित मंत्रालय स्वयं ही इस कार्य को करते, तो वे यथासमय अनुपूरक अनुदानों की मांग प्रस्तुत कर देते।

और भी अधिक खेद की बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश अतिरिक्त मांगें वित्त मंत्रालय से ही सम्बन्धित हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने ही मंत्रालय की ओर ध्यान नहीं दिया है।

यदि मंत्रालयों को अपने ही लेखा विभागों द्वारा व्यय की प्रगति का पता लगता रहता, तो ऐसी स्थिति ही उत्पन्न न होने पाती।

मैं एक बात की ओर लोक-सभा का ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं। टिप्पणियों से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय ने एकाएकी यह सोचा कि आय-कर, अतिरिक्त लाभ कर और सभी ब्याज भारों को अद्यतन बनाया जाये। इसीका परिणाम हुआ कि एक वर्ष विशेष में दायितायें एकाएकी बढ़ गईं। मैं पूछता हूं कि केवल कुछ विभाग विशेषों में ही क्यों बकाया चुकाने की यह चिन्ता प्रदर्शित की गई है? कई वर्षों से पड़ी हुई अन्य बकाया राशियों के समायोजन के सम्बन्ध में यह नहीं सोचा गया? इसके सम्बन्ध में कुछ और भी किया जाना चाहिये था।

इन समायोजनों की जांच पड़ताल करने का कार्य लोक लेखा समिति का ही है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि डा० एपिलबी ने इसी जांच पड़ताल के कार्य के लिये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और इस लोक-सभा की आलोचना की है। हम सभी सदस्य यहां इसी कार्य के लिये हैं कि हम यह देखें कि संसद द्वारा मंजूर की गई सीमाओं का अतिक्रमण न हो। यही हमारा उद्देश्य है। फिर इसके लिये कोई बाहर से हमारी आलोचना करे, और उस आलोचना

†मूल अंग्रेजी में।

को सभी सदस्यों में परिचालित किया जाये, तो यह उचित नहीं है। क्या डा० एपिलबी ने कभी भी लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के सदस्यों या सभापति से परामर्श करने का प्रयास किया था ?

मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि ये समितियां बड़े उपयोगी कृत्य करती हैं। इन अतिरिक्त मांगों का प्रस्तुत किया जाना भी उन्हीं के कार्य का परिणाम है। इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, क्यों कि आगे से मंत्रालय अपने व्यय पर नजर रखेंगे। इस चर्चा से हमें यही सबक लेना चाहिये। कोई भी मंत्रालय अपने व्यय पर ध्यान रखे बिना, अपने कृत्यों को कुशलता से नहीं निभा सकता है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि सम्बन्धित मंत्रालयों ने इतने वर्षों तक अपना लेखा स्वयं रखने से इन्कार क्यों किया। इसका दायित्व हम पर है कि हम इतने वर्षों तक मंत्रालयों में दायित्व की भावना उत्पन्न नहीं कर सके हैं। खेद तो इस बात का है कि वित्त मंत्रालय जैसे दायित्वपूर्ण मंत्रालय ने भी इतने दिनों तक इसका विरोध किया था। मैं चाहता हूं कि अब इस अवसर पर तो लोक-सभा यह जान ले कि हमारी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कौन निर्णय करेगा। यह एक गम्भीर बात है। कोई बाहर से आकर संसद की दो समितियों की इस प्रकार आलोचना करे और हमें उस के आधार का भी पता न रहे, यह उचित नहीं है।

अब मैं मांग संख्या ६४ को लेता हूं। यह एक उस निष्फल समिति—हीराकुंड बांध जांच समिति—के सम्बन्ध में की गई है जिसमें केवल अधिकारी ही थे और जो अनुमान से अधिक समय तक चालू रखी गयी थी। उसका प्रतिवेदन भी प्रकाशित या परिचालित नहीं हुआ है। उस पर अनुमान से अधिक व्यय भी हुआ है। इस सबका पता भी तब चला जब कि लोक लेखा समिति ने उसकी जांच की। मैं चाहता हूं कि लोक-सभा इसकी ओर ध्यान दे। इन ८० प्रतिशत समितियों के कार्य-काल के सम्बन्ध में सरकार का अनुमान गलत ही रहता है और उसे बाद में बढ़ाना पड़ता है। मैं समिति विशेष के कार्य के ढंग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिये और पहले से उनका कार्य-काल कम नहीं रखना चाहिये। यह उचित नहीं है कि समितियों के सदस्य बाद में समय के बढ़ाये जाने की मांग सरकार के सामने रखें। हमें इसका ज्ञान होना चाहिये कि उचित रूप में किस कार्य में कितना समय लग सकता है। समितियों को दो-तीन महीने तो अपने ज्ञापनों या प्रश्नावलियों के उत्तर पाने में ही लग फिर जाते हैं। कम से कम एक महीना ज्ञापन या प्रश्नावली को तैयार करने में लग जाता है। फिर दो तीन महीने साक्षियों का साक्ष लेने और प्रतिवेदन तैयार करने में लग जाते हैं। फिर भी समितियां केवल छः माहों के लिये नियुक्त की जाती हैं। हमें आरम्भ से ही उनको उचित समय देना चाहिये। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अतिरिक्त मांगों को देखने से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना नगण्य परन्तु विस्तृत लेखा सरकार अथवा वित्त मंत्रालयों की परिनिरीक्षण के लिये नहीं दिया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने ८९ करोड़ रुपये की एक अनुपूरक मांग को स्वीकृत किया था। अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करना स्वाभाविक ही समझा जाने लगा है। सभा में अतिरिक्त अनुदान की मांगें प्रस्तुत करना कोई साधारण बात नहीं होती है। केवल आयात के समय में ही ऐसा किया जाता है। यदि आप हाऊस आफ कामन्स के अभि-लेखों को देखें तो आपको पता चलेगा कि अतिरिक्त मांगें बहुत कम अवसरें पर प्रस्तुत की जाती हैं। युद्ध-काल में केवल एक ही अवसर पर अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत की गई थीं। उस राशि के लिये, जो १९५१–५२ में खर्च की जा चुकी है, अब अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की जा रही है। इतनी देर सरकार क्या करती रही ? इस गलती का उत्तरदायित्व किस पर है ?

इससे पता चलता है कि विभिन्न मंत्रालयों में किस प्रकार धन का अपव्यय हो रहा है। यह तो केवल १९५१–५२ के बारे में ही है और न जाने कितने इस प्रकार के लेखे और निकलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेलायुधन]

एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल का उदाहरण दिया गया जो इंग्लैंड और अन्य योरूपीय देशों को गया था और उच्च आयुक्त के कार्यालय की ओर से उस पर खर्च किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह विलम्ब और इतना अधिक खर्च क्यों हुआ ?

आज से दो मास पूर्व हमने महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को पढ़ा था और मेरा विचार है कि उसे पढ़ने से किसी भी समझदार व्यक्ति का सर शर्म से झुक जायेगा। उस में यह भी बताया गया था कि किस प्रकार एक आई० सी० एस० पदाधिकारी ने उच्चायुक्त के द्वारा अवैध रूप से एक मोटर कार खरीदी थी। इस प्रकार की बातें होती हैं। सरकार को इस बारे में छानबीन करनी चाहिये और सोचना चाहिये कि धन का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है।

श्री त्रि० न० सिंह एपलबी रिपोर्ट पर दोष लगा रहे थे। उस प्रतिवेदन में संसद को दोषी ठहराया गया है। मैं भी अनुभव करता हूं कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के होते हुए भी संसद् ने भारत सरकार के वित्त पर पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रखा है। सरकार ऐसे ढंग में काम करती है कि अनियमितताओं का उस समय पता चलता है जब कि सम्बन्धित कर्मचारी या तो सेवा से निवृत्ति हो चुके होते हैं अथवा धन लेकर विदेश जा चुके होते हैं।

खर्च पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण भारत सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। बहुत अपव्यय हो रहा है। मैं पूछता हूं कि अतिरिक्त अनुदान की क्या आवश्यकता है ? क्या आप इस बात का पता लगाने के लिये तैयार हैं कि इसके लिये कोनसे पदाधिकारी उत्तरदायी हैं और क्या आप उन्हें दण्ड देंगे ? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप तो एक नौकरशाही सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। इस हालत को बदलना पड़ेगा। देश के लोग जानते हैं कि सरकार इस प्रकार से धन को अपव्यय कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल अतिरिक्त मांग को घटाने अथवा उसका भुगतान रोकने के बारे में कह सकते हैं। सारे आय व्ययक के सम्बन्ध में वह भाषण नहीं दे सकते। सामान्य अपव्यय के बारे में वह अगले वर्ष के आय व्ययक पर चर्चा करते समय कह सकते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : सरकार को इन अतिरिक्त मांगों का परीक्षण करके अपराधी पदाधिकारियों को दण्ड देना चाहिये।

†**श्री म० च० शाह** : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय सदस्य को इस ढंग में बोलने से रोक दिया। वह वित्त विशेषज्ञ हैं या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। उन्हें प्रति वर्ष ४८०० रुपया और २१ रुपये प्रतिदिन मिलता और वर्ष की समाप्ति पर उन्हें भी कुछ समायोजन करना पड़ता होगा और यह तो २,१९४ करोड़ रुपये का लेखा है; मैं पहले बता चुका हूं कि २,०९४ करोड़ रुपये का व्यय हुआ। वस्तुतः लगभग ९९ करोड़ रुपये की बचत हुई थी, परन्तु वर्तमान पद्धति के कारण कुछ अधिक खर्च हो गया है। माननीय सदस्य को विदित होना चाहिये कि ब्रिटेन की तरह यहां राज्य कोष पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं है। यहां लेखा और लेखा परीक्षा एक ही अभिकरण अर्थात् नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किये जाते हैं। हम ने कई बार कहा है लेखा और लेखा परीक्षा को अलग किया जाना चाहिये और उन्हीं को भुगतान करना चाहिये जो लेखा रखते हैं। इस समय भुगतान वह पदाधिकारी नहीं करता है जो लेखा रखता है। अतः भुगतान करने वाले व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता कि वह मांग से अधिक भुगतान कर चुका है।

मैं पहले बता चुका हूं कि १९५१–५२ के लिये प्रदत्त २,१९४ करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर ३·२९ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यदि वह माननीय सदस्य, जिन्होंने अन्त में भाषण दिया, मांग की जांच करें तो उन्हें पता चलेगा कि दो मदें हैं, एक-एक करोड़ ६७ लाख रुपये की है और दूसरी एक करोड़ २५ लाख रुपये की है। इन दोनों का ही कुल जोड़ २ करोड ९२ लाख रुपये ही जाता है। एक करोड़ २५ लाख रुपये की दूसरी मांग १९५१–५२ में सारे देड़

†मूल अंग्रेजी में।

को अर्थ-सहायता-प्राप्त अनाज का संभरण किये जाने के कारण ही की गई है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि लोगों को किये गये अनाज के संभरण पर कितनी अर्थ सहायता देनी होगी। इसमें त्रावणकोर-कोचीन राज्य का हिस्सा सबसे अधिक है। १२५ लाख रुपये की राशि इस अर्थ-सहायता के कारण की गई है। जो हानि हुई वह भी देनी पड़ी। पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय हमें ठीक ठीक मालूम नहीं था कि कितनी राशि की आवश्यकता थी। अर्थ-सहायता और हानि की राशि का भुगतान किये बिना काम नहीं चल सकता था। १,६०,००,००० रुपये की धनराशि करदाताओं को अतिरिक्त लाभ कर आदि की निक्षिप्त राशियों के ब्याज के रूप में दी गई। १९५१–५२ में ऐसे सभी मामलों को निपटा देने का इरादा किया गया था इसलिये उनका समायोजन करने में हमें इतनी धनराशि देनी पड़ी। यदि हम पेशगी भुगतान ले लेते तो वित्त विधेयक और आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हमें उस पर ब्याज देना पड़ता। क्योंकि हमने इन सभी मामलों का निपटारा कर दिया। इसलिये हमें इन निक्षेपों का कर निर्धारण मांगों से समायोजन करना पड़ा और सरकार ने जो पेशगियां ले रखी थीं उन पर उसे ब्याज भी देना पड़ा। इसमें क्या गलती है? क्या माननीय सदस्य को मामलों के निपटाये जाने के आन्दोलन पर या उन व्यक्तियों को जो किसी अधिनियम की किसी धारा विशेष का अनुसरण करते हुए सरकार को पहले ही पेशगी दे चुके थे, ब्याज का भुगतान किये जाने पर आपत्ति है?

यदि माननीय सदस्य सावधानी से मांगों को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि १६० लाख रुपये की राशि ब्याज के तौर पर उन लोगों को दी गई जिन्होंने अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत पहले ही सरकार के पास रुपया जमा करा दिया था। क्या आप यह चाहते हैं कि पूर्ण रूप से समायोजन किये जाने पर सरकार उन्हें ब्याज न देती? १९५१–५२ में इसकी आशा नहीं थी। यह मालूम नहीं था कि मंत्रालय के निदेशों के अनुसार आय-कर के सभी मामलों का निबटारा कर दिया जायेगा। अधिकतर मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना था और वह कर दिया गया।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं प्राय: १० लाख रुपये की एक और राशि अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के बारे में है। यह अतिरेक इसलिये हुए क्यों कि अभ्रक का काफी निर्यात हुआ था। वर्ष की समाप्ति पर हमें यह राशि देनी पड़ी। यदि आप इन आंकड़ों को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि इन बातों का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, अत: उन भारों को चुकाना था और भुगतान किये गये और यह अधिक भुगतान स्वीकृत मांग की राशि में से किये गये।

अब इसे संसद के समक्ष रखने में विलम्ब होने का प्रश्न है। माननीय सदस्य जानते हैं कि विनियोग लेखे नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष की समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं। उसे प्रत्येक रसीद को देखना होता है और संसद् द्वारा दत्तमत प्रत्येक मद् से मिलाना होता है। माननीय सदस्य मांगों और उनके ब्योरे के बारे में जानते हैं। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को इस समस्त ब्योरे की जांच करनी होता है और लेखा भी वही तैयार करता है। एक वर्ष का लेखा तैयार करने में तीन वर्ष से भी अधिक समय लगता है। १९५१–५२ का लेखा अन्तिम रूप से ५ मार्च, १९५५ को तैयार हुआ। अन्तिम लेखा तैयार होने पर ही वह हमें यह बता सकते हैं कि दत्तमत राशि से अधिक का भुगतान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद ११५(१) के उपबन्धों के अन्तर्गत हमें अतिरिक्त अनुदानों की यह मांगें संसद् के समक्ष प्रस्तुत करनी थीं। इससे पूर्व हम पहले ही प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४१(४) को बना चुके थे, जिसके अन्तर्गत लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे की जांच किये जाने और सिफारिशें किये जाने के पश्चात ही यह अतिरिक्त विनियमित किये जाने होते हैं। लोक लेखा समिति ने मई, १९५६ में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में यह कार्य किया, और उसने सिफारिश की कि यह अतिरेक अनुच्छेद ११५(१) के अन्तर्गत विनियमित किये जाने चाहियें। उसके पश्चात, उस सत्र में हमने अनुदानों की यह अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत कीं। मेरी समझ में नहीं आता कि विलम्ब कहां हुआ है। वित्त मंत्रालय अथवा सरकार द्वारा कोई

[श्री म० च० शाह]

विलम्ब नहीं किया गया है। जब तक इस पद्धति को नहीं बदला जाता है और राज्य कोष पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं किया जाता तब तक ऐसी बातें होती ही रहेंगी और अतिरिक्त अनुदानों पर संसद को मतदान करना पड़ेगा।

कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम २४१(४) के अन्तर्गत अतिरेकों का विनियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे की जांच किये जाने और विनियमन की सिफारिश किये जाने के पश्चात् ही किया जाता है।

जैसा कि मैंने लोक सभा को अभी बताया समिति ने १९५६ में सिफारिशें की और इस सत्र में हमने अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत कर दीं। इस मामले को लोक-सभा के समक्ष रखने में सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अन्तिम विनियोग लेखे तैयार करने में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को भी कुछ समय लगता है और अन्य कई कठिनाइयां भी होती हैं। हमने लेखे को लेखा-परीक्षा से अलग करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। कुछ मंत्रालयों में हमने ऐसा करना आरम्भ भी कर दिया है और हम इसे सभी मंत्रालयों और राज्यों में लागू करना चाहते हैं, परन्तु कर्मचारी-वृन्द की कठिनाई पैदा होती है और अन्य कठिनाइयां भी हैं। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक भी इस योजना को शीघ्र ही चालू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लेखे को लेखा-परीक्षा से अलग कर दिया जाये। उसके पश्चात भुगतान चेकों द्वारा किया जायेगा और वह पदाधिकारी जो भुगतान करेगा और लेखा रखेगा उसके समक्ष संसद् द्वारा दत्तमत राशियां होगी और यदि कोई अतिरिक्त भुगतान करना होगा तो वह तुरन्त उस भुगतान को रोक कर इस बात को सरकार के ध्यान में लायेगा, और सरकार तुरन्त ही संसद् में अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करेगी। सरकार को अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के लिये प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? इससे सरकार को या नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती है। वह भी यही चाहते हैं। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होने के नाते सभा को यह जानने का अधिकार होता है कि यह अतिरेक कैसे हुआ। यदि माननीय सदस्य इन बातों को ध्यान से देखें तो वे अनुभव करेंगे कि इन का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था?

मुझे आशा है कि अब सभा को जो सूचना दी गई है उससे सभा को संतोष होगा कि कोई विलंब नहीं हुआ है और अधिक अनुदान की कोई मांग ऐसी नहीं है जिसका पहले अनुमान लगाया जा सकता था। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इन अधिक मांगों से सहमत होगी।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं नहीं समझता कि विनियोग लेखा की प्रणाली ऐसी है जिसमें इतना विलंब हो सके। विभाजन तथा युद्धोत्तर वर्षों के कारण हमारे लेखे बकाया रह गये थे। इसी कारण विलंब हो गया। माननीय मंत्री का इस प्रणाली को दोष देना सर्वथा गलत है। इससे यह प्रतीत होता है कि लेखा और लेखा परीक्षा प्रणालियां ऐसी हैं कि जिनके कारण ३–४ वर्ष तक का विलंब हो जाता है। इस धारणा को ठीक किया जाना चाहिये। प्रणाली को दोष देना ठीक नहीं।

†**श्री म० च० शाह** : मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैंने केवल यह कहा था कि इन कठिनाइयों के कारण १९५१–५२ के लेखे अन्तिम रूप में मार्च '५५ में तैयार किये गये थे। जब सरकार पर विलम्ब करने का आरोप लगाया गया था तो मैंने यह कहा था। मैंने कहा था कि ५ मार्च १९५५ को अन्तिम रूप से लेखा बन कर पूर्ण हुआ या उसके उपरांत लोक लेखा समिति ने इन अधिक मांगों की जांच की और विनियमन करने की सिफारिश का संकल्प मई १९५६ में पारित किया गया। बल्कि मैंने यह कहा कि लेखा परीक्षण से लेखा प्रणाली को पृथक करने की आवश्यकता है और इसमें शीघ्रता की जानी चाहिये। ऐसा कर दिये जाने पर अधिक मांग का कोई मामला नहीं होगा या बहुत कम मामले होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : नियम २४१(४) का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है। मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार, जब उसने अधिक खर्च कर दिया हो तो वह अपने आप विनियोग नहीं कर सकती है और तब तक उसे अनिवार्य रूप से इसे निलंबित करना चाहिये जब तक कि लोक लेखा समिति इसकी सिफारिश न करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आय व्ययक में वर्ष भर में होने वाले इस समस्त व्यय का जिसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता हो, उपबन्ध होना चाहिये और यदि वह पारित हो जाय और विनियोग विधेयक भी पारित हो जाये तो अनुच्छेद ११४ के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यय नहीं किया जा सकता जिसका विनियोग विधेयक में उपबन्ध न किया गया हो। किन्तु कुछ ऐसे कामों के लिये जिनका पहले अनुमान नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद ११५ में अपवाद किया गया है, किन्तु उसी वर्ष में उनके लिये सभा की पूर्व मंजूरी होनी चाहिये। यदि किसी परिस्थिति में कुछ धन वर्ष के अन्त में देना अनिवार्य हो, और अनुपूरक मांगों के रूप में उनको सभा के सामने रख कर अनुमति लेने का समय न हो, तब अनुच्छेद ११६ के अन्तर्गत संचित आकस्मिकता निधि से धन खर्च किया जा सकता है।

इसलिये सरकार को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आने और लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। मांग ७५ उल्लखित में निधियों के उपबन्ध के लिये राज्य सरकार ने मार्च १९५२ में प्रार्थना की थी। तब अनुपूरक विनियोग की मांग करने के लिये देरी हो चुकी थी। आय व्ययक फरवरी के अन्त में पेश किया जाना था। वित्त मंत्रालय को इस सम्बन्ध में मालूम था और इसे हमें धन राशि को अनुपूरक विनियोग के रूप में सभा के सामने लाना चाहिये था। इस मामले में इतना विलंब क्यों किया गया। अधिक मांग या अनुपूरक मांग तुरन्त प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये। वह प्रत्येक सत्र में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

नियम २४१ (४) का उल्लेख किया गया है। इस नियम का गलत निर्वचन किया जा रहा है। इसमें कहीं भी यह नहीं है कि सरकार को तब तक अतिरिक्त मांगों को सभा के समक्ष नहीं रखना चाहिये जब तक कि लोक लेखा समिति इसकी जांच न कर ले।

†**श्री म० च० शाह** : यदि आपका यह विनिर्णय है तो हम इसका पालन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरा पहली बार का विनिर्णय नहीं है। ज्यों ही सरकार को सूचना मिले, उसे इसे विनियमित किये जाने की प्रार्थना करनी चाहिये। यदि यह मांगें तुरन्त लोक लेखा समिति को प्रस्तुत कर दी जायें और वह उनकी जांच करके सभा के सामने तक न रखे, तो सभा यह निश्चय कर सकती है कि वह अधिक मांग की अनुमति दे या न दे। परन्तु लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के मिलने तक, इसे सभा के सामने न लाना सर्वथा गलत है। इस विषय में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

इसलिये सरकार को सूचना मिलते ही सभा को बताना चाहिये और अनुपूरक अनुदान या अधिक अनुदान की मांग करनी चाहिये।

यह प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये कि अधिक व्यय करके संसद से उसे छुपाने का प्रयत्न किया गया है। इसलिये सभा को बहुत सतर्क रहना चाहिये। वित्त मंत्रालय को भी अधिक व्यय के बारे में सतर्क रहना चाहिये। लेखा परीक्षण के लेखापालन से पृथक न होने का बहाना नहीं किया जा सकता है। अतः मैं आशा करता हूं कि इसके पश्चात वित्त मंत्रालय इस विषय में अपना दृष्टिकोण बदलेगा।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : यदि अधिक व्यय सम्बन्धी विनियोग लेखा के बारे में अधिक अनुदान की मांग सभा के सामने रखी जाती है और सभा उसे मंजूर कर देती है, तब बाद में लोक लेखा समिति द्वारा उसकी जांच किये जाने में कोई सार नहीं है, क्योंकि वह संसद् के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती है। नियम में लिखा है कि लोक लेखा समिति इन लेखाओं की जांच करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

जब सभा मंजूरी दे देती है तब लोक लेखा समिति अपना कार्य नहीं कर सकती। आपने कहा कि नियमों के अन्तर्गत सरकार लोक लेखा समिति की अवहेलना कर सकती है और अधिक व्यय के बारे में सभा से मंजूरी ले सकती है। परन्तु संविधानिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से क्या यह उचित है कि इस कार्य से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति इसके बारे में सभा को अपना मत बताने में असमर्थ रहे? इस समिति को अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

अत: या तो इस सभा से अधिक व्यय की जांच करने का कार्य ले लिया जाये, या इसे ऐसे मामलों की विस्तारपूर्वक जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाये। अन्यथा एक बार सभा की मंजूरी मिलने के बाद समिति का कार्य बड़ा कठिन हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस बात का उत्तर यह है कि धन खर्च होने के उपरांत ही अधिक अनुदान की मांग बाद में या अगले वर्ष की जाती है। तब तक यह अनुपूरक मांग के रूप में रखी जा सकती है। अत: इस विषय में लोक लेखा समिति की सहायता की क्या आवश्यकता है?

यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो तीन दिन पहले व्यय का अनुमान लग जाये तो धन खर्च करने के बजाय, सभा से मंजूरी ले ली जानी चाहिये। इस अवस्था में लोक लेखा समिति की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

साधारण व्यय के बारे में हम अनुमानित राशि की मंजूरी देते हैं, और व्यय के बढ़ जाने पर आलोचना करते हैं। मैं एक वैकल्पिक उपाय बताता हूं। वर्षों तक प्रतीक्षा करने की बजाये ज्यों ही वित्त मंत्रालय यह देखे कि अधिक भुगतान हो गया है तो मैं लोक लेखा समिति को दो तीन दिन में मामले की जांच करके अन्तीम प्रतिवेदन देने के लिये कहूंगा। उसकी मंत्रणा प्राप्त हो जायगी और हमें व्यर्थ में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य यही है कि लोक लेखा समिति भी इनकी यथाशीघ्र जांच करे और महालेखा परीक्षक भी यथाशीघ्र इन मामलों की जांच करें।

प्रश्न यह है :

कि कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दी गयी राशियों से अनधिक अतिरिक्त, राशियां, दूसरे स्तम्भ में दिये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिये दी जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[जो अतिरिक्त मांगें, सभा द्वारा स्वीकृत की गयीं, वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	वाणिज्य सम्बन्धी सूचना तथा आंकड़े	४,५४,७१५
९	प्रतिरक्षा मंत्रालय	२८,८०५
१५	पुरातत्व	८,१३०
३०	विविध विभाग	१०,४१,८६७
३३	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	१,१८,३११
३४	विविध	१,२५,४३,८९३
३६	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविंध समायोजन	५६,८५२
४२	भारतीय भू-परिमाप	३४,५८१
५५	असैनिक प्रतिरक्षा	१३,८७८
५८	अन्दमान और निकोबार द्वीप	३,२४,२१६
६४	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	८८,२८९

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने १९५१–५२ सम्बन्धी अधिक अनुदानों की मांगों को निपटा दिया है। आशा है १९५२–५३ और १९५३–५४ आदि से सम्बन्धित मांगें भी शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेंगी।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)**: हमें आशा करनी चाहिये कि उन वर्षों में ऐसे मामले नहीं होंगे।

†**श्री म० च० शाह** : हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से एक टिप्पणी तैयार करेंगे और यदि कोई कठिनाई होगी तो उससे आपको सूचित करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों संबंधी प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों, १९५५ में परिवर्तन करने के बारे में १३ अगस्त, १९५६ को रखे गये प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार करेगी।

तीन घण्टे के समय में से १ घण्टा और ४० मिनट बचे हैं। यदि पण्डित भार्गव १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकें, तो मैं दूसरे सदस्यों को कुछ समय दे सकूंगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : पहले मैं आय-कर अधिनियम के बारे में यह कहूंगा कि मैंने पहले भी यह संशोधन रखा था जिसका आशय यह था कि जिस अविभाजित हिन्दू परिवार में परिवार के सब सदस्य जो विभाजन के अधिकारी हैं और १८ वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा पृथक् पीढ़ी के सदस्य जो १८ वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं, सम्मिलित होंगे। इनकी ये दो श्रेणियां बनती हैं। इन दोनों श्रेणियों के बारे में विचार किया गया था। तब वित्त मंत्री ने ११ अगस्त, १९५० को भारतीय वित्त संशोधन अधिनियम रखा जो पास हो गया। फिर उसमें संशोधन किया गया। उसका उद्देश्य था कि यदि व्यक्ति दूसरी पीढ़ी से है और १८ वर्ष से कम आयु का है तो आय-कर के लिये उसे गिना जायगा। वित्त मंत्री पति, पत्नी और अवयस्क को इस नियम के अन्तर्गत लाना चाहते थे, क्योंकि विभाजन की अवस्था में पत्नि को अपना अंश लेने का अधिकार होता है। इस पर मैंने आपत्ति उठाई थी कि पंजाब में रुढ़ि के अनुसार पुत्र को विभाजन का दावा करने का अधिकार नहीं है। इस पर वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण किया था कि इस उद्देश्य के लिये मिताक्षरा परिवार के पुत्र को विभाजन का दावा करने का अधिकार होगा चाहे रुढ़ि कुछ भी हो। इस प्रकार पंजाब में रुढ़ि को निराकृत किया गया और पुत्र को विभाजन कराने का अधिकारी बनाया गया। १९५४ तक यही स्थिति रही। परन्तु १९५५–५६ में इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया। इन दोनों उपबन्धों के बीच जो अन्तर है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

१९५५–५६ के अधिनियम में "विभाजन का दावा करने का अधिकारी नहीं" शब्द जोड़ दिये गये थे। इसका अर्थ यह था कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध था १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को विधि के अन्तर्गत नहीं रखा गया था। जब यह प्रतिकर विधेयक सदन के समक्ष था तो श्रीमती सुचेता कृपालानी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था, जिसका निर्देश मैं पहले ही कर चुका हूं। श्री अजीत प्रसाद जी इस बात पर सहमत हो गये थे कि आय-कर के सिद्धान्तों को इसमें समाविष्ट किया जायेगा। किन्तु जब यह नियम बनाये गये तो उनमें संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई उल्लेख नहीं था। जब यह नियम मंत्रणा बोर्ड के समक्ष आये तो उसने एक प्रतिवेदन दिया जिसे माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया। मंत्रणा बोर्ड के प्रतिवेदन में हमने स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया और उसमें यह कहा कि, "यद्यपि हम यह सिफारिश करते हैं तब भी हम इस बात के प्रति सजग है कि इसके परिणामस्वरूप दावे के आवेदन पत्रों की अग्रेतर जांच करनी आवश्यक होगी और प्रतिकर की वर्तमान दर के आधार पर कुछ अतिरिक्त निधि आवश्यक होगी,

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

और दरों का पुनरीक्षण करना भी आवश्यक होगा।" मंत्री महोदय द्वारा बताये गये कारणों आदि पर मंत्रणा बोर्ड ने विचार किया था और उसने इस सिफारिश को क्रियान्वित किये जाने के लिये कहा था।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : सिफारिश की तिथि क्या है?

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : सिफारिश नियम बनने से बहुत पहले की गयी थी। बोर्ड ने प्रतिकर की दरों की जांच करने के पश्चात कुछ सुझाव दिये थे। माननीय मंत्री ने प्रतिकर की दरों की स्वीकृति देकर उनको नियमों में समाविष्ट कर लिया था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने जिस संशोधन का सुझाव दिया था उसमें कहा गया था कि १४ अगस्त १९४७ को जिस हिन्दू अविभाजित परिवार में कम से कम दो सदस्य, विभाजन कराने के अधिकारी थे उसके मामले में प्रतिकर सत्यापित दावे के मूल्य को दो बराबर हिस्सों में बांट कर निश्चित किया जायेगा और दोनों का हिस्सा नियम २० के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। इसके पश्चात यह राशि हिन्दू विधि के अनुसार परिवार के सदस्यों में आवंटित कर दी जायेंगी। १९४९ से १९५४ तक यही स्थिति थी। हमने तमाम व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के पश्चात यह सिफारिश की थी, परन्तु माननीय मंत्री ने उसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वित्त अधिनियम १९५५ की व्यवस्थाओं के अनुसार नियम बना लिये। हम जानते हैं कि जब इन नियमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया क्या थी। उस समय के उनके वक्तव्य को देखने से पता चलता है कि उनका यह तर्क कितना गलत है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि एक वयस्क पुत्र सम्पत्ति के अंश का अधिकारी था। १४ अगस्त, १९५५ को भी माननीय मंत्री ने कहा था :

"लाला अचित राम इससे भले ही इत्तिफाक (सहमत) न करें लेकिन हमने पंजाब में यह किया है कि वहां पर भी एक बाप और उसके चार बेटों को पांच हिस्सों में जमीन बांटी है। अगर वह नाम जानना चाहेंगे तो मैं प्राईवेटली (निजी रूप से) उनको उनके नाम बतला दूंगा। यह नहीं किया कि बाप का एक हिस्सा और जो चार उसके जवान बेटे हैं और जो बड़े हैं उनको हमने इगनोर (उपेक्षा) कर दिया हो, उनके क्लेम (दावे) को हमने रद्द नहीं किया।"

यह उस समय था जब कि संशोधन प्रस्तुत किये गये थे और श्री नि० च० चटर्जी ने यह आपत्ति उठाई थी कि वयस्क और अवयस्क पुत्रों में उत्तराधिकार के अधिकार के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि दोनों को ही यह अधिकार जन्मसे ही होते हैं। उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था :

"अब जहां तक खानदान मुश्तर्का (अविभक्त परिवार) का सवाल है उसके बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव की थोड़ी सी मदद चाहूंगा। खानदान मुश्तकि और एक नाबालिग मेम्बर का सवाल वह तो हिन्दुस्तान के एक बड़े वकील ने उठाया है।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : शायद उन्होंने आपकी ओर निर्देश किया था।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : उन्होंने श्री नि० चं० चटर्जी का उल्लेख किया था। मैं बड़ा वकील नहीं हूं।

"अब मैं कुछ ज्यादा कानून नहीं जानता हूं लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको एग्जैमिन (जांच) कराऊंगा। एग्जैमिन कराने के बाद अगर रूल में अमेंडमेंट (संशोधन) की जरूरत हुई"

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैंने अन्तरयण करके यह कहा :

"दस वर्ष से यह प्राविजन (उपबन्ध) फाइनेंस बिल (वित्त विधेयक) में चली आती है और आपने भी वही किया है।" यह उनका उत्तर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है :

"यह ठीक है, यह दुरुस्त है। चटर्जी साहब भी कहते हैं कि उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। यह एक चीज मैंने आपकी सेवा में रखी थी जब आप सदर की कुर्सी पर रौनकअफरोज (सुशोभित) थे। वह चीज यह है कि मान लीजिये कि तीन भाई थे और एक भाई पाकिस्तान में आने से पहले मर गया और उसके दो या तीन नाबालिग बच्चे हैं। दो भाई पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आ गये....

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह असली चीज है जो आप कह रहे हैं। यह ठीक है और दुरुस्त है। आपने जो अभी चीज पढ़ी वही दुरुस्त है। मेरे माननीय मित्र का निर्वचन ठीक नहीं है।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं उसे पुनः पढता हूं "दस वर्ष से यह प्राविजन फाइनेंस बिल में चली आती है और आपने भी वही किया है"।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह ठीक है, यह दुरुस्त है। जरा उसके आगे तो बढ़िये।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगे का भाग पढ़िए।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं पढ़ता हूं परन्तु वह मुझे मजबूर नहीं कर सकता "दस वर्ष से यह प्राविजन फाइनेंस बिल में चलीं आती है और आपने भी वही किया है।" और वह आगे कहते हैं : "बाकी रहा यह सवाल कि उनको आये हुए आठ वर्ष हो गये, क्लेम तो आज देने लगे और इसमें तुमने नाबालिग की उम्रे ले ली १४ या १५ अगस्त, १९४७ की, यह कुछ नावाजिब नजर आता है। हमारा इरादा यह है कि हम इसको भी एग्जैमिन करायें और देखें कि कहीं इसमें कोई खास दिक्कत पैदा तो नहीं होती। तो हमारा इरादा यह है कि २६ सितम्बर, १९५५ जिस दिन कि क्लेम दाखिल होने की आखिरी तारीख है उस दिन हम जो मुश्तरका खानदान हैं उसमें जो नाबालिग हैं, कानून के लिहाज से भी नाबालिग हैं और फाइनेंस ऐक्ट के हिसाब से भी नाबालिग हैं तो वह नाबालिग ही ले लिया जाये। अगर वह बालिग है उस दिन तो हम कंसिडर (विचार) करने के लिये तैयार हैं।"

यह था उनका वक्तव्य। वह किसका उल्लेख कर रहे थे। अवयस्कों के बारे में उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको यह अधिकार मिलना है उस दिन वे अवयस्क होने चाहिएं। वयस्क पुत्रों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यदि वह अगस्त १९४७ में अवयस्क थे और अब वयस्क हो गये हैं तो उन्हें अधिकार होगा अन्यथा तो यह लाभ वयस्क पुत्रों को नहीं पहुंचेगा। पुत्र को २६ सितम्बर, १९५५ को पूर्ण वयस्क होना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह उन लड़कों को यह लाभ देना चाहते थे जो १५ अगस्त, १९४७ को नौ वर्ष के थे। यह भी ठीक है कि मंत्रियों के भी अवयस्क पुत्र हो सकते हैं और उन्हें भी यह लाभ पहुंचेगा। पुनर्वास के मामले में सभी बराबर हैं। परन्तु यह कहना कि वह यह नहीं जानते थे कि वयस्क पुत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा, बिल्कुल गलत है। इस सम्बन्ध में एक और संशोधन भी था जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया था। उसमें कहा गया था कि यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई व्यक्ति १८ वर्ष से कम आयु के पुत्रों को छोड़ कर मर जाता है, तो प्रतिकर की गणना करने में इन सभी पुत्रों को परिवार का एक सदस्य माना जायेगा। अवयस्क पुत्रों तक को लाभ दिया गया था। अब वह कैसे कहते हैं कि १८ वर्ष से अधिक आयु वाले पुत्र वंचित नहीं किये गये थे। मैं यह दिखाने के लिये वह सारा भाषण पढ़ सकता हूं कि माननीय मंत्री कैसे इस परिणाम पर पहुंचे थे। १३ सितम्बर को जब वह अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वह तो केवल स्पष्टीकरण कर रहे थे, कोई नयी बात नहीं कह रहे थे। उस समय मैंने उन्हें रोका था। उस समय उन्होंने वह शब्द तो पढ़े ही नहीं थे जो कि इस मामले की जान थे और इस प्रकार वह सदन के सदस्यों की आंखों में धूल झोंकना चाहते

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

थे। समूचे नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र को अपवर्जित करना असम्भव है। यह कहना ही निरर्थक है कि १८ वर्ष की आयु वाले पुत्र को दावे के विभाजन कराने का अधिकार ही नहीं।

हिन्दु विधि के अनुसार दो प्रकार के व्यक्तियों को विभाजन का अधिकार ह, एक वह जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और दूसरे वह जो समांशी हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जिनको अंश पाने का अधिकार है वही विभाजन का दावा नहीं कर सकते हैं। विधवा पुत्री आदि समांशी होने पर भी विभाजन नहीं करा सकती है।

इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को पृथक रखा गया है।

अतः यदि यह शब्द १९५५–५६ के वित्त, विधेयक में नहीं थे तो इसका अर्थ यह है कि जो विभाजन कराने के अधिकारी नहीं थे उनकी सन्तति इसका दावा करने की अधिकारी हो जायंगी परन्तु इस नवीन व्याख्या के अनुसार वह इसके अधिकारी नहीं होंगे। उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह तो उसी तरह की बात है जब कि कोई कहे 'नमाज मत पढ़ा कर, अगर नापाक हो'। अब उसने 'अगर नापाक हो' तो पढ़ा नहीं इतना ही पढ़ लिया 'नमाज मत पढ़ा कर'। कोई कहता है, सच बोलो, मत झूठ बोलो, पढ़ने वाला पढ़ता है सच बोलो मत, झूठ बोलो। इसी प्रकार मंत्री महोदय की जो बात अपने पक्ष की होती है उसे ही वे पढ़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। मेरे विचार में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून की पुस्तकों और कानून के इतिहास को अध्ययन करने से प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि वयस्क पुत्र को वित्त अधिनियम और इस नियम के अन्तर्गत पूरा लाभ दिया गया था।

संयुक्त हिन्दू परिवार की आत्मा ही पुत्र होता है। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है उसी समय उसका जन्मजात अधिकार स्थापित हो जाता है और जन्मजात अधिकार हिन्दू कानून के अनुसार विभाजित हो जाता है। और वयस्क पुत्र को एक इकाई माना जाता है। परन्तु मेरे माननीय मित्र का कहना यह है कि यदि पिता जीवित हो तो उसका पुत्र अथवा उसके पुत्र कोई महत्व नहीं रखते हैं। शायद वह प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की बात करते हैं जो कि यहां संगत नहीं है। उसमें तो यदि पिता जीवित होता है तो वह अंश लेता है। परन्तु यहां अंश लेने का प्रश्न नहीं है। हिन्दू विधि के अनुसार दावे की नीधि सभी दावेदारों में बांटी जायगी। परन्तु यह गणना करने के लिये की पुत्र को एक एकत्र माना जाये या नहीं यह प्रश्न संगत है। परन्तु उनके कथनानुसार स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति के क, ख, ग, घ, ङ, पांच पुत्र हैं, तो क्योंकि पिता जीवित है, इसलिये क और ख को अपवर्जित कर दिया जाये। यदि 'ग' की मृत्यु हो गई है तो उनका कहना है कि ग की विधवा पत्नी का भी अधिकार होना चाहिये, और यदि उसके अवयस्क बच्चे हैं तो उन्हें भी एक इकाई माना जाय। इसलिये वह चाहते हैं कि मृत पुत्र की एक इकाई न रह कर दो इकाइयां हो जायें। यदि किसी व्यक्ति के दो अवयस्क और एक वयस्क पुत्र हो तो मेरे मित्र के अनुसार वयस्क पुत्रको कुछ नहीं मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह नियमों को पढ़ें। यह तो स्पष्ट ही है कि वह विभाजन कराने के अधिकारी हैं। क्या विधवा विभाजन करा सकती है? यह स्पष्ट है कि किसको विभाजन कराने का अधिकार है। विधवा और अवयस्क पुत्र को अधिकार नहीं है। यदि इसे हटाया गया तो क्या अवैध पुत्र की विधवा और अवैध पुत्र के पुत्रों को यह अधिकार होगा? पर यह तो हिन्दू विधि के प्रतिकूल है। वह चाहते हैं कि परिवार के मृत सदस्य की विधवा भी शामिल की जाय जिसका अर्थ होगा पिता की माता। और यदि बहुत विधवाएं हुई तो सौतेली माताएं भी शामिल होंगी। फिर उस व्यक्ति की दादी भी आ जायेगी, क्योंकि वह भी मृत सदस्य की विधवा होगी। क्योंकि यह तो स्पष्ट ही नहीं कि उस सदस्य की मृत्यु कब हुई हो, इतना ही कहा है, "मृत सदस्य की विधवा"। इससे तो मामला लम्बा चलेगा और संख्या भी बढ़ती जायेगी। इस प्रकार से मृत उसकी विधवा और उसकी सन्तान सभी इसमें आ जायंगे और यह हिन्दू विधि की भावना के विरुद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हमने संख्या नहीं बढ़ाई है हमने इतना ही कहा है कि १५ अगस्त, १९४७ को जो अधिकारी थे, उन्हें ही यह अधिकार हो। बहुत हद तक वह संख्या बढ़ाने के लिये तैयार हो भी गये थे, जिसके लिये मैंने उन्हें बधाई भी दी थी। अब वह चाहते हैं कि हम उन बधाइयों को वापिस ले लें, और जिन शरणार्थी परिवारों में लड़के हैं वह भी इसे अच्छा नहीं समझेंगे। क्योंकि यह कोई अच्छी बात नहीं है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : माननीय सदस्य ३५ मिनिट बोल चुके हैं। उस दिन वह आधा घंटे बोले थे। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं और मुझे भी उत्तर देने के लिये समय चाहिये। मेरा विचार है कि अन्य सदस्यों को भी अवसर मिलना चाहिये। मुझे आधा घंटा चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने १ बजकर ४८ मिनट पर आरम्भ किया था। अभी १ घंटा और ४० मिनिट और हैं। मेरे विचार में १२ मिनिट और दिये जायं।

† **पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : आप मुझे समय दे अथवा न दें, मुझे किसी मंत्री द्वारा अध्यक्ष से यह बात कहने पर आपत्ति है कि सदस्य को भाषण समाप्त करना चाहिये। यह गलत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अथवा किसी माननीय सदस्य को मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की आवश्यकता नहीं। मैं वाद-विवाद को नियमित कराने के लिये ही तो हूं। माननीय मंत्री जितना समय चाहें उन्हें दिया जायेगा। जो कोई बोलेगा वह अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्य करेगा और जो बोलना चाहेगा, उसे मैं समय दूंगा।

माननीय मंत्री निस्संदेह यह अनुभव करेंगे कि माननीय सदस्य मंत्री महोदय से प्रतिबन्धित नहीं होना चाहते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं विनियमन नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य शीघ्र से शीघ्र अपने भाषण को समाप्त करें। मैं ठीक चार बजे माननीय मंत्री को भाषण देने के लिये बुलाऊंगा, इसलिये माननीय सदस्य अपने भाषण को शीघ्र समाप्त करें।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : मैं शीघ्रता करूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह देखें कि यह चर्चा अनावश्यक रूप से इतनी बढ़ाई जा रही है। इन नियमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर, माननीय मंत्री अन्य बातों पर तर्क वितर्क कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने भाषण के लिये १० मिनट से अधिक समय न लें।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना भाषण दस मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो लड़का वयस्क हो उसका भी सम्पत्ति म अंश होना चाहिये। हिन्दू विधि में ऐसा ही उपबन्ध है। यदि लड़के को ही कोई अंश न दिया जाये तो सारा काम ऐसा लगेगा जैसे किसी बरात में दूल्हा न हो। जिस हिन्दू परिवार में लड़के को सम्पत्ति का अधिकारी न माना जाये, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

माननीय मंत्री का कहना है कि उन्होंने शरणार्थियों को काफी लाभ पहुंचाया है किन्तु मुझे खेद है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। एक ओर तो श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री अजित प्रसाद जैन जैसे लोगों ने शरणार्थियों की भलाई के इतने काम किये ह और दूसरी ओर माननीय मंत्री लाखों लोगों के दावों को अपने नियम के द्वारा रद्द कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय मंत्री को इस काम में सलाह देने के लिये एक मंत्रणा समिति थी और उसकी बातों पर वे सहमत भी हुए थे। किन्तु अब ग्यारह महीने के बाद माननीय मंत्री अपनी बात से मुकर रहे हैं। वे सभा में कही गई बातों के विरुद्ध कह कर हम लोगों को और समस्त शरणार्थियों को निराशा कर रहे हैं। जो नियम अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने बनाये हैं, उनका यथोचित पालन किया जाना चाहिये। दुर्भाग्य से उस समिति का मैं भी सदस्य था और मैं अब भी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी से बड़ी अदालत का न्यायाधीश भी इस बात से सहमत होगा कि अट्ठारह वर्षीय लड़के को सम्पत्ति का हकदार माना जाये।

यह मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय मंत्री को कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उस नियम का ही पालन न करें। सरकार ने शरणार्थियों के लिये १ अरब ८५ करोड़ रुपया दिया है। यह रुपया विभिन्न श्रेणियों के शरणार्थियों को दिया जायेगा। इसके लिये सभा ने नियम बना रक्खे हैं और मैं समझता हूं कि उन के लिये माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैंने अपने भाषण में कुछ कठोर बातें अवश्य कहीं हैं किन्तु वे यथार्थ हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन पर ध्यान देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री अचिन्त राम अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : मेरा एक संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मैं श्री अचित राम को बोलने का अवसर देना चाहता हूं किन्तु आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर दीजिये।

†**श्री राधा रमण** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अनुसरण में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों—जिनमें ३० अप्रैल, १९५६ की अधिसूचना संख्या ११६१ द्वारा संशोधन किया गया था और २१ जुलाई १९५६ को सभा पटल पर रखी गयी थी—के नियम १९ के उप-नियम (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाय :

"(3) For the purpose of calculating the number of members of a joint family under sub-rule (2), a person who on the relevant date:—

(a) was less than eighteen years of age; or

(b) wasa lineal descendant in the male line of another living shall be excluded: member of the joint family;

Provided that where a member of a joint family has died during the period commencing on the fourteenth day of August, 1947, and ending on the relevant date leaving behind on the relevant date all or any of the following heirs, namely,—

(a) a widow or widows,

(b) a son or sons (whatever the age of such son or sons);

but no lineal descendant in the male line, then, all such heirs shall, notwithstanding anything contained in this rule, be reckoned as one member of the joint family."

["(३) उपनियम (२) के अन्तर्गत किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों की गणना करने के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संगत तारीख को—

(क) १८ वर्ष से कम आयु का; या

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) संयुक्त परवार के किसी अन्य जीवित सदस्य का सगोत्र वंशज नहीं गिना जायेगा :

परन्तु शर्त यह है कि यदि संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की १४ अगस्त, १९४७ से लेकर संगत तिथि तक की अवधि में मृत्यु हो गयी है और उस संगत तिथि को उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारी रह गये हैं, अर्थात्

(क) विधवा अथवा विधवाएं,

(ख) लड़का अथवा लड़के (ऐसे लड़के या लड़कों की आयु कुछ भी क्यों न हो);

परन्तु कोई भी सगोत्र पूर्वज न हो, तो इस नियम में किसी भी बात के होते हुए ऐसे सभी उत्तराधिकारी संयुक्त परिवार के एक ही सदस्य के रूप में माने जायेंगे।"]

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : आज कंपेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) के रूल्स (नियम) के मुताल्लिक जो डिस्कशन (चर्चा) जारी है, उसमें गवर्नमेंट ने जो पोजीशन ली है वह यह है कि जैसी हालत पहले थी, वसी ही है, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा रही है। सिर्फ क्लैरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) करने की ही ख्वाहिश है और इस मौके का फायदा उठा कर जो माइनर बच्चे हैं और विडो हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है। जैसा हमारे मंत्री जी का रेकार्ड है; और यह जो उनका दावा है कि जब से वह तशरीफ लाये तब से उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किये, उसका मतलब जो है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि वह अपने को रिफ्यूजी (शरणार्थी) समझते हैं। आज रिफ्यूजी भी यह समझते हैं कि उनका नुमाइन्दा कैबिनेट में बैठा हुआ है और उनके खयालात की तर्जुमानी कर रहा है जिससे कि उनको फायदा पहुंच रहा है। लेकिन जो उनका दावा है वह इस तरमीम के साथ बिल्कुल मुनासिब नहीं मालूम होता है। जो तरमीम पेश की गई है, अगर उसका असली मतलब देखा जाय तो यह पता चलेगा कि दरहकीकत पहले जो फैसला किया गया, उससे कुछ इन्हेराफ किया जा रहा है, और लड़कों को जो हक था, अब उनको उससे महरूम किया जा रहा है।

बाज दफा मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिनका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन उससे कुछ तकलीफ हो जाती है। आज डिबेट (वाद-विवाद) में जो हीट आई उसका यही कारण है, नहीं तो वह ऐसी शक्ल न लेता। आज बहुत से भाई समझते हैं कि कुछ खन्ना साहब ने और भोंसले साहब ने किया वह तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर काबिले तारीफ है और उन्होंने उससे काफी नाम पैदा किया है। लेकिन अगर डिस्पैशनेटली (भावुकता के बिना) सोचा जाय और रूल्स को देखा जाय तो जो एक्स्प्लेनेशन (व्याख्या) नं० २ है :

"इस नियम के प्रयोजन से, मिताक्षर विधि द्वारा अधिशासित प्रत्येक हिन्दु संयुक्त परिवार में पुत्र एक विरुद्ध प्रथा के होते हुए भी अपने पिता और दादा के साथ समांश सम्पत्ति के विभाजन करने का अधिकारी है।"

अगर गवर्नमेंट की बात को तस्लीम किया जाय, तो पता चल जाता है कि इसको यहाँ पर किस लिये दर्ज किया गया है। मैं समझता हूं कि इसके होते हुए लड़के को महरूम करने का इंटरप्रेटेशन (निर्वाचन) करना या महरूम करना, दोनों ही नामुनासिब हैं। इसके अलावा जो चीज सामने पेश की गई, उस लैंग्वेज (भाषा) के अन्दर कोई ; नहीं ह। जसा ऊपर कहा गया कि :

"अन्य सदस्य की संतति है।" तो यह दोनों को गवर्न करता है। "जो परिवार अधिकारी नहीं।" यह चीज दोनों को गवर्न करती है, जिससे यह भी उसका मतलब है :

---

†मूल अंग्रेजी में।

[लाला अचिंत राम]

"विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं।" पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कह दिया है, उसमें यह सब कुछ आ जाता है। जो सब्सीडियेरी लेजिस्लेशन कमेटी (सहायक विधान समिति) है उसने भी यह फैसला किया, साथ ही जो ऐडवाइजरी कमेटी (मंत्रणाकार समिति) है उसने एक दफा, दो दफा, तीन दफा यह फैसला किया कि उसका यह इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) है, लेकिन इन बातों को छोड़ कर मेरे दिमाग में यह बात आती है कि आया जो रिफ्यूजीज का मास है, उसके लिये कौन सा इंटरप्रेटेशन ठीक है। उसके बाद मेरे दिल में यह खयाल आया कि शायद यह इंटरप्रेटेशन उन लोगों के हक में हो जो कि बड़े बड़े आदमी हैं और बड़ी बड़ी प्रापर्टी (संपत्ति) करोड़ों रुपयों की छोड़ कर आये हैं और उनके पास रुपया जाय। लेकिन जरा गौर करें कि जो ज्वायंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार पद्धति) है वह बड़े-बड़े खान्दानों में ही नहीं है, गरीब आदमियों के दरमियान भी ज्वायंट फैमिली सिस्टम है। इसलिये हमें उनका खयाल भी रखना चाहिये। हम जो भी फैसले करते हैं उसका कुछ न कुछ मकसद होता है, लेकिन उसके होते हुए भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे गरीब आदमियों को चोट लगे। आज जो भी कदम हम उठाते हैं, उसमें हमें इन आदमियों का खयाल करके काम करना चाहिये।लड़के इसमें न आयें, ठीक है, बड़े बडे आदमियों के लड़के इसमें नहीं आयेंगे। लेकिन जब बड़े आदमियों के मुताल्लिक यहां पर बहस हुई उस वक्त मैंने यह अमेंडमेंट दिया था कि सीलिंग (अन्तिम सीमा) जो हो वह ५०,००० रु० की हो, दो लाख की न हो। मुझे इससे कोई चोट नहीं लगती अगर बड़े बड़े आदमियों को दो लाख रुपया मिले, लेकिन जब आपने एक तरफ से यह फैसला कर लिया है कि कुल १८५ करोड़ रुपया दिया जाने-वाला है, तो आखिर वह रुपया बंटे कैसे? वह इस तरह से न बंटे कि गरीब आदमी को नुकसान पहुंचे। इसी लिये मैंने अर्ज किया था कि जो सीलिंग है वह दो लाख रुपया न रख कर ५०,००० रु० रक्खी जाय। लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई। मैं कहता हूं कि अगर दो करोड़ ही सीलिंग रखनी है तो कानूनी मसले में ऐसा इंटरप्रेटेशन दीजिये कि जिससे जो गरीब खानदान हैं, उनकी हालात के मुताबिक हो। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से फैसला करें कि खन्ना साहब की कोशिशों से जो वातावरण बना है वह बेकार हो जाय और हमारा फैसला जो था वह आन दि होल रिफ्यूजीज (प्रायः विस्थापितों) के खिलाफ जाय। आप इसको देख कर अपना फैसला करें कि तमाम वायुमंडल जो बन गया है वह खराब न जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा होना न रिफ्यूजीज के भले के लिये है, न मिनिस्ट्री के भले के लिये और न गवर्नमेंट के भले के लिये है।

आज सुबह हम मौलाना आजाद साहब के पास भी गये डेप्युटेशन बना कर और कहा कि ऐसी राह निकालनी चाहिये जिससे हमारा तमाम काम ठीक से चल सके और हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर उसको मंजूर करें और उनकी समझ में यह बात आई।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : एक औचित्य प्रश्न है। क्या सदस्य दलीय राजनीति के लिये शरणार्थियों को आकर्षित करना चाहते हैं अथवा शरणार्थी राज्य के प्रति निष्ठाहीन थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसी कोई बात नहीं।

लाला अचिंत राम : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब यह तजवीज सामने आई तब यह सवाल उठा कि क्या आप चाहते हैं कि कम्पेंसेशन (प्रतिकर) की रकम को बढ़ाया जावे। खन्ना साहब ने भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो खर्चा बहुत बढ़ जावेगा और उन्होंने यह भी कहा था कि उनको और ज्यादा रुपये की मांग करनी पड़ेगी और उनको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। मैंने यह कहा था कि हमें खन्ना साहब पर पूरा विश्वास ह और अगर उनको और रुपया मांगने की जरूरत महसूस होगी तो हम सब उनके साथ होंगे और हम भी उनके साथ मिल कर हाथ फैलायेंगे। अब भी जो कुछ मिला है वह बहुत ही कम है, सिर्फ २० फीसदी है और यह कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं चाहता हूं कि उनको हाथ फैलाना ही चाहिये। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि आपको

---

†मूल अंग्रेजी में।

हाथ नहीं फैलाना चाहिये और साथ ही साथ यह भी आप चाहते हैं कि १८५ के अन्दर ही गुजारा हो तो मैं समझता हूं आपको कोई न कोई तजवीज निकालनी ही होगी और आपको इस मसले पर गौर करना ही होगा। ऐसा करने के लिये अगर आपको जो सीलिंग आपने फिक्स की ह, उसको भी बदलना पड़े तो आपको ऐसा भी करना होगा। अगर सीलिंग को कम किया गया तो मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों को कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो जब हम मौलाना आजाद साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को एग्जेक्टिव कमिटी में लाया जाय और वहां पर इस पर गौर हो सकता है। हमें चाहिये कि हम इसका कोई न कोई हल अवश्य निकालें। इसके लिये एक कमिटी बनाई जा सकती है जो कि कोई न कोई हल निकालने में मदद कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट पांच, दस या बीस करोड़ रुपया दे भी देती है तो उससे मैं समझता हूं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यह कहा गया था कि ५०,००० के बजाय अगर दो लाख की लिमिट कर दी गई तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुमकिन है यह ठीक हो। लेकिन जो एक्चुएल पोजीशन है, उसे हमें देखना है। हमें देखना यह है कि अब हम क्या करें। तो मेरी तो तजवीज यही है कि एक कमिटी बनाई जाय जो इस सारे मामले पर विचार करे और हमें बताये कि इसको एक्सेप्ट (स्वीकार) करके क्या असर पड़ सकता है। अगर आप इस काम को नहीं चला सकेंगे तो स्कीम कोलेप्स (टूटना) तो नहीं होगी लेकिन रफ्तार बहुत धीमी हो जायगी। लोग आज भी कहते हैं कि जो रफ्तार है वह बहुत धीमी है और बहुत डिले हो रही है और इसे तेज किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि कोशिश नहीं हो रही है। कोशिश अवश्य की जा रही है कि इस रफ्तार को तेज किया जाय। मैं खुश हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो काम किया है इससे उन्होंने अपने लिए नाम पैदा कर लिया है और अच्छा रसूख पैदा कर लिया है। आज भी वह अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो अफसर हैं वे भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो छोटा स्टाफ है, मैं कोई शिकायत करने की भावना से ऐसा नहीं कह रहा हूं, वह अच्छा और ठीक काम नहीं कर रहा है। वह भी ठीक तरह से काम करे, इसका भी तरीका आपको निकालना चाहिये। आपने कहा है कि आप १० लाख रुपया हर रोज देंगे और मैं यह भी मानता हूं कि आपकी ख्वाहिश है कि १५ लाख रुपया हर रोज दिया जाय। यह सब चीज अच्छी है। लेकिन इसको एक्चुअल प्रेक्टिस (वास्तविक प्रयोग) में लाया जाना चाहिए।

तो मैं यह कह रहा था कि एक कमिटी बनाई जाय जो कि सारे मामले पर गौर करे। अगर इस स्कीम को प्रेक्टिस में लाने से कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है तो यह ठीक है लेकिन अगर इस तरह से १८५ करोड़ से गुजारा नहीं हो सकता तो स्केल को कम करने का सुझाव आपको वह दे। मैं ठाकुर दास जी के बारे मै कुछ नहीं कह सकता। मै समझता हूं कि एक रिफ्यूजी न होते हुए भी जितनी सेवा उन्होंने रिफ्यूजीज की की है वह शायद ही किसी दूसरे ने की हो। उनकी तरह का आदमी मिलना मुश्किल है। वह इस तरफ को और उस तरफ को भी लीड देने वाले हैं। उन्होंने जो खिदमत की है, वह बेमिसाल है। उधर खन्ना साहब ने भी एक रिफ्यूजी होने के नाते बहुत बड़ी खिदमत की है और उनकी हमदर्दी इन लोगों के ही साथ है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि कोई हल निकालना मुश्किल नहीं है। तो इस वास्ते, डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) साहब, हर कोई यह महसूस करता है कि रिफ्यूजीज का भला हो और खास तौर से उनका जो कि गरीब हैं, भला हो। इस चीज से कोई भी इन्कार नहीं करता। तो आखिर में मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि आप एक कमिटी बनावें जो कि इस मसले पर गौर करे और इस बिल की कंसिड्रेशन (विचार) करे, जिस तरह से कि पहले किया गया था, कि दो, तीन या चार रोज के लिये पोस्टपोन (स्थगित) कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया जाय ताकि वह कमिटी कोई हल निकाल सके।

श्री राधा रमण : सबसे पहले मैं अपनी एमेंडमेंट (संशोधन) इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो उसूल कम्पेंसेशन (प्रतिकर) के लिये हमने कुछ अर्सा हुए पास किये थे, अब उनमें कुछ नये सुझाव वजीर साहब की तरफ से इस सदन के सामने रखे गये हैं। हमारी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री राधा रमण]

बदकिस्मती है कि इन रूल्ज का पहले तो फैसला करने में और फिर उसके बाद इस सदन के सामने रखने में बहुत काफी देर लग गई और अभी भी इन पर अम्ल करने में कुछ अड़चनें दिखाई पड़ रही है। जो तरमीमें इन उसूलो के सुधार के लिये आज इस सदन के सामने हैं उनमें करीब करीब सभी पर इत्तिफाक नजर आता है। सिर्फ एक ही धारा १९ है जिसके मातेहत सब-रूल्ज बने हैं, उस पर काफी वाद-विवाद हुआ है और कुछ मतभेद नजर आते हैं। यह बात इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार की तथा सारे देश की हमदर्दी उन भाइयों के साथ है जो पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये और यहां आ कर बसे। न सिर्फ उनको इधर आना ही पड़ा बल्कि उनको सारा धन और सम्पत्ति भी वहीं पर छोड़नी पड़ी और उनकी हालत पहले पहल काफी अबतर रही और अब भी कुछ बहुत ज्यादा सुधार उसमें नजर नहीं आता है। यही कारण था कि सरकार ने तथा हमारे वजीर साहब ने बहुत ज्यादा सोच-विचार करने के बाद यह फैसला किया कि चूंकि हमारे पास जो रकम देने के लिये है वह सीमायुक्त है, वह बहुत महदूद है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटस फिक्स (अधिकतम सीमा निर्धारित) कर दी जायें। इसी चीज को ध्यान में रख कर यह रूल्ज बनाये गये। मैं समझता हूं कि इस सदन के हरएक माननीय सदस्य की यह ख्वाहिश है कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा रकम हम उन शरणार्थियों को, जो कि धनिक नहीं है, जो कि कमजोर हैं, दे सकते हैं दे और यदि किसी शरणार्थी की अवस्था अच्छी है तो उस रकम को कम कर दिया जाये ताकि सामाजिक दृष्टि से हम गरीब आदमियों के साथ न्याय कर सकें।

यह जो धारा १९ है इस धारा में हमने यह फैसला किया था कि इसके अन्तर्गत जो कम्पेंसेशन की रकम बनती है, उसका किस तरह से बंटवारा किया जाये और किस तरह से यूनिट करार दिये जायें। यह तय पाया था कि जहां एक ज्वायंट फैमिली है, एक मुशतर्का खानदान है और उसके दो या तीन सदस्य हैं तो उनको दो यूनिट मान कर चला जायगा और सदस्य चार हों या उससे ज्यादा हों तो उनको तीन मान कर चला जायगा। इसी पर यह फैसला हुआ कि अगर रकम, मान लीजिये, ६०,००० है और दो या तीन उस ज्वायंट फैमिली के मेम्बर हैं, तो उस रकम को दो यूनिट मान कर चला जायगा, यानी ३०,००० का एक यूनिट होगा और जितने भी उस फैमिली के मेम्बर होंगे, ज्वायंट फैमिली के, उसको उनमें बांट दिया जायगा। अगर उनकी संख्या चार या चार से ज्यादा हो तो वह रकम तीन यूनिट समझी जायगी और तीन के मुताबिक उसको हिस्सा रसद मिलेगा। उसमें यह भी तय किया गया था कि सब मिला कर उस मुश्तरका खानदान में जितने भी मैम्बरान होंगे इस यूनिट के मुताबिक ही हिस्सा पायेंगे और उनमें उन लड़कों का हक जो माइनर होंगे या जो विडोस (विधवाएं) होंगी भी तसलीम किया जायगा, यानी उनको भी यूनिट का एक हिस्सा माना जायगा। १४ अगस्त, १९४७ से लेकर, जब कि पार्टीशन (विभाजन) हुआ था २६ अप्रैल, १९५६ तक बहुत से मुशतर्का खानदानों में तब्दीली हो गई —अगर किसी खानदान के तीन, चार या पांच मेम्बरान थे, उनमें से किसी भाई या किसी दूसरे आदमी की डैथ (मृत्यु) हो गई और उसकी बेवा और लड़का रहा तो उनको यूनिट में कोई हक नहीं मिलता था। इस संशोधन के द्वारा मैंने इस बात की ख्वाहिश की है कि उसकी बेवा या लड़के को उसका हक मिलना चाहिये। यह समझना चाहिये कि आज भी मुशतर्का खानदान का वह शख्स जिन्दा है, मौजूद है। अगर उस वक्त उसको हक मिलता था, तो आज भी मिलना चाहिये। इसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि जो खानदान पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हालत में—आसूदा हालत में—था और पार्टीशन के बाद वह लुट-पिट कर, अपनी सारी धन सम्पत्ति खो कर हिन्दुस्तान में आया, और यहां आने के बाद अगस्त ४७ से सितम्बर १९५६ के बीच में उसका स्वर्गवास हो गया तो उसकी बेवा और बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। अगर कम्पेन्सेशन के फैसले के वक्त उस शख्स को वह हक मिलता तो उसके जरिये उसकी बीवी और बच्चे को भी हक मिलता। इसकी वजह यह है कि अगर यह हक तस्लीम नहीं किया जाता तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन मुशतर्का खानदानों में जो मेम्बर १९४७ में मौजूद था, लेकिन कम्पेन्सेशन का फैसला होते वक्त—३० अप्रैल, १९५६ को—

†मूल अंग्रेजी में।

मौजूद नहीं था, तो उसकी बेवा और बच्चों को कोई हक हासिल नहीं होता है, जो कि बड़ी नावाजिब बात है। यह एक ऐसी मुश्किल है, जो कि उस खानदान के लिये बड़ी तकलीफ का बायस बन सकती है और इस तरह उस खानदान के साथ इन्साफ नहीं होता है। इसलिये यह जरूरी है कि उन मुशतर्का खानदानों में, जिनमें औरत और बच्चे अपने पति और पिता से इस दरमियान में जुदा हो चुके हैं, उन को हक मिलना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्री राधा रमण ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको मैं युक्तियुक्त नहीं समझता हूं। वे उनके साथ तो न्याय करना चाहते हैं जो मर गये हैं किन्तु उन लोगों के साथ अन्याय करना चाहते हैं जो जीवित हैं। यदि कोई मनुष्य जीवित है तो उस के बच्चे अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। मैं इस तर्क को उचित नहीं समझता।

संसद में पिछले चार वर्ष में मैंने यह अनुभव किया है कि सरकार ने शरणार्थियों को सदैव अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है। रकम की सीमा ५०,००० से बढ़ा कर २ लाख रुपये कर दी गई है। किन्तु इस अधिसूचना में हम देखते हैं कि पुनर्वास मंत्रालय ने अपने पहले विचारों को बिल्कुल बदल दिया है। हम इस प्रश्न पर एक बार विचार कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में नियम बना चुके हैं। अब यह शोभा नहीं देता कि पुनर्वास मंत्रालय केवल कुछ प्रशासनीय सुविधाओं के लिये उन नियमों का पालन नहीं करना चाहता। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि उसका काम जनता को सुविधा देना है न कि अपनी सुविधा के लिये जनता को परेशान करना।

सभा को ज्ञात है कि इन नियमों के लिये एक मंत्रणा बोर्ड बनाया गया जिसके सभापति श्री टेक चन्द थे। उन्होंने भी यही कहा था कि यदि इन नियमों का कोई गलत अर्थ लगाया गया तो उससे लोगों को निराशा होगी। मंत्रणा बोर्ड की सिफारिशों पर संसद भी सहमत हो चुकी है।

श्री ठाकुर दास भार्गव ने इस प्रश्न का आर्थिक पहलु स्पष्ट किया था। वित्त मंत्रालय ने संयुक्त हिन्दू परिवार की एक परिभाषा दी है और पुनर्वास मंत्रालय अपनी अलग परिभाषा देना चाहता है। इससे प्रकट होता है कि सरकारी कार्यों में कोई एकरूपता नहीं है। सभा में संयुक्त हिन्दू परिवार के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि संयुक्त हिन्दू परिवार का क्या अर्थ है, फिर भी आश्चर्य इस बात पर है कि पुनर्वास मंत्रालय उसकी और ही परिभाषा देना चाहता है जो बिल्कुल असत्य है।

सभा में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नाम की एक समिति है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस दल के कोई सदस्य नहीं बल्कि विरोधी दल के एक प्रसिद्ध नेता हैं जो पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उस समिति ने भी यही कहा है कि जो अधिसूचना जारी की गई है वह वैध नहीं है। इस पर भी पुनर्वास मंत्री यह कहते हैं कि वे प्रशासनीय सुविधा के लिये नियमों में संशोधन करना चाहते हैं।

मैं यह नहीं कहता कि प्रतिकर के लिये जो धनराशि निश्चित की गई है उसमें कोई वृद्धि की जाये। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जो रकम है उसका वितरण भलीभांति किया जाये। पुनर्वास मंत्रालय रोज नये नये परिवर्तन कर रहा है और इसके कारण इस काम में बाधा पड़ती है। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा है कि इस विषय में शरणार्थी और गैर-शरणार्थी की दृष्टि से सोचने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमें इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। हमें केवल रुपये, आने, पाई की दृष्टि से ही नहीं सोचना चाहिये। हम जानते हैं कि ऐसी बातों से शरणार्थीयों पर कितना बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उनको पहले ही बहुत से धक्के लग चुके हैं और इस बार भी वे यही समझेंगे कि उनके साथ अन्याय किया जा

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दी० चं० शर्मा]

रहा है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रश्न पर सहृदयता से विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि इस नियम में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पंडित ठाकुर दांस भार्गव ने अपने भाषण में बताया है।

सरदार अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री (पुनर्वास मंत्री) ने जो कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के रूल सन् १९५५ में बनाये थे उनके क्लाज (खण्ड) १९ में तबदीली करने के लिये यह विषय पेश किया गया है। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। इन रूल्स में सफा ३ पर क्लाज ७ के सब-सेक्शन (धारा) ३ में यह दिया गया है :

"इस नियम के प्रयोजन से 'परिवार का सदस्य' शब्दावली से प्रार्थी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से कोई होता है जो उसके साथ रह रहा हो और अंशतः अथवा पूर्णतः उस पर निर्भर करता हो।"

इसमें आप देखेंगे कि कौन-कौन लोग दिये गये हैं। ये लोग इस प्रकार हैं :

"पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र या अविवाहित लड़की।" ये लोग मेम्बर्स आफ फैमिली में आते है। इसके साथ ही साथ जो रूल १९ आप अमेंड करने जा रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन २ को आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है :—

व्याख्या २ इस नियम के प्रयोजन के लिये ऐसे प्रत्येक हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में जिस पर मिताक्षर विधि लागू होती है, पुत्र को समांश सम्पत्ति आदि का विभाजन करवाने का अधिकारी समझा जायेगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि एक हिन्दू ज्वायंट फैमिली से जो कि मिताक्षर ला से गवर्न होती है और जो अनडिवाइडेड (अविभाजित) है, एक लड़के को निकालना कहां तक वाजिब होगा। अब आपके रूल पुराण में हैं, उसमें आपने दिया है :

"(क) विभाजन करवाने के अधिकारी दो या तीन सदस्य हो तो ऐसे परिवार को दिये जाने वाले प्रतिकर की परिगणना प्रमाणित दावे को दो बराबर अंशों में विभाजित करके की जायगी और प्रत्येक अंश पर प्रतिकर की गणना होगी।"

जिस वक्त आप देखते हैं कि फैमिली के मेम्बर चार से नीचे हैं तो दफा ७ की सब-क्लाज तीन के मुताबिक आपको लड़के को भी देते थे मगर अब आप अगर लड़के को अलग करते हैं तो मैं नहीं समझता कि वह कहां तक सही होगा। इसके अलावा उस रूल में लिखा है :

"(ख) यदि विभाजन करवाने के अधिकारी चार या अधिक सदस्य हों तो ऐसे परिवार को दिये जाने वाले प्रतिकर की परिगणना प्रमाणित दावे को तीन बराबर अंशों में विभाजित करके प्रत्येक अंश पर प्रतिकर की गणना करके की जायगी।"

अगर किसी फैमिली में चार से अधिक आदमी हैं और यदि वे क्लेम करते हैं तो आप उनको तीन हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। मैं तो अर्ज करूंगा कि ऐसे हजारों फैमिलीज हैं जिन्होंने गैर वाजिब तरीके से अपने क्लेम आपके सामने रखे हैं। कुछ लोगों ने आपके रूल के मुताबिक ईमानदारी से अपना क्लेम किया है। लेकिन ऐसे फैमिलीज में से भी आप लड़के को निकाल रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि हमने इस सदन में जो हिन्दू सक्सेशन बिल पास किया उसमें भी हमने लड़के को हक दिया है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि जो आपको १८५ करोड़ रुपया मिला है उसमें से ही आप इनके क्लेम्स को एडजस्ट कर दें और लड़के को भी हक दें। अगर आपको हमारी

†मूल अंग्रेजी में।

राय मंजूर हो तो मैं अर्ज करूंगा कि आप इस हाउस से १०, १२, १५ जितने मेम्बरों की मुनाँसिब समझें एक कमेटी बना लें और उसके सामने यह जो रूल आप अमेंड करना चाहते हैं रखें। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जो कुछ आपने अभी तक हमारे शरणार्थी भाइयों को बसाने के लिये किया है एक पद्धतीय चीज है और वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन आप एक नया रूल बनायंगे। पहले जिसके मुताबिक आप अब तक काम करते रहे हैं, और अब आपके सामने कुछ दिक्कतें आ गयी हैं, इसलिये आप उसमें तबदीली करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे मिनिस्टर आफ लीगल एफेअर्स (विधि-कार्य मंत्री) भी मौजूद हैं। मैं आपके मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि उनसे भी इस बारेमें सलाह ले ली जाय। अगर वह समझते हैं कि दिक्कतें हैं और इसको बदलना चाहिये तो बतलाया जाये कि वे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इसको बदला जा रहा है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि लड़के को हक न देना ठीक नहीं है। यहां पर मान लिया गया है कि मिताक्षर ला के मुताबिक लड़के को हक मिलना चाहिए। हमने जो हिन्दू सक्सेशन (उत्तराधिकार) बिल पास किया है उसमें भी लड़के का हक रखा है। तो फिर जब कम्पेन्सेशन मिलता है तो लड़के को क्यों अलग रखा जाये। मैं इसको वाजिब नहीं समझता। इसलिये मेरी राय है कि इस तरमीम पर विचार करने के लिये इस हाउस के मेम्बरान की एक कमेटी बनायी जाये और उसके सामने यह तरमीम रखी जाये और उसके निर्णय के बाद इसको सदन में लाकर पास किया जाये तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि जो आपके मंत्रालय के बड़े लोग हैं वे आपको इसमें पूरी मदद करेंगे।

लेकिन बिना कमेटी के मेम्बरों की सलाह के इस तरह से उनकी सलाह लिये हुए इस तरह का रूल लाना उचित नहीं होगा और मैं पुनर्वास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात में वे जल्दी न करें और जितना अच्छा नाम उन्होंने और उनके मंत्रालय ने इस देश में पैदा किया है, उस पर आंच न आने देना चाहिये और इस थोड़ी सी चीज के लिये लोग उन पर किसी तरह की छींटाकशी करें, इसका मौका नहीं देना चाहिये।

†**विधी-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मतभेद के इस मुख्य विषय के सम्बन्ध में, कि क्या नियम १९ के अन्तर्गत संख्या निर्धारित करने के लिये प्रत्येक संयुक्त परिवार के मामले में पुत्र को गिना जाना चाहिये, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। नियम १९ एक विशिष्ट प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किया गया है। हिन्दू विधि के सामान्य सिद्धान्तों का चर्चा के विषय से निश्चय ही कुछ सम्बन्ध है। किन्तु इस नियम का आधार समझने में यह दिखायी पड़ेगा कि जब व्यक्तियों को प्रति कर देने का विचार था तब सभी व्यक्तियों को एक सा समझा जाना चाहिये था। किन्तु संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में वह एक विचित्र प्रश्न था। यदि संयुक्त परिवारों को एक व्यक्ति के तौर पर समझना था, तो यह विचार व्यक्त किया गया कि हिन्दू संयुक्त परिवारों की विशेषताओं के अन्तर्गत यह वांछनीय था कि इन हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध में कुछ अपवाद रखा जाये। अतः सारी बात यह थी कि संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, संयुक्त परिवार को भिन्न प्रकार से समझना चाहिये। उसे कुछ अधिक सहायता मिलनी चाहिये। यदि यह नियम न होता तो स्थिति इस प्रकार होती। मान लीजिये 'क्ष' एक व्यक्ति है और किसी एक आधार पर उसे प्रतिकर मिलता, यदि 'त्र' एक संयुक्त परिवार हो और उसे हम केवल एक व्यक्ति की तरह समझे तो 'त्र' को भी 'क्ष' के जितना ही अंश मिलता किन्तु 'त्र' में अनेक सदस्य हैं। अतः यह कल्पना उत्पन्न हुई कि संयुक्त परिवार को कुछ साधारण रियात दी जाये। इसलिये हम इस नियम द्वारा, व्यक्ति की तुलना में संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ उदार व्यवहार करना चाहते हैं। संयुक्त परिवार में कितने ही सदस्य हो सकते हैं और इसलिये ऐसा कोई उपाय ढूंढ़ना होगा जिससे हम यह देख सकें कि सरकार संयुक्त हिन्दू परिवार को किस सीमा तक रियायत दें। इसी दृष्टिकोण से हमें इस नियम को समझना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विषय में कोई मतभेद नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

जब संयुक्त हिन्दू परिवार की इन विशिष्ट बातों पर विचार करना वांछनीय था, कल्पना यह थी कि हम कोई नियम ढूंढ़ निकाले, क्योंकि संयुक्त परिवार में कितने ही अनेक सदस्य हो सकते हैं। नियम १९ में यह कहा गया है कि दो या तीन सदस्य विभाजन की मांग करने के अधिकारी थे। किन्तु हम सभी जानते हैं कि संयुक्त परिवार में कुछ ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जो विभाजन की मांग करने के अधिकारी न हों। उन्होंने यह कह कर शुरू किया है कि यदि दो सदस्य विभाजन की मांग करने के अधिकारी हो तो उन्हें दो अंश मिलेंगे, यदि तीन हो, तो भी उन्हें दो ही अंश मिलेंगे। यदि चार हों नियम के भाग (ख) के अनुसार तीन अंश दिये जायेंगे, यदि पांच, छः या दस हों तो उन्हें तीन सदस्यों के तौर पर ही समझा जायगा और उसी आधार पर प्रतिकर दिया जाना चाहिये और संयुक्त परिवार के शेष सदस्यों में बांटा जाना चाहिये। वह एक अलग विषय है।

इसी दृष्टिकोण से, संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ अधिक उदारता का व्यवहार करने की कल्पना निकली क्योंकि यह समझा गया था कि व्यक्ति की तुलना में उसे कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक कठिनाई यह है कि संयुक्त परिवार में दो वयस्क सदस्य हो सकते हैं और ३, ४, ५ या ६ अवयस्क सदस्य हो सकते हैं। अतः यह नियम बनाया गया कि यदि हम उन्हें निकाल दें या परिवार के अवयस्क सदस्यों को न गिनें तो वह अधिक अच्छा होगा।

एक और अपवाद यहां प्रस्तुत किया गया था और ये सब अपवाद हिन्दू विधि के साधारण सिद्धान्तों के अपवाद हैं। सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि ऐसा कोई समन्याय्य आधार निकाला जाये जिससे व्यक्तियों की तुलना में संयुक्त परिवारों को कुछ अधिक सहायता दी जा सके। इस दृष्टिकोण से खंड (२) में कहा गया है :

"(२) जो दूसरे सदस्य भी क्रमागत संतति हो" उदाहरणार्थ, संभव है कि एक संयुक्त परिवार में तीन भाई हों, जिनमें एक भाई का एक लड़का, दूसरे भाई के तीन लड़के और तीसरे का और अधिक लड़के हों। हिन्दू विधि में, इन सभी को गिनना विभाजन के सिद्धान्तों से संगत नहीं है और न ही वांछनीय है। इसीलिये यह कहा गया है कि पहले हम अवयस्कों को अपवर्जित करेंगे, फिर उन सभी लोगों को जो दूसरे सदस्य की क्रमागत संतति हो या संयुक्त परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की, जो विभाजन की मांग का अधिकारी न हो, किसी दूसरे सदस्य के साथ क्रमागत संतति हो, अपवर्जित किया जायगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव के तर्कों पर विचार करने के बाद मैं केवल यही कह सकता हूं कि सारी बात उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी है जिस प्रकार कि वह कही जानी चाहिये थी क्योंकि अभी हम केवल यही कह सकते हैं कि सरकार ने इन विषयों की जो व्याख्या की है उससे भिन्न व्याख्या भी की जा सकती है। नियम में कहा गया है : "अथवा संयुक्त परिवार के किसी दूसरे जीवित सदस्य की, जो विभाजन की मांग करने का अधिकारी न हो, अकेले किसी दूसरे सदस्य के साथ क्रमागत संतति हो"

अब यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि मान लिया जाय की तीन भाई हैं और उनमें से एक भाई एक ऐसे व्यक्ति का लड़का है जो जन्मजात मूढ़ होने या विभाजन की मांग से अपवर्जित अन्य श्रेणियों में होने के कारण विभाजन का अधिकारी नहीं है, तो उसका क्या होगा ? यहां आप किसी सदस्य की और परिवार के किसी दूसरे जीवित सदस्य की किसी दूसरे सदस्य के साथ क्रमागत संतति को अपवर्जित कर रहे हैं। संभव है कि वह मूढ़ जीवित हो और उसके लड़के हों किन्तु यदि उस मूढ़ का पिता अंश का अधिकारी न हो तो वह भी अंश का अधिकारी नहीं होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** हिन्दू विधि के अनुसार यह गलत है। वह अधिकारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** मैं अपने विचार से केवल व्याख्या की ओर संकेत कर रहा हूं। मैंने पहले ही मान लिया है कि इस खंड २ की शब्दावलि की एक अलग व्याख्या भी की जा सकती है किन्तु मेरा यह सुझाव है कि आप सरकार के वर्तमान इरादे पर विचार करे। आप इस दृष्टिकोण से देखें कि वह जो कुछ कर रही है वह उचित है या नहीं। इसलिये प्रस्थापित संशोधन में यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है कि इस विषय में सरकार का आशय क्या है। वास्तव में इसी दृष्टिकोण से इस संशोधन पर विचार करना चाहिये। अतः हम इस पर विचार करें कि वर्तमान संशोधन रखने में सरकार का क्या आशय है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** तब व्याख्या क्यों जोड़ दी गयी है ?

†**श्री पाटस्कर :** जब मैं यह कहता हूं कि खंड २ की शब्दावली कुछ अस्पष्ट है और वह इस प्रकार की नहीं होनी चाहिये तब किसी भी विचारशील व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिये। उसे ही स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन रखा गया है। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जहां तक वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है वे इस पर विचार करें कि क्या प्रस्थापित किया जा रहा है। मेरे विचार से खंड १९(१) में कोई परिवर्तन नहीं है और उस बारे में कोई विवाद नहीं है। अब खंड (३) द्वारा स्पष्टीकरण सामने है। उससे यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या गिनते समय आप किसको अपवर्जित करेंगे। हम कहते हैं "(१) खंड (ग) में अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, एक व्यक्ति जो संगत तिथि पर १८ वर्ष की आयु से कम का हो"

अवयस्कों को अपवर्जित किया गया है और मैं समझता हूं कि पहले की शब्दावलि के बारे में कोई विवाद नहीं है। आगे

"(२) एक व्यक्ति जो परिवार के दूसरे जीवित सदस्य की, जो विभाजन की मांग करने का अधिकारी हो, क्रमागत पुरुष संतति हो"। यह केवल सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये है। वे स्वयं सदस्यों की क्रमागत संतति को अपवर्जित करना चाहते हैं। अब उपखंड (ख) में कहा गया है

"(ख) एक व्यक्ति को जो संगत तिथि पर संयुक्त परिवार के मृत सदस्य की विधवा हो, सम्मिलित किया जायगा"

यहां अपवर्जन का नहीं, सम्मिलित करने का मामला हैं। वे यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर गया हो और उसके बाद एक विधवा हो तो वह सदस्य समझी जानी चाहिये यद्यपि संयुक्त हिंदू परिवार के वर्तमान नियमों के अनुसार वह सदस्य नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि इससे नियमों में सुधार होगा। आगे उप खंड (ग) में कहा गया है :

"(ग) जहां संयुक्त परिवार के मृत सदस्य के पीछे ऐसे लड़के हों जो सभी संगत तिथि पर १८ वर्ष की आयु से कम आयु के हों, तो ऐसे लड़कों को परिवार का एक सदस्य समझा जायगा।"

यह उन विशिष्ट मामलों को पूरा करने के लिये है जहां आप क्रमागत संतति को अपवर्जित कर रहे हैं। मान लीजिये एक भाई "क्ष" है जो अपने पीछे सभी अवयस्क पुत्रों को छोड़ गया है तो (क) (१) के अनुसार सभी अवयस्क पुत्र अपवर्जित होंगे। ये अवयस्क पुत्र अपवर्जित नहीं होने चाहिये क्योंकि वे उस व्यक्ति की क्रमागत संतति है और उनके पूर्वज का उसमें अंश था। इसी दृष्टिकोण से यह उपबन्ध बनाया गया है कि ऐसे मामलों में उन्हें एक सदस्य समझा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

जहां तक नियमों के प्रवर्तन का सम्बन्ध है दो शर्त्तों से उनमें सुधार किया गया है। उपनियम (२) के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सरकार अपना आशय स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह इसमें न केवल संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों बल्कि उनकी पुरुष संतति को भी शामिल करना नहीं चाहती। वे विभाजन की मांग करने के अधिकारी हैं या नहीं, वह एक भिन्न विषय है।

इस दृष्टिकोण से मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि इस सम्बन्ध में कि वह नियम संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सिद्धान्त के अनुसार नहीं है, सारी चर्चा गलत है। इस प्रश्न के प्रति वह दृष्टिकोण ठीक नहीं है क्योंकि सरकार भी यह कह सकती थी कि संयुक्त हिन्दू परिवार विधि की दृष्टि से अन्य किसी व्यक्ति जैसा ही है और इसलिये वह भी उतने ही और उसी आधार पर प्रतिकर का अधिकारी है जितना कि अन्य किसी व्यक्ति को मिलता।

किन्तु कुछ विचित्र परिस्थितियों के अधीन, वे संयुक्त परिवार के लिये कुछ उपबन्ध करना चाहते थे। इसलिये हमें इस बात का निर्णय करना चाहिये कि सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह सही है अथवा नहीं, ताकि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाये। और अन्तर्विष्ट कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि किसी विचित्र बात के कारण आप संयुक्त परिवार के नाते कोई रियायत करना आरम्भ करते हैं तो आपको कई बातें करनी पड़ेंगी। उन्होंने नाबालिगों को अपवर्जित करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने सभी क्रमागत संतति को अपवर्जित करने का प्रयत्न किया है क्योंकि परिवार का सदस्य स्वयं वहां मौजूद है और भाइयों के बीच यदि सम्पत्ति का विभाजन हुआ तो स्वाभाविक है कि भाई के पुत्रों को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये। किन्तु उन्हें उस भाई के हिस्से में से हिस्सा प्राप्त हो सकता है। सैद्धान्तिक रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि विभाजन की मांग करने का अधिकार उन्हें भी था। यह हो सकता है। किन्तु हम हिन्दू विधि के समग्र प्रश्न के बारे में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इन नियमों को हिन्दू विधि के सभी सिद्धान्तों को समाविष्ट करने का हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक प्रकार का समन्यायय समायोजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जहां तक प्रतिकर पाने का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के साथ सामान्यतया जो व्यवहार किया जायेगा उससे कुछ और अच्छा, कुछ और समन्यायय तथा कुछ और भिन्न व्यवहार संयुक्त परिवारों के साथ किया जाये। मेरा ख्याल है कि संभवतः इस दृष्टिकोण से इस नियम पर विचार किया जाना चाहिये।

मूल नियम की तुलना में यह नियम केवल स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मूल नियम का एक ऐसा निर्वचन किया जा सकता है जिससे कुछ भ्रम पैदा हो। नया नियम उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। मेरा ख्याल है कि इस दृष्टिकोण से भी श्री राधा रमण का संशोधन स्वीकार्य है। उससे वही उद्देश्य पूरा होगा। उसमें कहा गया है :

"यह सभा निश्चय करती है कि उपधारा (३) के अधीन.....इत्यादि।

३. उपनियम २ के अधीन किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या गणना करने के लिये, किसी व्यक्ति को, जो संगत तारीख को—

(क) अट्ठारह वर्ष से कम आयु का था; अथवा

(ख) संयुक्त परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य के पुरुष-पक्ष का वंशज था; नहीं रखा जायेगा।

४. मैंने यह देखा है कि वहां शब्द उतने स्पष्ट नहीं थे जितना कि होना चाहिये था। इस दृष्टिकोण से मैं श्री राधा रमण के संशोधन की सिफारिश करता हूं। उसमें आगे कहा गया है :

परन्तु जहां किसी संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की १४ अगस्त, १९४७ से प्रारम्भ होने वाली और संगत तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किसी उत्तराधिकारी को पीछे छोड कर मृत्यु हो जाती है, अर्थात्

(क) विधवा अथवा विधवाएं;
(ख) लड़का अथवा लड़के (वह चाहे किसी भी आयु के हों);

किन्तु पुरुष पक्ष में कोई भी वंशज न हो तो ऐसे भी उत्तराधिकारी, इस नियम के किसी भी बात के होते हुए भी, संयुक्त परिवार के एक ही सदस्य के रूप में माने जायंगे।"

अतः नियम १९ (१) कुछ द्वयर्थक था जिस पर चर्चा में इतनी गर्मागर्मी हुई है और इस लिये यह निर्णय किया गया कि सरकार अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। इसी कारण इस विधेयक प्रभारी मंत्री के जो विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी प्रशासन के भी प्रभारी हैं, इस नियम को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। किसी को इस संशोधन से काम मिल रहा है अथवा अधिक यह मैं नहीं जानता।

जहां तक संयुक्त परिवार का सम्बन्ध है एक आध कठिनाई होना संभावी है। एक प्रश्न यह था कि "आप अवयस्कों को क्यों अपवर्जित कर रहे हैं।" कुछ परिस्थितियों में अवयस्कों को भी अधिकार है। अतएव जहां तक हमारी शक्ति में है और जहां तक हिन्दू विधि की विशेषता के अनुसार है हमें पक्षपातहीन व्यवहार करना चाहिये। अतः यह कहने में कि अवयस्कों को अपवर्जित नहीं करना चाहिये और यह कहना जीवित पिता के पुत्र को अपवर्जित नहीं करना चाहिये, कोई महत्व नहीं है। हो सकता है कि ऐसे कुछ मामलों में यह अनुचित हो जहां संयुक्त हिन्दू परिवार में एक पिता और केवल दो पुत्र हों, और पुत्रों को अधिकार न दिया जाय। संभवतः यह सत्य हो या असत्य। परन्तु इन सब मामलों में हमें कुछ नियम बनाना होगा जिससे काम चलाया जा सके। मैं तो यह समझता हूं कि इससे द्वयर्थकता समाप्त हो रही है। आखिर सरकार क्या करना चाहती है? सरकार कुछ और रियायतें देना चाहती है जिनके लिए विस्थापित व्यक्ति-नियम १९ के बिना अधिकारी नहीं।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : रियायतें भी नहीं दी जा रही हैं।

†**श्री पाटस्कर** : बाद में सरकार ने समझा कि इस नियम का गलत निर्वचन हो सकता है, अतः उन्होंने इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा। यह अलग बात है कि उसे कोई स्वीकार करता है अथवा नहीं और यह निर्णय संसद ने करना है कि इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम क्या है। किसी के सम्बन्ध में यह कहना कि वह अनुचित कर रहा है ठीक नहीं है। मैं किसी मंत्री की बात नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत चर्चा सुनी है कि किसने किस कारण ऐसा किया है। परन्तु मैं सोचता हूं कि एक मंत्री का कार्य सरकार का कार्य है और जो कार्य भी ठीक किया गया है उसका श्रेय सरकार को है। और उसी प्रकार जो गलतियां की गई हों उनका अपयश भी सरकार को ही मिलता है। स्वभावतः हमारा यही दृष्टिकोण है और पक्षपात आदि का प्रश्न नहीं पैदा होता।

यदि हम सारी बात को देखें तो हम अनुभव करेंगे कि सरकार ने नियम १९ को स्पष्ट करने और इस मात्रा तक लागू करने का प्रयत्न किया है जिस तक पहले विचार नहीं था। मैं आशा करता हूं कि सभा इस नियम को स्वीकार करेगी।

श्री गिडवानी (थाना) : मेरा विचार तो यह था कि मैं केवल इन रूल्ज (नियमों) पर ही बोलूं, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में सारे रीहैबिलिटेशन के मसले पर अपने विचार जाहीर किये। इसलिये आशा है कि आप मुझे भी इस बारे में कुछ कहने की आज्ञा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो आप उसमें क्यों जाते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री गिडवानी : जनाब, मेरी बुनियादी बात यह है कि इस हाउस ने लोक-सभा ने—ये रूल्ज बनाये और श्री पाटस्कर, जिनके लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, ने भी यह माना है कि उनके वे मायने भी हो सकते हैं, जो कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताये हैं।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : वह खुद भी रूल्ज बनाते वक्त मेम्बर हैं, उन्होंने गलती तब क्यों नहीं बताई ?

श्री गिडवानी : बख्शी टेकचन्द, जो कि पंजाब हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, श्री चटर्जी और दूसरे जितने बड़े बड़े वकील हैं, उन सबकी राय यह थी।

मैं अपने मित्र से एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने एक स्टैचुटरी एडवाइजरी बोर्ड (संविहित मंत्रणाकार बोर्ड) बनाया। उसमें उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा, जिनको उन्होंने पसन्द किया। मेरे जैसे तुच्छ सेवक को उन्होंने इस लायक नहीं समझा। उन्होंने समझा कि यह तो बेकार आदमी है। न ही उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब को रखा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गिला करने का क्या फायदा ?

श्री गिडवानी : जिन लोगों को आप ने पसन्द किया, उनको आप ने चुन लिया। आप ने छः आदमी चुने। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा आप को मश्विरा दिया, लेकिन आप ने उस को नहीं माना। मेरा बुनियादी एतराज (आपत्ति) इस बात पर है कि आया यह जम्हूरियत है—प्रजातंत्रवाद है या जो मिनिस्टर के मन में आये, वह वही कर लें। मैं इस हाउस के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि उसने यह कानून बनाया और उसके मुताल्लिक पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह चैलेंज किया कि कोई भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) का जज बताइये, जो कि इसके दूसरे मायने निकाले। हमारे मिनिस्टर साहब ने अपने दिल की पसन्द के लोगों को स्टैचुटरी एडवाइजरी बोर्ड का मेम्बर बनाया। उन्होंने दो-तीन बार राय दी कि आप के मायने गलत हैं। इतना होने पर भी आज तक उसके मुताबिक अमल नहीं किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक बिल्कुल एतराज की बात है—न होने लायक बात है, जो कि किसी ऐसे मिनिस्टर को, जो कि खुद रेफ्यूजी है, नहीं करनी चाहिये। मैं उसके दिल को जानता हूं। अगर वह समझता कि इसमें कोई गलती है, तो वह दूसरे दिन अमेंडमेंट लाता, लेकिन यह अमेंडमेंट आई है बेशुमार लोगों की शिकायतें सुनकर, लोगों के मुआवजे का तफसिया करके, इतने महीने के बाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट (संसद) में—लोक-सभा में—जो कुछ पास होता है, किसी मिनिस्टर (मंत्री) का उसके खिलाफ जाकर अपने मन की बात करना जम्हूरियत (लोकतन्त्र) और प्रजातन्त्र के खिलाफ है और मिनिस्टर को कोई अख्तियार नहीं है कि वह इस तरह की कार्यवाही करे।

अगर आप एक स्टैचुटरी एडवाइजरी बाडी बनाते हैं, तो लोग उसमें अपना टाइम देते हैं और उस पर टैक्सपेयर (करदाता) का रुपया खर्च होता है। बहुत से लोग उसमें बाहर से आते हैं। इस सबके बावजूद उस बोर्ड की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसी जम्हूरियत है।

जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं खुद कोई प्रापर्टी (सम्पत्ति) रखने वाला नहीं हूं। मैं तो यह कहता हूं कि प्रापर्टी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो कानून बने, मैं उसको लात मारूं।

उस कमेटी के मुताल्लिक मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उसके चेयरमैन, बख्शी टेकचन्द ने इस्तीफा दे दिया। आपको सुन कर हैरानी होगी और मुझे तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के मुताल्लिक यह कहा जाता है कि वह नान-रेफ्यूजी हैं, लेकिन मैं यह

पूछना चाहता हूं कि एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन है ? वह है सेठ चन्दूलाल पारिख। मैं जानता हूं कि वह बड़ा अच्छा और लायक आदमी है और कौंसिल आफ स्टेट का मेम्बर है, बड़ा मिल-ओनर है, करोड़पति है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मिनिस्टर साहब को इन छः आदमियों में कोई ऐसा योग्य आदमी देखने को नहीं मिला, जिसको वह चेयरमैन (सभापति) बनाते ? न पंडित ठाकुर दास भार्गव, न श्री फीरोज चन्द, न ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, न डा० अनूप सिंह और न श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिनको वह बार बार बहिन कहते हैं, उनको योग्य दिखाई दी और उन्होंने एक नान-रेफ्यूजी को चेयरमैन बना दिया। उसने भी पिछली मीटिंग में कहा कि यह गलत है, इसके मायने यही हैं। मैं मानता हूं कि रेफ्यूजी और नान-रेफ्यूजी का सवाल नहीं उठाना चाहिये, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि बावजूद इन सब बातों के क्यों नहीं इन बातों को माना गया।

उस दिन हमारे मिनिस्टर साहब नें यह बताने की कोशिश की लोगों पर यह असर डालने की कोशिश की कि इतने लोग क्लेम भरने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ढाई, तीन, चार लाख एग्रीकल्चरिस्ट क्लेमेन्ट (कृषिक दावेदार) हैं और साढ़े चार लाख अरबन और रूरल प्रापर्टी के क्लेमेन्ट हैं। इसका मतलब है कि पचास लाख मालदार हो गये। मैंने उस वक्त भी इस बारे में कहा था और बाद में मैंने राजेन्द्रनगर और पटेलनगर और दूसरी कालोनीज में जाकर दरयाफ्त किया तो मुझे मालूम हुआ कि करीब पचास फीसदी (प्रतिशत) क्लेमेंट हैं और पचास फीसदी नान-क्लेमेंट हैं। पता नहीं, उनको मालूम होगा। लेकिन कहीं इससे गैर-रिफ्यूजीज के अन्दर यह इम्प्रेशन (भाव) न फैल जाय कि सब लोग मालदार हैं, सब लोगों को क्लेम मिल गये हैं। उनके क्या क्या क्लेम हैं, कितनी जायदाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह गलत असर पैदा हो सकता है। मैंने दो-तीन आदमियों से पूछा, उन्होंने मुझे जो फिगर्स बताये वह ये हैं कि ईस्ट पटेल नगर में जहां पर बड़े अच्छे अच्छे अफसर रहते हैं वहां भी ६० परसेन्ट रिफ्यूजीज क्लेमेन्ट्स हैं और ४० परसेन्ट नान-क्लेमेन्ट्स हैं, लाजपतनगर में ५०, ५० परसेन्ट हैं और राजेन्द्रनगर में ५०, ५० परसेन्ट हैं।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने प्रायरिटी क्लेमेन्ट्स (प्राथमिकता वाले दावेदार) बनाये। बड़ी मेहरबानी की कि बीमारों को प्रायरिटी दी। जिनको तपेदिक था, कैंसर था, उनको प्रायरिटी दी, एक दफा मैंने यह भी कहा कि फेशल (मुख संम्बन्धी) पैरालिसिस (स्तम्भ रोग) वालों को भी इसी तरह से मदद देनी चाहिये, तो कहा कि सारी पैरालिसिस वालों को तो करनी चाहिये लेकिन खाली मुंह की पैरालिसिस वालों को नहीं की जा सकती। अब तो मैं डाक्टरी भूल गया हूं, आठ नौ महीने तक सिर्फ प्रैक्टिस की है, लेकिन उसी वक्त मैंने पढ़ा था कि जब किसी को फेशल पैरालिसिस होती है तो जो दिमाग की आर्टरी (नस) होती है उसमें आब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उससे आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि किसी वक्त भी उसका दिमाग खराब हो जाय और वह मर जा सकता है। लेकिन खैर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन बड़े बड़े आदमियों के लड़के विलायत पढ़ने गये हैं, उनको प्रायरिटी लिस्ट में रखने की क्या जरूरत है ? विदेश गये लोगों के पिताओं को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। एक तरफ तो जिनको फेशल पैरलिसिस हो गई है उनको प्रायरिटी के लिये नहीं गिना जाता, लेकिन मैं हैरान हूं कि दूसरी तरफ ऐसे आदमियों को गिन लिया जाता है जिनके बच्चे विलायत में हैं। कई आदमी ऐसे होंगे जिन तक बच्चे पहले ही विलायत पहुंच गये होंगे। इस वक्त कंडिशन (हालत) यह है कि वह पहले ही विदेश में होना चाहिये और वहां से प्रमाणपत्र आना चाहिये कि वहां अध्ययन कर रहा है। उनको भी ८,००० रु० नकद दे दिया गया प्रायरिटी क्लेम में रख कर। बहुत ठीक है, बेटा पढ़ तो गया। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि क्या वह फेशल पैरलिसिस वाले से ज्यादा जरुरतमन्द है ?

कभी आप नये-नये रूल लाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जो हमारे रूरल हाउसिंग क्लेमेंट्स (ग्राम आवास दावेदार) हैं उनका क्या हाल है ? मैं उनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे श्री ठाकुर दास जी भार्गव ने और मैंने भी पहले कई

[श्री गिडवानी]

दफा उनका जिक्र किया है। लेकिन मेरी कम्बख्ती यह है कि मैं सारे हिन्दुस्तान में फिरा करता हूं। अभी मैं इटावा गया तो देखा कि वहां पर एक ७० या ८० बरस का बुड्ढा जिंदा है। उस का क्लेम १०,००० से १० या २० रुपया कम था। उसको तीन एकड़ जमीन मिलती है शाहजहानपुर में। अगर वह यह तीन एकड़ जमीन नहीं लेता, तो क्या हो? और वह ले ही नहीं सकता क्योंकि वह ७० या ८० बरस का है, उसने दरख्वास्त दी कि वह जमीन कैंसेल हो जाय, वह जमीन कैंसेल (रद) हुई, मैंने मि० तनेजा को लिखा कि उसकी जमीन कैंसेल हो गई, उसे हाउसिंग प्रापर्टी में से मिलना चाहिये। मि० तनेजा बड़े हमदर्द हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं, मैं उनकी कोई शिकायत यहां पर नहीं करना चाहता, वह कानून के पाबन्द हैं, मैंने ऐसे अफसर कम देखें हैं जो इतनी हमदर्दी अपने दिल के अन्दर रखते हों। उन्होंने मुझे बतलाया और कहा कि उनका दावा नियमों के अनुसार रद हो चुका है।

अब हमारे रूल्स क्या हैं कि किसी भी आदमी को किसी हालत में अगर लैंड मिलती है और वह न ले, भले ही वह पत्थर हो, बिल्कुल मिट्टी हो, उसको पूरा पजेशन भी नहीं मिला, उससे कोई पैदावार भी न हो, एस्टिमेट्स कमेटी में भी सवाल उठा, हमारे सामन्त साहब को मालूम है, जहां जहां हम गये यह शिकायत की गई कि यह क्या कानून है, कि अगर हमारा ९९९९ रु० का एक एक क्लेम हो तो भी हमको तीन एकड़ जमीन मिले, और हम न लें तो हमको कंपेन्सेशन न मिले? यह क्या कानून है? जहां कैंसेल भी हुई है, उन लोगों ने जाकर दरखास्त भी दी है कि हमारी जमीन कैंसेल हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने बार बार लिखा कि मैं चाहता हूं कि उनके साथ न्याय हो, उनको प्रायरिटी कैटेगरी में लाना चाहिये, उन आदमियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिये, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता है।

इसके सिवा मेरे ध्यान में एक बात और आई और जो रूल ३० और ३१ हैं उनके बारे में मैंने मिनिस्टर साहब के पास लिख कर भेजा है कि जब मैं सौराष्ट्र गया तो जैतपुर में इसके बारे में शिकायत की गई। रूल ३० में है कि यदि नियत की जाने वाली सम्पत्ति एक से अधिक लोगों के पास हो तो वह उन्हें दी जायेंगी जिसका प्रतिकर उस सम्पत्ति के मूल्य के बराबर हो। इसके सिवा रूल २९ में भी यह है कि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान स्थगित कर दिया जायेगा जिसके पास अर्जित निष्क्रांत सम्पत्ति हो वह लेने से इन्कार कर दे।

इसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि इन दि केस आफ एन ऐलाटेबल प्रापर्टी (नियत की जाने योग्य सम्पत्ति के मामले में) आप देखिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो आदमी शहर में है अगर वह ऐलाटेबल प्रापर्टी नहीं लेता है तो उस का क्लेम रद्द नहीं होता। लेकिन रूरल प्रापर्टी के बारे में यह है कि अगर किसी को जमीन मिले और वह न ले, भले ही वह रद्दी हो, बेकार हो, तो उसका क्लेम पूरा हो गया मान लिया जाता है। यदि वह स्वीकार नहीं करता तो उसका दावा पूरा किया गया मान लिया जाता है। रूरल के बारे में एक कायदा और अरबन के बारे में एक कायदा। मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब इन सब बातों को सोचें।

दूसरी बात मैंने यह कही कि अगर ऐलाटेबल प्रापर्टी में दूकानें भी है तो दोनों को अलग अलग करके देना चाहिये। मुझे खुशी है कि उन्होंने उसका जिक्र किया।

मेरे कहने का मतलब यह था कि अरबन और रूरल प्रापर्टीज के बारे में जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे लोगों को तसल्ली नहीं हुई, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। एक आदमी बम्बई में रहता है, उसे जमीन मिलती है हैदराबाद में। और जमीन ऐसी है जहां टेनैन्ट्स (किसान)

ने कुछ दिया नहीं, और उसका रूरल हाउसिंग क्लेम रद्द हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसी तरह से सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। जहां जहां पर रिफ्यूजीज रहते हैं, खास कर सिंधी रिफ्यूजीज, उनके साथ यह हो रहा है जिससे उनको बड़ी तकलीफ है। तो मैं चाहता हूं कि सारे मामले पर सोचा जाय और फिर उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश की जाय। यह कहना कि इस तरह से हम लोग एक एक रूल ला कर अमेंडमेंट करते हैं और जो पार्लियामेंट करती है उस पर बाद में अमल नहीं किया जाता यह ठीक नहीं है। आज जो कुछ यहां पर हुआ वह इसी का नतीजा है। मैं अपने दोस्त श्री मेहर चन्द खन्ना साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर यहां पर श्री ठाकुर दास भार्गव जैसे कानूनदां और बुजुर्ग आप से इस तरह से बात क्यों करते हैं ? उनके दिल में कोई अपनी गरज नहीं है, वह खुद कोई रिफ्यूजी नहीं है। लेकिन चूंकि वह रिफ्यूजीज की तकलीफों को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके एडवजिरी बोर्ड (मंत्रणाकार बोर्ड) में भी रहे ह, उन्होंने लोगों की हालत को देखा है, इस वास्ते उनके दिल में तड़प है, उनके दिल को उनकी हालत को देख कर दुख हुआ है, जिसको कि उन्होंने इस सदन के सामने जाहीर किया है। मैंने तो अपने दिल के दुख और रंज का इजिहार करना छोड़ दिया है। मैं तो अब यह समझने लग गया हूं कि अगर आपके दिल को भी दुख पहुंचता है और फिर आप कुछ करते हैं तो आप अपने कर्तव्य का ही पालन करते हैं। मुझ से जो सेवा हो सकेगी मैं करने को तैयार हूं। अगर आप अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आप जानें। मैं तो अपना फर्ज़ पूरा करूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, आपके अफसरों के पास आऊंगा, आपको चिट्ठी लिखूंगा, आपके अफसरों को चिट्ठियां लिखूंगा, फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप करें और आपकी इच्छा न हो तो आप न करें। लेकिन मैं इस वक्त अरबन और रूरल रिफ्यूजीज के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसको बताना अपना फर्ज़ समझता था।

इससे रूरल रिफ्यूजीज को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उनको बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड रहा है। आज इसका असर यह हो रहा है कि उनको दो एकड़ जमीन देकर उनसे १०,०००, २०,००० और ३०,००० की जमीन खींची जाती है और इतने पर भी जो जमीन उनको दी जाती है वह बेकार होती है जिससे कि उनको कोई फायदा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें और जो तकलीफात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं इस हाउस का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं कानूनदान तो नहीं हूं जैसे कि हमारे भाई ठाकुर दास जी हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो एमेंडमेंटस् उन्होंने दी हैं, उन पर आप गौर करें।

आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मुझे एक फारसी की कहावत याद आ गई है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसको सुन लें :

अतुरआंस्त कि खुद बबूयद न कि अतार बिगूयत

परफ्यूम वह है जिसकी खुदबू आये।

इसी तरह से आप जो भी काम करते हैं, उसकी तारीफ आप ही को नहीं करनी चाहिये बल्कि बात तो तब बनेगी जब लोग आपकी तारीफ करेंगे। यह एक पुरानी बात है जो आपको समझनी चाहिये।

मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं। आज हम आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बरसों से हम यह चिल्लाते आये हैं, यह पुकार करते आये हैं कि हमारी दर्द को जानने वाला कोई मंत्री नहीं है। इसी वजह से सरकार ने आपको मंत्री बनाया। तो एक बात जो मेरे दिल में खटकती रहती है और जिसको मैंने आज तक नहीं कहा है, मैं चाहता हूं कि उसे मैं अब कह दूं। जो काम आज तक न्योगी जी ने नहीं किया, जो काम मोहन लाल सक्सेना जी ने नहीं किया, जो काम अजित

[श्री गिडवानी]

प्रसाद जैन जी ने नहीं किया, वह काम आप ने कर दिया है। अब तक जितने भी एडिवैजिरी बोर्डस बनते आये है, उनका चेयरमैन हमेशा एक रिफ्यूजी ही हुआ करता था। क्या आप को रिफ्यूजीज में से कोई ऐसा भला आदमी नजर नहीं आया जिसको कि आप चेयरमैन बनाते ? क्या आप को इस काम के लिये कोई योग्य रिफ्यूजी नहीं मिला ? क्या आपको इस एडिवैजिरी बोर्ड के छः मैम्बरों में से कोई भी पसन्द नहीं आया ? आप बंसल साहब को बना दें मुझे कोई एतराज नहीं। आपने जो उन में से किसी को नहीं बनाया इसका भतलब यह है कि उनमें से किस में भी आपका विश्वास नहीं है। यह सोचने की बात है, इन्ट्रोस्पैकशन की बात है। आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप उनमें से किसी का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप और हम मिल कर काम करें और इस मामले को जल्दी तय करें और आपस में कोआॅप्रेट करें।

अन्त में मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको वही काम करना चाहिये जिससे कि आवाम का भला हो। मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूं।

यह बागे बहार दुनिया चन्द रोज
देख लो इसका तमाशा चन्द रोज
यह वजीरी चन्द रोज,
यह अमीरी चन्द रोज।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिन्डा) : चर्चा के दौरान में कई बातें ऐसी हो गई है, जिनका हमें खेद हैं। परन्तु माननीय मंत्री ने कहा था कि सब दावेदारों ने दावे दे दिये हैं और कोई बाकी नहीं बचा है। यदि उन्होंने यह न कहा होता तो यह अवस्था न होती।

इस तर्क में कोई सार नहीं कि पांच लाख नगरीय दावे थे और पांच लाख ग्रामीण थे, और सभी शरणार्थियों के दावे आ चुके हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि सम्पत्तियां गैर-दावेदारों को दे दी गई हैं। इस समय भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो दावे नहीं दे सके हैं।

कहा गया है कि सरकार ने संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों को और कुछ अन्य विस्थापित व्यक्तियों को बहुत रियायतें दी हैं। माननीय मंत्री ने प्रतिकर योजना प्रस्तुत करते समय कहा था कि एक कुंज का है और वह उसके ७ प्रन्यासी थे और बराबर भाग सब को दिया जाना था। जहां तक इन सम्पत्तियों का सम्बन्ध है वे निश्चित हैं और क्योंकि सरकार अपनी ओर में उनमें कुछ नहीं जोड़ रही है, इसलिये उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। अब माननीय मंत्री का कार्य केवल यही है कि वह १८५ करोड़ रुपये की इन सम्पत्तियों को दावेदारों के बीच उचित रुपसे और समानता के साथ बांट दें। इसमें रियायतों का प्रश्न कहां से आता है ? यदि माननीय मंत्री ने किसी का भाग कम करके किसी दूसरे को अधिक दिया है तो यह सर्वथा अनुचित है। यदि वह यह कहें कि संयुक्त हिन्दू परिवार एक व्यक्ति से अधिक होता है अतः उसके लिये कुछ अधिक किया जाना चाहिये, तो यह बात मानी जा सकती है। किन्तु मंत्री महोदय ने यह बात न कह कर ऐसा बर्ताव किया, जिससे कि विस्थापित व्यक्तियों की शंकाएं दूर नहीं होतीं। निस्सन्देह वह स्वयं एक विस्थापित व्यक्ति है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह सब विस्थापित व्यक्तियों की सहानुभूतियों के एकमात्र अभिरक्षक हैं।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव बड़ी मेहनत से विस्थापित लोगों के हितों की देख रेख कर रहे है। इसके लिये हम उनके आभारी हैं। माननीय मंत्री श्री खन्ना को भी विस्थापितों से सहानुभूति है। उन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या इस संशोधन का विस्थापित व्यक्तियों पर जिन्हें हम लाभ पहुंचाना चाहते ह कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ता है। यदि वह कहते

†मूल अंग्रेजी में।

कि संयुक्त हिन्दू परिवार एक व्यक्ति नहीं होता है, अतः उसके लिये कुछ किया जाना चाहिये। विधि-कार्य मंत्री ने कहा कि पुत्र को इन लाभों के बारे में मान्यता नहीं दी जा सकती। तब और बात थी। परन्तु विवाद तो इस संशोधन और इसके परिणामों के बारे में था।

हम पण्डित ठाकुर दास भार्गव के निर्वचन से पूर्णतः सहमत हैं और विधि-कार्य मंत्री ने भी माना है कि इसके शब्दों का यही निर्वचन हो सकता है।

†**श्री पाटस्कर**: मैंने कहा था कि पहला नियम १९ अस्पष्ट था।

†**सरदार हुक्म सिंह** : प्रश्न यह है कि क्या पुत्र को अंश मिलेगा या नहीं ?

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव**: उनको कहने दीजिये कि वयस्क पुत्र को नियम १९ के अनुसार एक एकक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

†**सरदार हुक्म सिंह**: वह पहले ही कह चुके हैं कि पुत्र को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनर्वास मंत्री ने भी यही कहा है। अब इस बारे में कोई विवाद नहीं है। पण्डित भार्गव, मैं तथा अन्य सदस्य यह अनुभव करते हैं कि यदि अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार को एक व्यक्ति से अधिक माना जाता है तो पुत्र को सबसे पहले वह लाभ मिलना चाहिये। यदि पुत्र को ही उस लाभ से वंचित किया गया तो और किस सदस्य का उस लाभ पर अधिक दावा हो सकता है ? शायद माननीय मंत्री यह बात इस कारण स्वीकार नहीं करते कि उनको आशंका है कि ऐसा परिवर्तन करने से कहीं इस प्रतिकर योजना में विलंब न हो जाये। हमें इस पर शान्ति से विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री इसमें शीघ्रता करने का श्रेय भले ही लें, परन्तु वह यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई रियायत दी है।

हमें इसकी वित्तीय उपलक्षणा में और अनेक कठिनाइयां बताई गई हैं। हमारे पास इन कठिनाइयों के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। समय भी ऐसा है कि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसी समय माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि उनके मन में क्या आशंकायें हैं, जिनके कारण यह नहीं किया जा सकता है, और उनको दूर नहीं किया जा सकता है।

सुझाव दिया गया है कि एक समिति स्थापित की जाय जो कुछ ठोस तथ्य एकत्र करके सभा को बताये कि पुत्र को इतना अधिक भार और वहन करना पड़ेगा।

एक सदस्य ने अभी कहा कि उनको शिक्षा मंत्री ने यह संकेत किया था कि दूसरे लोगों का अंश कम कर दिया जाये। इस कमी की मात्रा पर भी विचार करना होगा। जब तक इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, हम इस प्रस्तावित संशोधित को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अतः मैं समिति की नियुक्ति के विचार का समर्थन करता हूं। वर्तमान परिस्थिति में यही सर्वोत्तम उपाय है। यह समिति यथाशीघ्र प्रतिवेदन दे।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव**: मेरे भाषण के बाद श्री राधा रमण ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह संशोधन उस दिन प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही क्रम पत्र में इसका उल्लेख था।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्योंकि सरकार उसे स्वीकार करना चाहती थी, इसलिये मैंने उसकी अनुमति दे दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने किसी भी संशोधन को अस्वीकार नहीं किया हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : वह बाद को आया और यह उचित है कि जब कोई नई बात रखी जाये तो जिन्होंने संशोधनों की पूर्वसूचना दे रखी है उन्हें उस पर आलोचना करने का अवसर दिया जाये ।

नवीन संशोधन नियम १९ की उप-धारा (२) के एकदम प्रतिकूल है । मेरे विचारानुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का भतीजा है और १८ वर्ष से अधिक आयु का है तो वह नियम २ के अन्तर्गत अधिकारी है । परन्तु यह संशोधन इस अधिकार का निराकरण करता है । यह बड़ी विचित्र बात है कि अब तक प्राप्त एक अधिकार को इस संशोधन द्वारा निराकृत किया जा रहा है ।

माननीय मंत्री नियम १९ में परिवर्तन करना चाहते हैं । माननीय मंत्री मृत सदस्य की विधवा को अधिकार देने के पक्ष में हैं, परन्तु इस संशोधन से तो वह अधिकार भी समाप्त हो जाता है । माननीय मंत्री के संशोधन के अनुसार किसी मृत सदस्य की कोई भी विधवा एक एकक माने जाने की अधिकारी है, पर अब इस अधिकार को भी निराकृत किया जा रहा है ।

यदि कोई व्यक्ति १५ अगस्त, १९४७ और २६ सितम्बर, १९५५ के बीच मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे यह लाभ प्राप्त होता है अन्यथा नहीं । इसमें तो कोई तुक ही नहीं है । माननीय मंत्री ने अवयस्क पुत्र को अधिकार दिया, वह इससे समाप्त हो जाता है । पहले 'विभाजन कराने के अधिकारी' शब्द थे, वह अब संशोधन में नहीं हैं । जब तक कि कोई व्यक्ति बंटवारा कराने का अधिकारी ही नहीं है वह किस प्रकार अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है ? अतः मेरा निवेदन है कि संशोधन को स्वीकार न किया जाये ।

†**लाला अचिन्त राम** : क्या आप मुझे यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे कि इस मामले को एक समिति को सौंपा जाये और उसे २५ अगस्त तक प्रतिवेदन देने को कहा जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक कि समूची लोक-सभा अथवा मंत्री महोदय सहमत न हों मैं किसी भी संशोधन या प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : डा० गिडवानी ने अपनी तकरीर एक फारसी मिसरे के साथ खत्म की तो मैं अपनी तकरीर भी फारसी के एक मिसरे के साथ शुरू करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं

"हर च अज दोस्तं फी अल्द न कोस्त"

दोस्त से जो कुछ भी आये वह अच्छा है और मैं उसको प्यार की नजर से देखता हूं और इज्जत की निगाह से देखता हूं । इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि . . .

मैं यही कह रहा था । पहले दिन जब बहस हुई और आज की भी बहस में जिन्होंने हिस्सा लिया वे मेरे दोस्त हैं और उन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक मिनिस्ट्री के साथ और मेरे साथ रेफ्यूजीज की जो भी तकलीफात आती हैं उनको समझने में और हल करने में मेरा हाथ बंटाया है । अगर मुझे पंडित ठाकुर दास भार्गव की इज्जत का खयाल न होता और अगर मुझे उन पर यह विश्वास नहीं होता कि वे रेफ्यूजीज के दोस्त हैं और दिल से उनके साथ हमदर्दी है तो जब वह ऐडवाइजरी बोर्ड बनने लगा था तो मैं ने बतौर मिनिस्टर के ही नहीं उनको उसमें शिरकत करने की दावत दी थी बल्कि खुद भी उनके पास गया था और उनसे यह दरख्वास्त की थी कि वे इस बोर्ड की मेम्बरी को स्वीकार करें । जब इंसान एक बोर्ड बनाता है और बोर्ड में अपने साथियों को लेता है तो मैं यह जानता हूं कि उस पर यह एक मौरेल फर्ज़ आयद हो जाता है कि उस बोर्ड की जितनी भी सिफारिशात हों उनको इज्जत की नजर से देखे और उनको समझने की और उन पर अमल करने की कोशिश करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आज बोर्ड ने बहुत सी सिफारिशात की हैं और मैं बिलाशक कह सकता हूं कि गो कि बोर्ड ऐडवाइडरी (मंत्रणा बोर्ड) है लेकिन ७५ फीसदी और ८० परसेंट तक मैंने उसकी सिफारिशात को स्वीकार किया है। अब यह कह देना कि हमेशा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाय कि जो भी बोर्ड की सिफारिश होगी उसको मिनिस्ट्री मानेगी, यह जरा मुश्किल सी बात है। मैं यही कह सकता हूं कि अंडरस्टैन्डिग के साथ सिम्पैथी (सहानुभूति) के साथ और कंसिडिरेशन (विचार) के साथ जो भाई भी अपनी सलाह मुझे भेजेंगे मैं उस पर गौर करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके नुक्तेनिगाह को समझूं और समझ कर उस पर जहां तक बन पड़ेगा अमल करने की कोशिश करूंगा। जब मैंने पंडित ठाकुर दास भार्गव को बोर्ड की मेम्बरी की दावत दी थी तो मैं यह जानता था कि वे नौन-रेफ्यूजी (विस्थापित नहीं) हैं। जब मैंने श्रीमती सुचेता कृपालानी को बोर्ड की मेम्बरी की दावत दी थी तब भी मैं जानता था कि वे नौन-रेफ्यूजी हैं, और आज जो मैंने श्री चंदूलाल पारिख को दावत दी है तो उसमें कोई अचम्भे की बात नहीं है। ये भाई रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री (पुनर्वास मंत्रालय) से काफी गहरा सम्बन्ध रखते हैं। सन् १९५२ में एक कमेटी बनी थी जिसका कि वोकेशनल (व्यवस्यायिक) और टेकनिकल ट्रेनिंग के साथ ताल्लुक था। पारिख साहब उसके मेम्बर थे और उन्होंने और दूसरे लोगों ने तमाम देश का दौरा किया और मुझे हर मामले में रेफ्यूजीज की बहतरी और बहबूदी के लिए राय दी। आपका ताल्लुक रिहेबिलिटेशन फाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड (पुनर्वास वित्त प्रशासन बोर्ड) के साथ है और आज वे तीन-चार वर्ष से उस बोर्ड पर काम कर रहे हैं, साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि दीगर मेम्बर साहबान जो उसमें आये हैं वे उनसे पहले से काम करते रहे हैं। मैंने उनको एक शरणार्थी के नाते से और उस शख्स के नाते से जिसके कि दिल में शरणार्थियों के लिये दर्द है, बोर्ड में आने की दावत दी है। वे इस मिनिस्ट्री के साथ पिछले तीन, चार वर्ष से कोआपरेट करते रहे हैं और मुझे उन्होंने काफी हैल्प दी है। लेकिन अगर आज एक उसूल बना दिया जाय कि इस बोर्ड में सिवाय एक रेफ्यूजी के दूसरा कोई नहीं हो सकता तो म जानता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जिनके कि दिल में रेफ्यूजीज के लिए दर्द है और जिनकी कि मैं कद्र करता हूं वे उस बोर्ड में नहीं आ सकते थे और इसी तरह श्रीमती सुचेता कृपालानी भी नहीं आ सकती थी ; हमें उस चीज को एक लिमिटेड (सीमित) दायरे (क्षेत्र) से नहीं देखना चाहिये बल्कि देखना यह चाहिए कि रेफ्यूजीज की खिदमत ज्यादा से ज्यादा कौन कर सकता है और उसमें हमारा कितना भला है।

दूसरे जो डिप्टी स्पीकर ने लफ्ज "कंस्सैशन" (रियायत) के बारे में कहा, तो लफ्ज "कंस्सैशन" मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। जो मैंने पहले दिन कहने की कोशिश की थी वह यह थी कि इंटैरिम स्कीम (अन्तरिम योजना) जो हमारी बनी थी वह इंटैरिम स्कीम एक हद तक जाती थी। उस इंटैरिम स्कीम में ५० हजार की लिमिट थी। ८ हजार रुपये स ज्यादा कश नहीं मिल सकता था और चन्द एक कैटेगेरीज (श्रेणियां) थीं जिनके कि साथ वह स्कीम महदूद थी। उस स्कीम में न हिन्दू खानदाने मुशतर्का का जिक्र था और न इस बात का जिक्र था कि कौन लीनियल डिसेंडेंट (संतति) है, भाई है, पोता है या चाचा है, वगैरह। उसमें सिर्फ एक यार्डस्टिक थी और वह यह थी कि पाकिस्तान में अलिफ की कितनी जायदाद रह गई और हमारे ग्रेड या स्केल के मुताबिक उसको कितना रुपया मिलना चाहिए। मैंने यह अर्ज किया था कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने—गवर्नमेंट ने—उस स्कीम से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की और उसको बहुत लिबरलाइज किया और जैसा कि मैंने बताया था, पहले हमारी सीलिंग पचास हजार रुपया थी, लेकिन हम उस को दो लाख रुपये तक ले गये। हमने यह भी किया, जैसा कि रूल १९ में दिया गया है, कि अगर तीन हैं, तो दो शेयर और अगर चार या ज्यादा हैं, तो तीन शेयर होंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह ऐवान जरा खुद ही ख्याल करे कि कहां पचास हजार रुपये और कहां दो, चार, छः लाख रुपये, जो कि अब एक खानदान को मिल सकते हैं?

यही नहीं, पहले नकद रुपया देने की लिमिट (सीमा) आठ हजार रुपये थी, लेकिन अब एक खानदान को चौबीस हजार रुपया नकद मिल सकता हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सब कह कर मैं किसी किस्म का दावा नहीं कर रहा हूं। शरणार्थी ने जो कुछ खोया है, जो कुछ

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तकलीफ उठाई है, वह मैं जानता हूं। मेरा भी घर-बार था। अपने सूबे में मेरी भी कुछ इक-नामिक पोजीशन (आर्थिक स्थिति) और पोलीटिकल पोजीशन (राजनैतिक स्थिति) थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब इन्सान आपना घरबार छोडता है और हमेशा के लिए अपने बाप दादा की जमीन को छोड़ कर आता है, तो उसको क्या तकलीफ होती है। मैंने यह नहीं कहा था कि जो शरणार्थी नहीं, उनमें शरणार्थी के लिये हमदर्दी नहीं है, बल्कि मैं यह कह रहा था कि मैं खुद उसी मरज का शिकार हूं, क्योंकि मैंने तकलीफ अपनी आंखों से देखी है--मैंने देखा है कि गोलियां कैसे चलीं, मैंने देखा है कि आजिज भाई कैसे मारे गये और किसी की बहिन और बेटी किस तरह जबरदस्ती ले जाई गई। मैंने यह कभी नहीं कहा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव रेफ्यूजीज के दोस्त नहीं हैं या इस लिहाज से कोई दूसरा उनका दोस्त नहीं है। मैं तो अपने सब भाइयों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं। मेरे लायक दोस्त, पंडित ठाकुर दास भार्गव, पहले रोज कुछ नाराज हो गये थे, कुछ गुस्से में आ गये थे। शायद मेरे अल्फाज उनको पसन्द नहीं आये। मैं उनसे क्षमा चाहता--माफी मांगता हूं। मेरा कभी भी यह इरादा नहीं था कि उनका दिल दुखे। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया कि अगर श्री अजित प्रसाद जैन ने चोरी की है, तो तुम ने डाका डाला है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, शायद उनकी बात दुरुस्त हो। मैं पठान हूं--पठानों के सूबे का रहने वाला हूं। तमाम उम्र हमारा यही पेशा रहा है। हो सकता है कि यह बात उन्होंने इस ख्याल से कह दी हो।

सरदार हुक्म सिंह : लेकिन पठान घर वालों को नहीं लूटते।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : लेकिन जहां तक श्री अजित प्रसाद जैन का ताल्लुक है, उनके मुताल्लिक एक ऐसे कालीग के मुताल्लिक, जिसके साथ मने साढ़े चार बरस काम किया है, ये अलफाज सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाबे वाला, अगर आप कटैक्स्ट (प्रसंग) को देखें, तो आपको मालूम हो जायगा कि मैंने यह नहीं कहा कि एक आनरेबल मिनिस्टर ने वाकई चोरी की और दूसरे ने डाका डाला। अगर आप कनटैक्स्ट को देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि मेरा मतलब यह था कि उन्होंने कम गलती की और आपने उनसे बढ़ कर गलती की।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं आपके अलफाज को कोट कर रहा हूं। मुझे याद है कि स्पीकर साहब ने उसी वक्त फरमाया था कि आप के ये अलफाज अनपार्लियामेंटरी है, लेकिन जवाब में आपने फरमाया था कि वे अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री के लिये चोरी या डकैती जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार के शब्द तो किसी अन्य व्यक्ती के लिये भी प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहिये।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा अभिप्राय: यह नहीं था कि वह चोरी या डकैती के लिये अपराधी हैं। ये शब्द रियायतें देने और उन अधिकारों को लेने के प्रसंग में १४ सितंबर, १९५५ को प्रयुक्त किये गये थे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह डाकुओं के देश से सम्बन्ध रखते हैं। क्या यह संसदीय भाषा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों ओर से अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, अत: अब मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। श्री अजित प्रसाद जैन ने बड़े कठिन समय पर इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया। मैंने समीप से उनके कार्य को देखा है। मैं ४।। वर्ष से उनके साथ काम करता रहा हूं। एक मंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में।

के बारे में जिसने इतनी कठिन परिस्थिति में काम किया है, इतने निन्दनीय शब्दों का प्रयोग करना, उसके प्रति या मंत्रालय के प्रति उचित नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे अग्रज ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है मैं उस का बुरा नहीं मानता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में इस आशय के शब्द का वाक्य असंसदीय माने जायंगे कि अमुक सदस्य या मंत्री ने चोरी या डकैती की है। मुझे इस प्रसंग में इन शब्दों के प्रयोग किये जाने का खेद है। इसके बाद इनका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने स्वयं आपने बारे में कहा था कि उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त का होने के कारण, शायद पठान होने के नाते मुझे डाकू कहा जा सकता ह, और मैं इन का बुरा नहीं मानता। मैं उन्हें बड़ा भाई कह रहा हूं और यदि उनके प्रति मुझसे किसी अनुचित शब्द का प्रयोग हो गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : उस प्रसंग में यदि आप मेरे शब्दों को ीक न समझें, तो मैं उन्हें वापिस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी, हिन्दी या उर्दू, किसी भी भाषा में "चोरी" या "डकैती" शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : खैर, उस बात को मैं छोड़ देता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि हमन अपनी इन्टैरिम कम्पेन्सेशन (अन्तरिम प्रतिकर) स्कीम (योजना) में यह कहीं भी नहीं लिखा कि किसी को कुछ ज्यादा मिलेगा। उसमें यह था कि पाकिस्तान में जो जायदाद रह गई है, उसके क्लेम पेश किये जाये। क्लेम आये और उनको असेस किया गया और एक स्केल के मुताबिक बाद-अजां उन क्लेम की बिना पर लोगों को कम्पेन्सेशन मिलना था। यह बात हमारी स्कीम में थी और हम इसको साल, सवा साल तक चलाते रहे। अप्रैल, १९५५ का जिक्र है कि हमारे रीहैबिलिटेशन मिनिस्टर्ज (पुनर्वास मंत्री) की कांफरेंस हुई, उसमें यह सवाल आया। हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कहा—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका पंजाब से सम्बन्ध है—कि पंजाब से बडे बडे खानदान आये हैं—मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं—और उनकी लाखों करोडों रुपये की जायदाद थी। वे तीन चार भाई हैं, जिनमें दो तीन भाई मेजर हैं और वे जिन्दा हैं और कुछ माइनर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पुराने रूल के मुताबिक उनको एक यूनिट रखें, तो वह खानदान तो तबाह हो जायगा। उस वक्त यह फैसला हुआ, जैसा कि रूल १९ में दिया गया है। मेरे आनरेबल कालीग (साथी) ने बड़ी वजाहत के साथ उसको साफ किया है। मैं उसके लीगल एस्पैक्ट (विधि सम्बन्धी पहलू) में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो इन्टेन्शन (विचार) है, वह साफ है।

उसके मुताबिक हमने एक नया रूल बनाया और उस लाइट (दृष्टि से) में हमने उन फैमिलीज को सर्टेन कंसेशन्स (रियायतें) दिये। अगर हिन्दू खानदान मुश्तर्का का सवाल होता तो एक लीगल इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) होता। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमको वह फैमिली लेनी थी जिसका जो कम्प्लेक्शन (रूप) १५ अगस्त, १९४७ को था जिस रोज कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त उस फैमिली में जो माइनर थे और जो मेजर थे उनका खयाल करना था। हमसे कहा गया कि अब ८ या ९ बरस गुजर चुके हैं, १९४७ में जो बच्चा ११ या १२ बरस का था, उसको हिन्दुस्तान में आये हुए ८ या ९ बरस गुजर चुके और २६ सितम्बर, १९५५ को उस की उम्र १२ बरस में ८ बरस शामिल करके २० बरस लगायें। हम एक कदम आगे बढ़े और बढ़ने के साथ यह फैसला किया कि अगर किसी के दो या तीन भाई हैं और वह १५ अगस्त, १९४७ को नाबालिग था, और कानून के मुताबिक हम आज उसको बालिग नहीं बना सकते तो उस को हम ८ बरस का कंसेशन देते हैं, या इस हद तक रूल्स को लिबरलाइज (उदार बनाना) करते हैं और उसको इस कैटेगरी में लाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मेहर चंद खन्ना]

हमने एक और चीज की जो कि और उस दिन बतलाई थी। पता नहीं मेरे बड़े भाई उसको क्यों नहीं समझ सके। मैं कहना चाहता हूं कि फर्ज कीजिये आज हम यह कंपेन्सेशन दे रहे हैं, तीन भाई हैं, ए और बी जिन्दा हैं, सी मर चुका है और सी की विडो (विधवा) है, माइनर (अवयस्क) बच्चे हैं। अगर वह भाई आज जिन्दा होता तो दो शेअर बनते, तीन बनते, उसके मुताबिक आज हम तसव्वर कर रहे हैं कि उसकी फमिली एक यूनिट है। मुमकिन है कि कानून न यह चीज जायज न हो, लेकिन ईक्विटी के लिहाज से और जस्टिस के लिहाज से जरुरी है। अगर वह मरा न होता तो उसको दूसरे भाइयों की तरह का कंपेन्सेशन कुछ मिल जाता। जो उजड़ गये, जिनका सब कुछ पाकिस्तान में रह गया, जिनके यहां एक कमाने वाला था वह चला गया, उसके लिये हमने यह किया है कि उसे जिन्दा माना और जिन्दा मानते हुए वह २५ परसेन्ट या ३३ परसेन्ट या एक तिहाई, जो कुछ भी तय हो जाय, वह पा जाय। तो मैं कह रहा हूं कि हम उसकी फैमिली को एक यूनिट तसव्वर करते ह, चाहे उसकी फैमिली में एक विडो हो, दो विडों हो, तीन माइनर हों, चार माइनर हों। हम उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, दे ही रहे ह, हम आगे ब्रढ़ रहे हैं और यह कर रहे हैं, जसे जैसे कंपेन्सेशन स्कीम चलती है। जैसे मैंने उस रोज अर्ज किया था, मेरे पास न कोई रेकार्ड है, न प्रेसिडेंट्स हैं, न कोई और खास चीज है, जैसे जैसे लोगों की तकलीफात सामने आती हैं, हम उन तकलीफात को देखते हैं, हम उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं और इंसाफ पर मबनी जो हल होता है उसके लिये कोशिश करते हैं।

आज हमारे गिडवानी साहब नाराज हो गये कि जिन लोगों के बच्चे इंग्लिस्तान में पढ़ रहे हैं उनको कैश क्यों देते हो। मेरा बच्चा कोई इंग्लिस्तान में नहीं पढ़ रहा है, न मेरे रिश्तेदार का पढ़ रहा है, मेरे पास केसेज आये कि हमारा बच्चा इंग्लिस्तान में पढ़ रहा है, उसको हमें कैश देना पड़ता है हर महीने। आप हमें मजबूर करते हैं कि हम जायदाद खरीदें, हम खरीदने के लिये तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है वह तकलीफ में है, हम एक शरणार्थी हैं, लड़के का २०० या ३०० रु० माहवार का खर्च है जो कि हम नहीं दे सकते। दो तीन बरस में उसकी तालीम खत्म हो जायेगी, उससे हमारे घर का नाम चलने वाला है, बूढ़े बाप के लिये सहारा हो सकता है। हम चाहते हैं कि उसके लिये कैश रुपया दे दो ताकि वह अपना तालीम खत्म कर ले। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो भी तकलीफजदा भाई हो, उसकी तकलीफ अगर हमसे दूर हो सकती है तो उसे करें। मैं उसके लिये कोई क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता, मैं क्या चीज हूं, आखिर, गवर्नमेंट है, पार्टी है, हिन्दुस्तान है, यह तमाम चीजें हैं। मैं तो कैबिनेट का एक अदना खादिम हूं। आप समझ लीजिये कि अगर कुछ नाम भी होता है तो हिन्दुस्तान का होता है, मेरी मिनिस्ट्री का होता है तो गवर्नमेंट का नाम होता है। अगर गवर्नमेंट का नाम होता है तो हिन्दुस्तान का नाम होता है पार्टी का होता है मेरा उस में क्या नाम है? यह ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके लिये मुझे कई दफा कहना पड़ता है कि जो इस में नाम करने की खातिर आता है उसके लिये बेहतर है कि वह इससे दूर रहे। इसमें नाम नहीं, इसमें शान नहीं, न इसमें आकर बाहर जाने का काम है, यहां तो हमेशा यहीं रहना होता है और हर रोज बातें सुननी होती हैं। आपने आज सुना उस दिन सुना, जम्हूरियत की शान देखिये कि मुखालिफ पार्टी में से तो कोई शख्स नहीं बोला, लोग बोले तो अपनी पार्टी के, जो कुछ कहा अपने चन्द भाइयों ने कहा। मैं तो जम्हूरियत की कद्र करता हूं, मुझे इससे क्या नाराजगी हो सकती है? अगर आज मेरे भाई अचिंत राम जी कुछ कहते हैं तो अपना समझ कर कहते हैं, अगर प्रोफेसर दीवान चन्द शर्मा कुछ जोर से बोलते हैं तो चूंकि उनके दिल में एक दर्द होता है इसलिये कहते हैं। इसलिये तो नहीं कहते कि उनका कुछ फायदा है, यह तो उन्हीं को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम कि उनका क्लेम क्या है, लाख या दो लाख, लेकिन जिसने अपनी जिन्दगी डी० ए० वी० कालेज को दी हुई हो उनकी जिन्दगी की सारी कमाई इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि उनके पास १८ या ३६ लाख की जायदाद जाने वाली हो। उनके पास कौन चीज जाने वाली है, लेकिन वह समझ रहे थे कि एक चीज जिसका मुल्क पर अच्छा असर हुआ था उसके बजाये गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज करने जा रही है जिससे बुरा असर होने वाला है। वह जो कुछ समझ रहे थे, एक भाई की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक शरणार्थी की हैसियत

से। मैं इस चीज की कद्र करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट का मकसद नहीं था, वह आप हमारे मुंह में कैसे डाल सकते हैं। उस रूल म वाजेह है कि जो माइनर है वह एक्स्क्लूडेड है, जो लीनिअल डिसेंडेंट है वह एक्स्क्लूडेड है। अब हमने यह रूल पास किया।

जब कम्पेसेशन रूल पास हुए २६ या २७ सितम्बर को, पहली दफा जब यह बात उठी, ऐडवाइजरी बोर्ड में उठी पिछली १८ या २० अक्तूबर को, मैंने नहीं उठाई, वहां से एक इशारा आया कि जो रूल बना है उसमें कुछ ऐम्बिगुइटी (द्वयर्थकता) है, तकलीफ सी है, इसके माने यह नहीं होते, इसके माने यह होने चाहिये। मेरे पास चिट्ठी आई। मैंने ला मिनिस्ट्री को कंसल्ट (परामर्श) किया कि मेरा मकसद तो यह था, उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह दुरुस्त है इस रूल के मुताबिक। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया . . . .

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या वह परामर्श सभा-पटल पर रखा जा सकता है? मंत्री महोदय विधि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परामर्श कृपया सभा-पटल पर रखें। इनका कथन है कि वित्त मंत्रालय ने यह राय दी थी।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि मैंने विधि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से परामर्श किया था और यह पर्याप्त है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन यह था कि हिन्दू ज्वायेंट फैमिली जो कि इंटेरिम स्कीम में एक यूनिट थी उसे कंसेशन दिया जाय। हमने उसको लिबरलाइज किया और कंसेशन दिया। मैं खुश हूं कि मैं कानून नहीं जानता, पंडित ठाकुर दास ने भी उसके ऊपर खुशी जाहिर की, मैं उनका मश्कूर हूं कि जो कानून बनाने वाले हैं, जिसका यह काम है, जिस मिनिस्ट्री ने यह रूल बनाया है, जिस मिनिस्ट्री ने यह अमेंडमेंटस भेजे हैं उसने कहा है कि जो तुम्हारा इंटरप्रेटेशन है, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन्स हैं, वे बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुझे लीगल चीज में जाने की कोई जरूरत नहीं। आखिर गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन भी तो होता है। मैं फ्रेजिआलोजी (शब्दावली) में नहीं जाना चाहता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं।

जो कुछ मैंने पहले कहा था वह भी वही है और जो कुछ आज कह रहा हूं वह भी वही है कि सिर्फ यह बात है कि जब ऐडवाइजरी बोर्ड से इशारा हुआ कि ऐम्बिगुइटी है तो मैंने कहा कि उसे क्लैरिफाई कर दिया जाय। मैंने खुद कुछ नहीं कहा। मेरी तरफ से जो कुछ आया वह आप भाइयों की तरफ से आया, ऐडवाइजरी बोर्ड से आया, और आपके कहने के ऊपर मैंने क्लेरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) की है। अब उनकी इच्छा है कि वह मेरी क्लेरिफिकेशन को पसन्द करें या न करें। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट की तरफ से यह कह सकता हूं कि जो हमारी इंटेन्शन है वह साफ है और हमने उसको साफ अल्फाज में दर्ज कर दिया है ताकि उसमें किसी किस्म की गलतफहमी न रहे।

अब बाकी सवाल रह जाता है हमारे भाई अचिंत राम जी का तथा हमारे डिप्टी स्पीकर का कि एक कमिटी बननी चाहिये। मैं तो यही कह सकता हूं कि कमिटी बनाइये, मुझे कोई इन्कार नहीं है। जो भी चाहे कमिटी को बना सकता है। जिस बड़े नेता को आप मिलेंगे, वह मेरे भी नेता हैं, और अगर वह कोई कमिटी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मुझे कोई इन्कार नहीं है। लेकिन जहां तक आज की पोजीशन का ताल्लुक है या जो एमेंडमेंट गवर्नमेंट की है, पंडित ठाकुरदासजी की हैं, और हमारे भाई राधा रमण जी की है, वे सब हाउस के सामने हैं और उन सबका आज ही फैसला होना है। बाकी अगर आप इसके लिये कोई कमिटी बनाते हैं और वह इस क्वेसचन को रिओपन करना चाहती है, तो इसका भी इस हाउस को अख्तियार है। आज एक चीज हो जाय कल दुबारा उसको रिओपन कर लेने का अख्तियार भी इस हाउस को है और मुझे इससे कोई इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैं साफ अल्फाज में कह चुका हूं कि हमारी इंटेन्शन तो बिल्कुल साफ है और यह इंटेन्शन आज भी वही है जो कि पहले थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मेहर चंद खन्ना]

इन अल्फाज के साथ मैं अपने भाई ठाकुर दास जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी एमेंडमेंटस को वापिस ले लें और जो राधा रमण जी की एमेंडमेंट है, मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। उसका मतलब जो कि ठाकुर दास जी ने दिया है वह नहीं है, उसका मतलब वह है जो कि मैंने दिया है। हम चाहते हैं कि उस आदमी के, जो कि मर चुका है, जो जा चुका है, खानदान को वही हक मिले जो कि उसके जिन्दा होते हुए मिलना था। यह साफ है कि मरे हुए के खानदान को उससे बैटर राइट नहीं मिल सकता जो कि अगर वह जिन्दा होता तो मिलता।

इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो एमेंडमेंट हैं उसके साथ जो श्री राधा रमण की एमेंडमट है उसको यह हाउस एक्सेप्ट कर ले और मैं पंडित ठाकुर दास जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह अपनी एमेंडमेंटस वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव और श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव एक साथ रख दूं ?

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : जैसी आपकी इच्छा हो किन्तु मेरा विचार है कि उन्हें अलग-अलग रखना श्रेयस्कर होगा क्योंकि वह भिन्न-भिन्न विषयों से सम्बन्धित हैं।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या १, २, ३, ५, ६, और ७ तथा श्री दी ०चं ०शर्मा के संशोधन संख्या ४ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि यह सभा संकल्प करती है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अनुसरण में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों—जिनमें ३० अप्रैल, १९५६ की अधिसूचना संख्या ११६१ द्वारा संशोधन किया गया था और २१ जुलाई १९५६ को सभा-पटल पर रखी गयी थी—के नियम १९ के उप-नियम (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाय :

"(3) For the purpose of calculating the number of members of a joint family under sub-rule (2), a person who on the relevant date :

(a) who less than eighteen years of age; or

(b) was a lineal descedant in the male line of another living member of the joint family; shall be excluded :

Provided that where a member of a joint family has died during the period commencing on the fourteenth day of August, 1947, and ending on the relevant date leaving behind on the relevant date all or any of the following heirs, namely—

(a) a widow or widows;

(b) a son or sons (whatever the age of such son or sons);

but no lineal descendant in the male line, than, all such hairs shall notwithstanding anything contained in this rule, be reckoned as one member of the joint family."

["(३) उप-नियम (२) के अन्तर्गत किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों की गणना करनें के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संगत तारीख को—

(क) १८ वर्ष से कम आयु का; या

(ख) संयुक्त परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य का सगोत्र वंशज नहीं गिना जायेगा :

†मूल अंग्रेजी में।

परन्तु शर्त यह है कि यदि संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की १४ अगस्त, १९४७ से लेकर संगत तिथि तक की अवधि में मृत्यु हो गयी है और उस संगत तिथि को उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारी रह गये हैं, अर्थात्

(क) विधवा अथवा विधवाएं;

(ख) लड़का अथवा लड़के (ऐसे लड़के या लड़कों की आयु कुछ भी क्यों न हो) परन्तु कोई भी सगोत्र पूर्वज न हो, तो इस नियम में किसी भी बात के होते हुए ऐसे सभी उत्तराधिकारी संयुक्त परिवार के एक ही सदस्य के रूप में माने जायेंगे ।"]

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संकल्प से सहमत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी भुगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

यह अपेक्षाकृत संक्षिप्त उपबंध है तथा यह कदापि नहीं विचार किया गया था कि इसमें इतना अधिक समय लगेगा । मुख्य अधिनियम में परिवर्तन करने के लिये प्रयत्नशील वर्तमान विधेयक लोक-सभा में दो वर्ष पूर्व ३० अगस्त, १९५४ को पुर:स्थापित किया गया था । विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव तथा उस पर चर्चा सभा में १६ नवम्बर, १९५४ को हुई थी और विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था । समिति की ग्यारह बैठकें हुईं तथा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और अब विधेयक जिस रूप में पुर:स्थापित किया गया प्राय: उसी रूप में सभा के समक्ष है ।

जो परिवर्तन किये जा रहे हैं वह दो विषयों से सम्बन्धित हैं । एक उस न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है कि यदि एक व्यक्ति जो किसी सरकारी भूगृहादि में किसी वैध पट्टेदार अथवा आवंटी की स्थिति में प्रवेश करता है तो उस मूल सम्बन्ध की समाप्ति पर भी वह आंवटी बना रहेगा । यह निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था । विधान मण्डल की कभी यह मंशा नहीं थी क्योंकि एक बार मूल सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर उक्त व्यक्ति निष्कासन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जाता है तथा वह संक्षेपत: निर्णय के बल पर, निष्कासित कर दिये जाने का पात्र है । इस मंशा का स्पष्टीकरण करने के लिये ही वर्तमान संशोधन रखा गया है ।

इस संशोधन के सम्बन्ध में तो कोई विवाद ही नहीं है ।

जिस अन्य संशोधन के सम्बन्ध में विमति टिप्पणी है, उसका उद्देश्य अधिनियम के सिद्धान्त को दिल्ली में सुधार प्रन्यास की इमारतों पर भी लागू करना है । यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में सदस्यों को पर्याप्त जानकारी है और उनको रुचि भी है इसलिये इस उपबन्ध के प्रति जिसका आशय सुधार प्रन्यास की इमारतों पर भी शीघ्र निष्कासन और सरकारी देय की तुरन्त वसूली करना है और इस प्रकार उन्हें अन्य सरकारी इमारतों के समक्ष रखना है, काफी रुचि दिखाई गई है । यह उपबन्ध जो कि सरकारी इमारतों तथा भूमियों पर लागू होता है परीक्षण से ठीक सिद्ध हुआ है और सरकार के पास इतनी अधिक भूमि और इमारतें होने के कारण यह ठीक ही है कि उनके प्रबन्ध के लिये उसको यह अधिकार होने ही चाहिये । जहां तक सुधार प्रन्यास की भूमि का सम्बन्ध है, यह अधिनियम उन पर लागू होता है । परन्तु

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जहां तक सुधार प्रन्यास की इमारतों का सम्बन्ध है मूल अधिनियम उन पर लागू नहीं होता था और इसलिये इस संशोधन के द्वारा उन्हें सरकारी इमारतों के समक्ष लाया जा रहा है ताकि सुधार प्रन्यास की इमारतों में से भी अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वालों को उसी प्रकार निकाला जा सके जैसे कि वह सरकारी इमारतें हों। प्रवर समिति में चर्चा के समय, और इस विधेयक को यहां पुर:स्थापित करते समय भी, इस विषय के सम्बन्ध में कई बातें कही गई थीं। अभी इस समय मैं उन सब के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ यही कहना चाहता हूं कि वे सुधार प्रन्यास के प्रशासन सम्बन्धी ब्यौरे के विषय ह। उन सभी बातों का सार यही है कि क्योंकि सुधार प्रन्यास माननीय सदस्यों की आशा के अनुसार अपने कृत्यों को निभाने में असमर्थ रहा है और इसलिये अब उसकी शक्ति में अग्रेतर विस्तार नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि किसी सार्वजनिक संस्था के कार्य-करण की आलोचना करने का यह ढंग बहुत सुसंगत हो सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक-सभा या प्रवर समिति में माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कही हैं, उन सभी पर यथायोग्य ध्यान दिया जायेगा और सुधार प्रन्यास के अधिकार में रहने वाली इमारतों में से लोगों का निष्कासन जब भी किन्हीं योजनाओं के कारण आवश्यक हो जायेगा, उस समय उन योजनाओं को कार्यान्वित करते समय प्रशासन पक्ष की ओर से उन पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

लेकिन इस प्रकार के वैज्ञानिक उपाय पर विचार करते समय अलग अलग व्यक्तिगत योजनाओं की जांच करना या प्रत्येक मामले या मामलों के प्रत्येक समूह के गुण-दोषों की विवेचन करना, शायद इस अधिनियम के क्षेत्र के कुछ बाहर ही होगा।

आलोचना की मुख्य धारा यही रही है कि इस विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत करते समय इसके प्रस्तावक नें जो आश्वासन दिये थे, उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। मतभेद हो सकते हैं और उन को अलग-अलग छांटा जा सकता है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि उन आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा चुका है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां तक इस वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है, अर्थात् इसका क्षेत्र सुधार प्रन्यास की इमारती सम्पत्ति पर अधिनियम के उपबंधो को लागू करने तक ही सीमित है सुधार प्रन्यास एक सार्वजनिक संस्था है। है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य पर्यवेक्षण और मार्ग-निर्देशन में दिल्ली राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। एक सार्वजनिक निकाय होने के कारण, सुधार प्रन्यास को भी संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा निष्कासित करने के वही अधिकार मिलने चाहिये जो कि सरकारी इमारतों के मामलों में लागू होते हैं। व्यवहारिक रूप से दोनों एक समान ही हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति होने के कारण, यह सामान्य जनता के हित में है, सामान्य करदाताओं और इससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति के हित में है कि ऐसी परिस्थिति में एक साधारण व्यवहारिक न्यायालय की पेचीदा प्रक्रिया का सहारा लेने के स्थान पर कोई संक्षिप्त कार्यवाही की जाये। वस्तुत: निष्कासित करने की इस शक्ति का प्रयोग उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में तो किया जायेगा जिस पर कि न्यायपूर्ण ढंग से सुधार प्रन्यास का अधिकार है। वे अनाधिकृत रूप से बसने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ही तो कार्यवाही करेगा। यदि संक्षिप्त कार्यवाही करने की यह शक्ति प्रन्यास के पास न हो, तो भी यह तो हो नहीं सकता कि उस सम्पत्ति पर वह अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले का अधिकार बना ही रहे। यदि सुधार प्रन्यास किसी साधारण व्यवहार न्यायालय में उस मामले को ले जाता है, तो वहां से भी निश्चय ही अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वाले व्यक्ति को निष्कासित करने का ही आदेश दिया जायेगा। तब क्या यह उन अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वाले व्यक्तियों के हित में भी नहीं है कि उन्हें व्यवहार विधि की इस विलम्बकारी और पेचीदा प्रक्रिया की जटिलता में फंसाया जाये, जिस से कि बहुत अधिक व्यय हो और परेशानी उठानी पड़े? व्यवहार न्यायालय के मामलों में तो यह होता ही है। इसलिये, केवल प्रशासन के हित में ही नहीं केवल सार्वजनिक संस्था के हित में ही नहीं, जिसकी स्थापना भी तो इसीलिये की गई है कि

इमारतों के नक्शों, रहन-सहन की परिस्थितियों, और अत्यावश्यक सेवाओं की व्यवस्था में सुधार किया जाये, बल्कि सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में भी यही है कि इस प्रकार की शक्ति सुधार प्रन्यास को प्रदान की जाये ।

इसके साथ ही साथ यह भी स्मरण रहना चाहिये कि सरकार पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिये और अच्छी तथा स्वच्छ रहन-सहन की परिस्थितियों की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से दिल्ली सुधार प्रन्यास को गंदी बस्तियां हटाने के मामले में सलाहत के लिये अेक परामर्शदाता निकाय स्थापित किया जायेगा वह गंधी बस्तियों से निष्कासित होनेवाले निवासियों को तथा संभव पास की ही बस्तियों में वैकल्पित स्थान देने का भी प्रयास करेगा । परामर्शदाता निकाय के कृत्यों के इस प्रबंध के साथ ही साथ अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वालों के भी हित में यही ठीक है कि व्यवहार न्यायालय में घसीटे जाने के स्थान पर इस में इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जाये ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : यह एडवाइजरी कमेटी (परामर्शदाता समिति) किसके मातहत होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परामर्शदाता निकाय किसी के भी मातहत नहीं रहेगा । वह सुधार प्रन्यास को परामर्श ही देगा ।

एक सुझाव यह दिया गया था कि वैकल्पिक स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में एक संविहित उपबन्ध भी इसमें होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि न्यायिक न्यायालयों में न्यायिक परीक्षा किये जाने योग्य इस प्रकार का कोई उपबन्ध जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे सारा कार्य रुक जायेगा और कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी । हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि गंदी बस्तियों को हटाने, सेवाओं की व्यवस्था करने और अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का यह कार्य कोई बड़ा सुखकारी कार्य नहीं है । व्यक्तियों के मूल गलत कार्यों को सामान्यत: भुला दिया जाता है और जनता की सहानुभूति हमेशा उसी व्यक्ति के साथ होती है जो वास्तव में कब्जा किये हुए होता है, फिर चाहे वह कब्जा अवैध और अनाधिकृत ही क्यों न हो । इसलिये, इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाहियां की जाती हैं, वे जनता की नजरों में बड़ी सख्त होती हैं और सामान्य अधिकारों के प्रवर्तन में भी कई प्रकार की बाधायें डाली जाती हैं ।

मकानों को पुन: बसाने, सेवाओं की व्यवस्था करने और वैकल्पिक स्थानों की व्यवस्था करना कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें बड़े ही श्रम और ब्यौरेवार कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है और न्यायिक तौर पर उनकी जांच पड़ताल भी नहीं की जा सकती है । एक बार हम यदि यह निश्चित कर दें कि व्यवहार न्यायालय उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, तो फिर प्रत्येक योजना वहीं रुक जायेगी और कोई भी वास्तविक प्रगति नहीं हो सकेगी । इस बात का आश्वासन देते हुए कि स्वास्थ्य मंत्री उपयुक्त अवसर पर इसका ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी, मेरा अनुरोध यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित इस सिद्धांत को, कि इस विधेयक को सुधार प्रन्यास के अधिकार में रहने वाली इमारतों तक विस्तृत कर दिया जाये हमें मान लेना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताब को, जिसे मैं लोक-सभा के विचार के लिये प्रस्तुत कर चुका हूं, प्रस्तावित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गाव) : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इसके सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा स्वास्थ्य मंत्री देंगी। अच्छा हो यदि वे भी इसी समय परामर्शदाता निकाय आदि के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस अवस्था पर हस्तक्षेप कर सकती हैं, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक को भी उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन में दिये गये सामान्य सिद्धान्त का सबन्ध है, सरकार अपने इस आश्वासन पर दृढ़ है। माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को देखते हुए यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो केवल उसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री हस्तक्षेप करेंगी।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : हम समूची योजना की एक पूरी तसवीर जानना चाहते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पता नहीं माननीय सदस्य का समूची योजना की एक दूसरी तसवीर से क्या तात्पर्य है। मैं इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं दे सकता कि कौन सी सड़क कहां होगी, और तीन मंजिली इमारतें होंगी या चार मंजिली। वह तो योजना का ब्यौरा तयार करने का विषय है। लेकिन सामान्य सिद्धान्त यही है कि इन मामलों के सम्बन्ध में सुधार प्रन्यास एक परामर्शदाता निकाय की सलाह लेगा। यह एक सिद्धान्त सम्बन्धी विषय है, और लोक-सभा द्वारा इस विधेयक के अनुमोदित किये जाने के शीघ्र बाद ही परामर्शदाता निकाय के कार्य-करण आदि से सम्बन्धित ब्यौरा तैयार किया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : एक परामर्शदाता निकाय स्थापित किया जायेगा, केवल यही जानना पर्याप्त नहीं है। हमें उसके कार्य-करण और कृत्यों के सम्बन्ध में भी बताया जाना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री अपना ब्यौरा भी प्रस्तुत कर दें।

लाला अचिंत राम : हमने देखा कि यहां पर ऐश्योरेंस दिया गया कि इसके लिये एक कमेटी बनेगी लेकिन दो, तीन वर्ष तक वह कमेटी बन नहीं पाई और जब वह बनी तो उसकी सिफारिशात को नहीं माना जाता है। अब यह चीज साफ हो जानी चाहिये कि कौन कमेटी बनायेगा और कौन उन पर अमल करायेगा और उसके वास्ते क्या मशीनरी होगी, इन सब बातों का हमें पता लगना चाहिये। हम सब मिनिस्ट्रों की इज्जत करते हैं लेकिन हमें लोगों में जो एक मायूसी की भावना है उसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिये और वह मायूसी क्यों है और उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में पता लगाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वास्थ्य मंत्री को जो कुछ कहना है, कहें।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : बहुत विशद ब्यौरा प्रस्तुत करना कुछ कठिन है।

सबसे पहले तो मैं इसके सम्बन्ध में हुई बैठकों और दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में कहूंगी। आश्वासन यही दिये गये थे कि दिल्ली सुधार प्रन्यास दिल्ली के नागरिकों की सलाह लेगा, उनकी सलाह लेगा जो यह जानते हैं कि गंदी बस्तियों के निवासी कहां रहते हैं, और उनकी सलाह लेगा जो शरणार्थी जनसंख्या से सम्बन्धित हैं। इसके पीछे यही दृष्टिकोण रहेगा कि हमें गंदी बस्तियों को हटाने के सभी मामलों में हमें गंदी बस्तियों के रहने वालों के लिये रहन-सहन की अधिक अच्छी परिस्थितियां जुटानी चाहिये, साथ ही यह भी कि हमें निष्कासित किये जाने वाले व्यक्तियों को उनके वर्तमान स्थान के यथासम्भव समीप की बस्तियों में ही वैकल्पिक स्थान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन चर्चाओं के होने के बाद से अब तक इस सम्बन्ध में काफी कार्य हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकार की स्थापना की जा चुकी है। उसके सदस्य भी नियुक्त किये जा चुके हैं, जिनमें दिल्ली राज्य के विकास मंत्री आदि हैं। अब सुधार प्रन्यास की ओर से भूमि की बिक्री नहीं की जा रही है। सुधार प्रन्यास का सभापति ही वास्तव में इस प्राधिकार का मंत्री (सचिव) है। गंदी बस्तियों को हटाने, और इमारतें बनाने की भी सभी योजनाओं के लिये इस निकाय की मंजूरी ली जानी आवश्यक है। यह निकाय बहुत ही प्रतिनिधित्य निकाय है, और साथ ही उसमें दिल्ली राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। इसलिये, अब परिस्थिति पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई है।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि बिना वैकल्पिक स्थान का प्रबन्ध किये किसी को भी निष्कासित नहीं किया जायेगा। बिना कोई वैकल्पिक स्थान दिये, हमने कभी भी किसी को निष्कासित नहीं किया है। आखिर यह तो स्पष्ट ही है कि यदि आप गंदी बस्तियों को हटाते हैं और वहां के वर्तमान १०,००० निवासियों के स्थान पर अब वहां स्वास्थ्य के मान-दंडों के अनुसार केवल ५,००० को ही निवास करने देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उन शेष ५,००० निवासियों को किसी अन्य स्थान पर भेजना पडेगा। गंदी बस्तियों हटाने, घनी बसी आबादी की इस समस्या को सुलझाने में कुछ लोगों को कुछ कष्ट तो होंगे ही लेकिन, हम यहा भरसक प्रयत्न करेंगे कि उनको यथासम्भव ऐसी बस्तियों में स्थान दिया जाये जहां वे अपनी जीविका कमा सकें और उनको कोई आर्थिक हानि न हो। मैं फिर कहती हूं कि सुधार प्रन्यास ने इस लोक-सभा में दिये गये किसी भी आश्वासन के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है। मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाती हूं कि इस दिल्ली विकास प्राधिकार में संसद के तीन सदस्य भी हैं। वे हैं---श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री नवल प्रभाकर और श्री कैलाश बिहारी लाल। इसलिये, इस समिति में संसद का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और ये प्रतिनिधि हमारी प्रत्येक कार्यवाही के सम्बन्ध में हमें सलाह देते हैं।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने माननीय सहयोगी---निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री---की ही बातों को ही दोहरा रही हूं। हम न न कभी अपने वचनों को तोड़ा है, न तोड़ने की हमारी कोई इच्छा है और न कभी हम भविष्य में तोड़ेंगे ही। मैं यह भी बता दूं कि हम दोनों ही पंजाबी हैं और शरणार्थियों के लिये हम दोनों मंत्री ही सब से अधिक चिन्तित रहते हैं। हम किसी भी प्रकार से शरणार्थियों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। मुझे आशा है कि इस आश्वासन को पाकर, और इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि सुधार प्रन्यास सरकार का एक संविहित निकाय है और इसलिये उसे भी सरकार की इन शक्तियों से सम्पन्न रहना चाहिये क्योंकि उनके बिना उसके कार्य-करण में बाधा पड़ेगी, और साथ ही मेरे और मेरे माननीय सहयोगी द्वारा दिये गये इस आश्वासन को भी देखते हुए, लोक सभा इस विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़---पश्चिम व जिला रायबरेली---पूर्व) : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्ना पूछना चाहता हूं।

जमुना बाजार की बस्ती में १०,००० व्यक्ति रहते हैं। अब उस भूमि को दिल्ली के धनी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है और वर्तमान निवासियों से उसे खाली करने के लिये कहा गया है। क्या सरकार को इसकी सूचना है? यदि उसे बेच दिया जाता है, तो वहां बड़े शानदार मकान बन जायेंगे जो कि अधिकतर किराये के लिये होंगे लेकिन वहां से निष्कासित होने वालों का क्या होगा?

कहा गया है कि सुधार प्रन्यास भूमि नहीं बेचता है। भूमि कोई भी बेचे इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। उस भूमि को खरीदने वाला भी अपनी इच्छानुसार ही निर्माण करायेगा। वहां के मूल निवासियों को अपने काम करने, जीविका कमाने के स्थान से दस या पन्द्रह मील दूर फेंक दिया जाता है। क्या ऐसा किया जाना उचित है? उनकी ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**लाला अचित राम** : मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद बहुत देर हो गई है। अब एक देहली डेवेलपमेंट प्राविजनल अथॉरिटी बन गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बनने के बाद कोई एडवाइजरी बोर्ड बनाने की जरूरत है या नहीं ? वह बनाई जायगी या नहीं और वह कब बनेगी ? क्या उसकी कोई डेट मुकर्रर की गई ह ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मुझे यही कहना है कि सुधार प्रन्यास द्वारा हाल में कोई भी भूमि नहीं बेची गई है।

†**श्री फीरोज गांधी** : बेचता कौन है, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वह भूमि बावा बचित्तर सिंह दिल्ली के एक मिल-मालिक को बेची गई है।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जहां तक मेरी जानकारी है, उस क्षेत्र में हमने किसी को कोई भी भूमि नहीं बेची है। सुधार प्रन्यास ने भी अभी हाल में बावा बचित्तर सिंह को कोई भी भूमि नही बेची ह। जहां तक इमारतों का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में बड़े कड़े विनियम हैं कि दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार की मंजूरी के बिना कहीं भी कोई इमारत नहीं बन सकती है। जहां तक मुझे याद ह यहां जिस भूमि का उल्लेख किया गया है वह सुधार प्रन्यास की भूमि है। यदि यह वही भूमि है कोई भी बिक्री नहीं की गई है।

मैं यहां यह भी बता दूं कि किसी से भी दस मील दूर जाने के लिये नहीं कहा जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का ध्यान उन छः या सात प्लाटों की ओर आकर्षित किया गया है जिनका सार्वजनिक रूप से नीलाम हुआ था, और वहां लोगों ने गीता भवन आदि बना लिये हैं।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : वह बहुत पहले किया गया था।

†**श्री फीरोज गांधी** : यही तो मुश्किल है। हर बात के लिये कह दिया जाता है कि वह तो बहुत पहले की बात है। वहां के निवासी अब क्या करे ? क्या वे पन्द्रह मील दूर रहने जायें ?

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : अजमेरी गेट में रहने वालों को सात मील दूर रमेश नगर, अन्धामुगल आदि बस्तियों में भेजा गया है, जहां उनकी जीविका के कोई साधन नहीं है।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : दस मील दूर किसी को भी नहीं भेजा जायगा न किसी को ऐसे किसी स्थान पर भेजा जायेगा जहां कि उसकी जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस क्षेत्र विशेष को एक खुली जगह—एक खुला पार्क—बनाया जाने के लिये रखा गया था; और उस स्थान पर इन व्यक्तियों ने ये कच्चे मकान अनाधिकृत रूप में बना लिये हैं। ये सभी अनाधिकृत रूप में बनाये गये मकान हैं। पर हमने उनके साथ सख्ती नहीं की है, और किसी को भी निकाला नहीं गया है। ये निवास-स्थान श्मशान घाट के बहुत ही समीप हैं, और, मेरे विचार में, स्मशान घाट एक पवित्र स्थान है और उसके आसपास किसी भी प्रकार के निवास-स्थान नहीं होने चाहिये। श्मशान भूमि के आसपास साफ खुला स्थान होना चाहिये। यह आदर्श है। किन्तु मैं पुनः इसके ब्यौरे पर विचार करने को पूर्णतः तैयार हूं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि कुछ शरणार्थी या कुछ संसद सदस्य, जिन्हें संसद् चाहे, स्वयं मेरे पास आकर मुझे इन सब स्थानों के बारे में, जहां शरणार्थी रहते हैं, मंत्रणा दें। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि भूमि बेची न जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फीरोज गांधी** : सभा के बाहर हमारी कोई परवा नहीं की जाती है।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : कई बार मैंने माननीय सदस्य को बुलाकर चाय पिलाई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री ने सभा में कहा है कि सदस्य गन्दी बस्तियों में जाकर उनके बारे में माननीय मंत्री को अपने सुझाव दें, तो वह उन पर विचार करेंगी। माननीय सदस्य उन्हें उचित उपाय बतायें, तो वह निश्चय ही उन्हें स्वीकार करेंगी।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं माननीय मित्र श्री फीरोजगांधी को आश्वासन देना चाहती हूं कि यदि इधर उधर किसी व्यक्ति को किसी भूमि के बेचे जाने का प्रश्न है, और धनी लोग वहां भवन बना रहे हैं तो मैं निश्चय ही ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि ऐसा हुआ है तो मैं इसकी पड़तालां करूंगी। यदि आवश्यकता हुई, तो जो मूल्य दिया गया था, उसी को देकर हम उसे ले लेंगे, और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ यह आश्वासन देती हूं कि निर्धन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से पीड़ित होने नहीं दिया जायेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस बात की पुष्टि कराउंगी कि हाल ही में कोई भूमि धनी लोगों को नहीं बेची गई है और जहां भूमि पहले बेच भी दी गई थी, वहां भी दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार की शक्तियों के अधीन अग्रेतर निर्माण कार्य रोक दिया गया है ताकि यदि इस भूमि को खुला स्थान रखा जाना अपेक्षित हो, तो वहां कोई इमारत बनने नहीं दी जायेगी। यदि यह धनी लोगों द्वारा उस भूमि के, जो वास्तव में गरीब लोगों के मकानों के लिये जानी चाहिये थी, ले लिये जाने का प्रश्न है, तो उसकी जांच की जायगी, यह मैं विश्वास दिलाती हूं।

†**श्री फीरोज गांधी** : जिन लोगों को वहां से हटाया जाये, उन्हें एक या दो मील के अन्दर कोई स्थान दिया जाना चाहिये।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : 'एक या दो मील के अन्दर' कहना मेरे लिये सदैव ही संभव नहीं है क्योंकि आसपास के क्षेत्र बहुत अधिक घने बसे हुए हैं, किन्तु मैं यह विश्वास अवश्य दिलाती हूं कि जब तक हम यह न देख लें कि वे लोग दूसरे स्थान पर अपनी आजीविका कमा सकते हैं, तब तक इन लोगों को हटाया नहीं जायेगा। मेरा सुझाव है कि यदि उनको पांच मील दूर भी भेज दिया गया तो मैं उनको वहां काम दिलाने का प्रयत्न करूंगी और यह आपत्ति नहीं रहेगी किन्तु यह सदैव संभव नहीं होता कि मैं एक या दो मील के अन्दर स्थान की व्यवस्था कर दूं। जिन लोगों को मेरी तरह दिल्ली के इर्द गिर्द सप्ताह में एक बार यह देखने के लिये जाना पड़ता है वे जानते ह कि जहां ये लोग रहते ह, वहां की अवस्था क्या ह। मुझ से अधिक दिल्ली के बारे में कोई नहीं जानता। मुझे हालात सुधारने हैं, उन्हें अधिक बिगाड़ना नहीं है।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : क्या माननीय मंत्री बता सकती हैं कि जिन लोगों को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा गया है क्या वे वहां अपनी आजीविका कमा सकते हैं? यही तो मुख्य बात है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : यह विधेयक समस्त भारत के लिये है, केवल दिल्ली सुधार प्रन्यास के बारे में नहीं है।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (बिलासपुर) : यह दिल्ली की उन्नति के लिये है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर मिलेगा।

†**लाला अचिंत राम** : क्या मंत्रणा समिति स्थापित की जा रही है और यह कब स्थापित की जाने को है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : दिल्ली विकास प्राधिकार के अन्तर्गत एक अन्तरिम योजना बनाई गई है और संसद् सदस्यों को इस योजना का मुक्त चित्र दिया जा रहा है। इससे उन्हें यह जानने का अच्छा अवसर मिलेगा कि दिल्ली का किस प्रकार से विकास होने वाला है, खुले स्थानों की किस प्रकार व्यवस्था की जा रही है, वे कहां रखे गये हैं और गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये क्या व्यवस्था की जाने को है।

अब मैं दो उदाहरण दूंगी। दिल्ली-अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियों के लोगों को अन्धा मुगल और करौल बाग में ले जाया गया था। यदि आप उन गन्दे क्वार्टरों की हालत देखें जहां से उनको निकाला गया है और उनके वर्तमान मकानों को देखें, तो आप को मालूम होगा कि अब वे प्रसन्न हैं। दूसरी योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत कुछ लोगों को झिलमिला तिहाड़पुर ले जाया गया है जहां और क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। हम इसका भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको वहां कारोबार मिले।

लाला अचिंत राम : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं। श्रीमती सुभद्रा जोशी।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (करनाल) : बार बार इस बात के बारे में बातचीत होती है, पर कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां के लोग बड़ी मुश्किल में हैं। बार बार मैं उसका जिक्र कर चुकी हूं, पर उसका कोई फैसला नहीं हुआ। उनमें से एक एरिया है जमुना बाजार की। ऐडवाइजरी कमेटी (मंत्रणाकार समिति) थी उसमें यह कहा गया कि जमुना बाजार एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी क्योंकि हमने कहा कि अगर किसी को भी वह जगह देनी है तो वहां के जो लोग हैं उनको प्रायरिटी (प्राथमिकता) देनी चाहिये। जब वहां कुछ मकान बने, एक या दो, तो कहा गया कि वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी और जो जमीन दे दी गई है वह वापस ले ली जायेगी, और जो मकान बने हैं वह गिरा दिये जायंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह मुमकिन नहीं है कि जो गरीब आदमी हैं उनको वहां से उठा दिया जाय और वहां से कहीं दूर पर फेंक दिया जाय। लेकिन गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है कि जो मकान बन गये हैं उनको गिरा दिया जायेगा, तीन मंजिला मकान वहां खत्म किये जायेंगे। बड़े-बड़े आदमियों को जिनको जमीन दे दी गई, कोई मकान उनको गिराया नहीं गया। कोई जमीन वापस नहीं ली गई, और जो गरीब आदमी वहां पर बैठे हैं, जो मकान बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, वह लोग हर मिनट इस इन्तजार में हैं कि कब उनको उठा कर बाहर फेंक दिया जाय। इसलिये मैं आपसे कहती हूं कि जो ऐश्योरेंस था अगर उसका आधा हिस्सा अमल में लाया जाय और आधा हिस्सा फाइनैन्सेज (वित्त) की दिक्कत से या और किसी दिक्कत से अमल में न लाया जाय तो इससे गरीब आदमियों का भी दिल दुखता है और बड़ी नाइन्साफी होती है। लेकिन जो कुछ मैंने कहा और प्रार्थना की, अगर वह मुमकिन नहीं है तो कम से कम उन आदमियों को जहां ले जाया जाय, वहां कोई पार्लियामेंट (संसद) का मेम्बर (सदस्य) जा कर देख ले। अगर वह कह दे कि वहां उन लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने पार्टी व्हिप्स को ले जाकर दिखलाया, मैंने अखबार में पढ़ा था कि हमारे स्पीकर साहब यमुना बाजार को देख आय हैं। मैं चाहती हूं कि वह जाकर यह भी देखें कि उन गरीब लोगों को कहां बसाया जा रहा है। फिर यह कहा गया कि इस मामले पर गौर किया जा रहा है, और वहां पर मकान उसी तरह से तेजी से बनते जा रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि वह इसी इन्तजार में बैठे हुए हैं कि कब उनको पुलिस उठाने आये। पहले इस बात का फैसला होना चाहिये कि वहां पर जाकर वह कुछ काम कर सकते हैं या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस विषय में रुचि रखने वाले सदस्यों और मंत्रियों के बीच हो रही चर्चा को हमने सुना। विधेयक को पढ़ने के पश्चात मैंने यह अनुभव किया कि एक शरारतपूण विधेयक है और इसका प्रभाव केवल दिल्ली पर ही न रह कर दूर तक पड़ेगा।

खंड ४ में यह कहा गया है कि यह दिल्ली राज्य और दिल्ली सुधार प्रन्यास में निहित इमारतों पर लागू होगा। परन्तु प्रस्तुत किये गये संशोधन में उस मंत्रणा समिति का कोई उल्लेख नहीं है जिसका कि प्रवर समिति में उल्लेख किया गया था। मैं आपके समक्ष सार्वजनिक स्थान की परिभाषा रखना चाहता हूं। परिभाषा में कहा है कि कोई भी भूगृहादि जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया हो अथवा पट्टे पर ले लिया है एक सार्वजनिक स्थान समझा जायेगा। साथ ही दिल्ली सुधार प्रन्यास द्वारा किराये पर दिये गये भूगृहादि को भी सार्वजनिक स्थान ही माना जायेगा।

एक और बात की भी व्यवस्था है। यदि कोई स्थान पुनः किराये पर उठाया जाय तो 'अवैध कब्जे' की परिभाषा तो सामान्य कानून के विचार को परे फेंक देती है। एक दम सम्पत्ति हस्तान्त्रण अधिनियम के सभी सिद्धान्तों को ठुकराया जा रहा है। इस अधिनियम में व्यवस्था ह कि नोटिस दिया जाना चाहिए और इस नोटीस की अवधि भाटकिता काल ही में समाप्त होनी चाहिये। अन्यथा नोटिस किसी अवधि विशेष के लिए होना चाहिए। परन्तु इन सब चीजों को छोड़ दिया गया है। मैं यह नहीं समझ सका कि एक बार आप किसी व्यक्ति को एक स्थान का वैध काबिज मानते हैं वह भाटकिता समाप्त होने पर भी वैध काबिज ही रहेगा। क्योंकि आप उसे डाक द्वारा नोटिस ही तो देंगे। क्या पता उसमें कोई गड़बड़ी हो जाये अथवा कोई अड़चन आ जाये। क्योंकि इस सुधार प्रन्यास की इतनी शिकायतें आ रही है कि आदमी तंग हो जाता है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति अपने मकान में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसकी भी आज्ञा नहीं दी जाती है। एक जाली और जाफरी तक भी नहीं बनाने दी जाती है। परन्तु जो व्यक्ति दस से ५० रुपये तक खर्च करके कोई अनाधिकृत इमारत बना लेता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है क्योंकि नियम के अनुसार जिस इमारत को बने छः मास हो जायें उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह अवस्था है कानून की।

अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वालों की भाटिकता समाप्त करने के लिए १५ दिन का नोटिस दिया जाता है। संभव है कि नोटिस मिले ही नहीं परन्तु प्राधिकारी पूरी पुलिस की शक्ति के साथ वहां जाते हैं और इमारत खाली करने पर उसे मजबूर कर देते हैं। उसका सामान सड़क पर फेंक कर इमारत पर कब्जा कर लिया जाता है। बात यह है कि साधारण नागरिक में और सरकार में इस बात में कोई विभेद नहीं होना चाहिये। यदि भारतीय नागरिक इस प्रकार किरायेदार को निकाल कर अपने मकान पर कब्जा नहीं कर सकता है तो सरकार को भी ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए। आपात काल की बात समझ में आ सकती है, परन्तु यहां तो आपात काल का कोई प्रश्नही नहीं। आप तो सरकार के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए ही कानून बना रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये, सरकार और साधारण नागरिक में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये।

उपरोक्त कारणों से ही मैं 'अवैध कब्जे' की नयी परिभाषा को इस कानून की शरारतपूर्ण व्यवस्था कहता हूं। इससे जनता को कुछ लाभ नहीं होगा। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य का नाम बदनाम होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सम्पूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह एक संशोधक विधेयक है और इसका क्षेत्र सीमित है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरी प्रार्थना है कि 'अनाधिकृत कब्जा' सम्बन्धी व्यवस्था बड़ी शरारतपूर्ण है, और इस सम्बन्ध में बम्बई उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया था। एक बार यदि सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गये तो दूसरी शरारत आरम्भ होगी। अनाधिकृत कब्जे की कोई निश्चित व्याख्या नहीं है जो मन में आयेगी वही किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का सुझाव क्या है ? यदि किसी को कुछ समय के लिये रहने की आज्ञा दे दी जाय और उसके बाद पट्टा रद्द कर दिया जाय और वह व्यक्ति वहीं रहता रहे तो यह अनाधिकृत कब्जा है। इस सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह ठीक है कि यह अनाधिकृत कब्जा है, परन्तु प्रश्न यह है कि **विधिवत** प्रक्रिया के अनुसार काय किया जाना चाहिये। यदि नियमित रूप से भाटकिता रद्द की जाये तो उस अवस्था में किसी व्यक्ति के निकाले जाना समझ में आता है। परन्तु यदि आप अनाधिकृत कब्जे का अर्थ ऐसे ही ले और सरकार को १५ दिन के नोटिस के बाद व्यक्ति को निकाल फेंकने का अधिकार दे दें, तो यह उचित नहीं है। लिखित नोटिस देने में भी शरारत की जायेगी। अतः हमारा कर्तव्य है कि इस शरारत से लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार के अधिकारों का सरकार को दिया जाना जनहित के विरुद्ध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रकार के नियम नहीं बनाये जा सकते कि उचित नोटिस दिये बिना किसी को नहीं निकाला जाना चाहिए ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : परन्तु कठिनाई यह है कि अधिनियम में इसके विपरीत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को प्रक्रिया को निश्चित करने का अधिकार तो होना ही चाहिए।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : कार्यपालिका प्राधिकार को सभी अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम में कहा गया है कि १५ दिन के नोटिस के बाद जिसके भी कब्जे में मकान होगा उसको खाली करना होगा। जो आप कहते हैं कि यदि उसका उपबन्ध हो जाय तो हम सहमत हो जायेंगे। यदि सरकार को स्थान की आवश्यकता हो तो बात दूसरी है परन्तु सामान्य अवस्था में इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है।

यदि हम संशोधन करना ही चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है, कि हमें केवल दिल्ली पर ही केन्द्रित नहीं रहना चाहिये। यह सारे भारत पर लागू होना चाहिए, इसलिये तो मैं निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति ने इसे केवल दिल्ली और शरणार्थियों पर लागू करके अच्छा नहीं किया। शायद उनका विचार ऐसा ही हो परन्तु दिल्ली से बाहर के लोग भी इससे बच नहीं सकेंगे और सारे भारत भर में लोगों को इस विधेयक से कष्ट होगा।

†**श्री नि० बि० चौधरी** (घाटल) : प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह विधेयक बड़ा सीधा, सरल और छोटा सा है। परन्तु सदस्यों के विचारों से पता चलता है कि यह ऐसा नहीं है। जिन पर इस विधेयक का प्रभाव पडना है उनके लिये इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। प्रवर समिति के सभापति की रिपोर्ट से पता चलता है कि यद्यपि विधेयक १६ नवम्बर, १९५४ को समिति को सौंपा गया था, परन्तु इसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष ३१ अगस्त, १९५५ को उपस्थापित की गई। आठ महीने लगे और इस बीच समिति के माननीय सदस्य दिल्ली के विभिन्न भागों में गये। झंडेवालान, और दिल्ली-अजमेरी गेट की गंदी बस्ती को भी देखा। परन्तु इतना समय लगाने के बावजूद भी समिति ने विधेयक में एक दो शब्दों में परिवर्तन करने के अतिरीक्त और कुछ नहीं किया। आशा तो यह थी कि इतना समय लगाने के पश्चात प्रवर समिति कुछ अच्छे परिवर्तनों का सुझाव देगी। क्योंकि विवादस्पद मामलों में प्रवर समिति से ऐसी ही आशा की जाती है। खेद का विषय है कि उन लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिये कोई परिनियत व्यवस्था नहीं की गयी है जिन पर कि विधेयक को लागू किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिभाषा के क्षेत्र में वृद्धि कर दी गयी है और कहा गया है कि यह परिवर्तन कुछ एक अदालतों के निर्णयों के कारण किया गया है। अब 'सार्वजनिक स्थान' की आड़ ले कर बिना नोटिस के ही लोगों को घरों से निकाला जा सकेगा। 'अनाधिकृत कब्जे' के सम्बन्ध में मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने काफी कुछ कहा। परन्तु प्रश्न तो मानवता का है। कौन नहीं चाहेगा कि गन्दे स्थानों की सफाई की जाये और हमारे नगरों का विकास योजना बद्ध हो, और उनमें सुन्दर और अच्छे मकान हों। जो लोग इन गंदी बस्तियों में रहते भी हैं, वह प्रसन्न थोड़े ही है। कौन गन्दगी में रहना चाहेगा। इन गन्दे इलाके में अच्छे मकानों के बनने में रुकावट डालने का यह प्रश्न नहीं है। यह तो उन लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है जो कई वर्षों से वहां दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

हम सरकार को अथवा दूसरे निकायों को भी बहुत अधिकार दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री चाहे कुछ भी क्यों न कहें परन्तु इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का इतिहास तो सबको मालूम है। बिरला समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है; हम जानते हैं कि किस प्रकार मामूली दामों पर भूमि लेकर कितने ऊंचे मूल्यों में बेची गयी है। यह भी पता ही है कि किस प्रकार लोगों को हटा कर मीलों दूर फेंक दिया गया और उनकी रोजी भी छिन गयी। इन हालात में सरकार कैसे आशा कर सकती है कि हम बिना संशोधन के इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे। लोगों के भय को दूर करने की कोई संविहित व्यवस्था होनी चाहिये, मौखिक बातों से काम नहीं चलता है। किसी परामर्शदाता समिति की भी बात कही गयी है, परन्तु अभी तक उसका सारा विवरण नहीं दिया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि नजदीक ही कोई वैकल्पिक स्थान देने के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है, जिससे कि निष्कासित व्यक्ति अपने कारबार से वंचित न हो जायं। इस प्रकार की सूचना सदन के समक्ष नहीं रखी गयी है, इसलिए इसी रूप में हम विधेयक को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

जमुना बाजार, अजमेरी गेट आदि इलाकों का उल्लेख किया गया है। इन इलाकों में लोग शोचनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि सरकार ने उन्हें वैकल्पिक स्थान न दिया, जहां से वह नगर में रोजी कमाने आ सकें, तो बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें सड़क पर तो नहीं फेंक दिया जाता है। यही बढ़ई, मोची, राज आदि ही तो सुन्दर नगरों को बनाया करते हैं, और हमारी सरकार का तो लक्ष्य ही समाजवादी समाज की स्थापना है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर एक विभिन्न दृष्टिकोण से ही विचार किया जाना चाहिए। इन स्थानों पर रहने वाले यह लोग नागरिकों की अच्छी सेवा कर रहे थे, परन्तु उनके पास घर नहीं थे, इस कारण उन्होंने इन स्थानों पर कब्जा कर लिया था। जब हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को मानवीय दृष्टिकोण से हल करना होगा और जिस प्रकार एक दम निष्कासित कर देने की व्यवस्था यहां की गयी है उससे काम नहीं चलेगा।

दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अधिकार देने की बात कही गयी है। यह कहा गया है कि यह अधिनियम केवल दिल्ली ही के लिये नहीं है। यह समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं, कलकत्ता की भी यही समस्या है। वहां इस प्रकार से गंदी बस्तियों को साफ करने का कुछ विरोध किया गया था और उस काम को स्थगित कर देना पड़ा था। गंदी बस्तियों के साफ किये जाने की बात का तो हम स्वागत करते हैं परन्तु जिस ढंग से इसे आरम्भ किया गया है वह ठीक नहीं है। यदि हम नगरों में अच्छे घर बनाना चाहते हैं तो इस समस्या को सब बातों का ध्यान रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हल करना होगा।

दिल्ली में सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकार की नियुक्ति करनी चाहिए और यह जिम्मेदारी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर नहीं छोड़नी चाहिए। गंदी बस्तियों को साफ करने और नये मकान बनाने की जिम्मेदारी स्वयं सरकार को लेनी चाहिए। जिन पर इस योजना का प्रभाव पड़े उन्हें बाद में इन घरों की अनुमति दी जायें और अभी उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान नजदीक ही दिया जाय जिससे कि उन्हें रोटी कमाने में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही हम इस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं।

लाला अचित राम : इस बिल के मुताबिक बोलते वक्त मेरे दिल पर यह असर हुआ कि दो मिनिस्टर साहबान जिनका कि इस बिल से ताल्लुक है और जिनके लिये कि मेरे दिल में बड़ी इज्जत है क्या कहूं और क्या न कहूं, क्योंकि उनके मुताल्लिक ही मुझे इस मौके पर अर्ज करना है और मुझे बैलेंस करना पड़ रहा है कि क्या कहूं और क्या न कहूं, सच बोलूं और कुछ कहूं या चुप लगा जाऊं लेकिन मजबूर होकर कुछ तो कहना ही पड़ता है ।

अभी सवाल तो यह दरपेश है कि देहली की जो इम्प्रूवमेंट एथारिटी (सुधार प्राधिकार) है उसको जो पावर्स दी जा रही हैं वह पावर्स उनको दी जानी चाहिये कि नहीं दी जानी चाहिये । अब चूंकि अपनी गवर्नमेंट है और वह अगर पावर्स मांगे तो यह कुछ अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि हम उसमें कुछ हील हुज्जत करें लेकिन क्या किया जाय लाचारी है और हमारी मसल तो वही बन रही है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है । अभी मिनिस्टर साहब ने दलील दी कि यह पावर्स जिनके बरखिलाफ इस्तेमाल की जायेंगी, वे उनके भले के लिये हैं । अब यह दलील उनकी ठीक हो भी सकती है लेकिन यह कैसे मानी जा सकती है । यह तो वही दलील देना हुआ कि एक आदमी जिसको कि फांसी की सजा हो चुकी है उसके वास्ते कहा जाय कि उसको आगे सेशन जज (सत्र न्यायाधीश) और हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) में अपील करने का हक न हो क्योंकि बेकार में वक्त और रुपया दोनों उसका बर्बाद होगा और इन वास्ते फौरन उसको फांसी की सजा दे दी जाय और मैं समझता हूं कि समरी पावर्स (संक्षिप्त शक्तियां) अच्छी हैं, इस दलील को कोई कबूल नहीं कर सकता । अपील करने में चाहे उसको मुसीबत क्यों न आये और खर्चा भी करना पड़े, इस समरी पावर्स की दलील को अच्छा नहीं समझ सकता-और इस वास्ते इस दलील को कबूल करना मुश्किल पड़ रहा है । कबूल तो उनको पांच मिनट बाद ही हो जाना है और आज नहीं तो कल वे कबूल कर ली जायेंगी और हम सब उसके लिये अपने हाथ उठा कर देंगे और वह चीज यहां हाउस से पास हो जायंगी लेकिन उसके साथ ही हम अपने मिनिस्टरों को जिनके लिये कि हमारे दिल में बड़ी इज्जत है यह बतला देना चाहते हैं कि हम क्यों इस पर ऐतराज उठाते हैं । हमारे गाडगिल साहब ने यहीं हाउस के वायदे किये और हमें उनके मुताल्लिक पूरा भरोसा था कि वे अपना वायदा पूरा करेंगे और उन्होंने हाउस में यह ऐलान किया कि वे अपने हर एक वर्ड को औनर करेंगे लेकिन उस ऐलान के दूसरे ही दिन हमने देखा कि मकानात गिरना शुरू हो गये । हम गाडगिल साहब के पास गये और उनसे कहा तो वे बोले कि हम ठीक कर देंगे लेकिन हमने देखा कि वह १०, २० दिन तक नहीं हो पाया और मामला यूं ही लटका रहा लेकिन चूंकि एलेक्शन नजदीक थे इसलिए डिमालिशन का काम उस वक्त आगे के लिये रोक दिया गया ।

पटेल नगर में जो मकानात तोड़े गये उनके रहने वालों को माकूल आलटरनेटिव एकोमोडेशन (वैकल्पिक आवास) का क्या इंतजाम किया गया और उसके बारे में हमें बहुत तल्ख तजुर्बा है ।

अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐश्योरेंसेज दिये गये थे उनको तोड़ा नहीं गया है । अब मैं आपको बतलाऊं कि यहां पर हमारे भूतपूर्व मावलंकर साहब के हुक्म से एक ऐश्योरेंस कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने इस बात की जांच पड़ताल की कि यहां हाउस में गवर्नमेंट द्वारा जो वायदे किये गये थे उन पर अमल हुआ या नहीं हुआ । वह कमेटी आपके हुक्म से बनी, आपकी मर्जी के मुताबिक बनी और उसने इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से इस बात को कहा कि ऐश्योरेंसेज (आश्वासन) को तोड़ा गया और उन पर अमल नहीं हुआ । मैं तो उस कमेटी में नहीं था लेकिन मुझे भी इस बात में कोई शबहा नहीं है कि ऐश्योरेंसेज को तोड़ा गया । पटेल नगर के अन्दर बने हुए मकानों को गिराया गया.....

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे डिपार्टमेंट ने कोई मकान नहीं गिराये । उनको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वे नहीं गिराया ।

लाला अचिंत राम : मैं इसमें कोई फर्क नहीं देखता कि किस मुहकमे नें उनको गिराया, आखिर सब सरकारी मुहकमे भाई भाई हैं।

अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जो हम आपको एश्योरेंसेज देंगे उन पर हम कायम रहेंगे, अभी सरदार साहब ने कहा कि हम ऐडवाइजरी कमेटी बनायेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको बतलाया था कि एश्योरेंस कमेटी (आश्वासन समिति) जिसको कि बनाने की बात थी वह महीने दो महीने नहीं बल्कि पूरे दो, तीन साल तक असली रूप में सामने नहीं आई और उसके बाद चार साल गुजर गये तब मुझे नोटिस आया कि आप कमेटी के मेम्बर हैं। अब उनसे पूछा जाय कि चार साल तक वे कहां रहे तो वे फरमायेंगे कि आपके बगैर काम चलता ही रहा तो इस तरह की बातें वहां पर चलती हैं। आप का एक शब्द यह कह देना कि यमुना के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है और अब तो देहली इम्प्रूवमेंट एथारिटी (सुधार प्राधिकार) बन गई है मुझे दिलासा नही दे सका क्यों कि हमारा पिछला तजुर्बा इस बारे में बहुत मायूसकुन रहा है और हमारी राजकुमारी जी ने और तो सब बातें बतलाई लेकिन इस बारे में साफ-साफ नहीं बतलाया कि कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी और अगर बनेगी तो कब बनेगी केवल यह कहा है कि हां कमेटी बनेगी और मैं उनके इस ऐलान का स्वागत करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके लिये कोई तारीख तो मुकर्रर करें कि दस दिन में या बीस दिन में वह कमेटी बन जायेगी।

यह चन्द एक बातें मुझे अर्ज करनी थीं। मुश्किल की बात तो यह है कि जिन मिनिस्टर साहबान के खिलाफ मैं बोलने पर मजबूर हुआ वे हमारे बुजुर्ग हैं और उनके लिये हमारे दिल में बड़ी इज्जत है और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि क्या कहें और क्या न कहें। अधिक न कह कर मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों की दशा दूध का जला जैसे छांछ फूंक-फूंक कर पीता है, वैही हो रही है। म यह मानता हूं कि आप की बात देखने में तो बहुत स्वागतयोग्य है और मीठी है लेकिन फिर हमारे दिल में शक होने लगता है कि कहीं पहले की तरह इन ऐश्योरेंसेज को भी तोड़ न दिया जाय। इसलिए कृपा करके हम जो आप पर विश्वास करने जा रहे हैं उसको किसी तरह से आंच न आने दीजियेगा और उन पर कायम रहियेगा।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम): सभा के एक सदस्य ने सरकार अथवा दिल्ली सुधार न्यास को **बेदखली** सम्बन्धी विस्तृत शक्तियां प्रदान करने का विरोध किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियां हटाने के सिद्धान्त दिये गये हैं और उनमें कहा गया है कि गंदी बस्तियों के निवासियों को जगहों से कम से कम हटाया जाये और उन्हें कहीं अथवा पास ही के स्थानों में बसाया जाये ताकि उनका व्यवसाय नष्ट न हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि अब छः बज गये हैं, माननीय सदस्य कल भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, २३ अगस्त १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २२ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

नियम समिति की कार्यवाही का सारांश सभा-पटल पर रखा गया . १२५९

७ अगस्त, १९५६ को हुई नियम समिति की बैठक की कार्यवाही का सारांश सभा-पटल पर रखा गया ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १२६०

खानों को पट्टे पर देने के (शर्तों में रूपभेद) नियमों, १९५६ का प्रारूप सभा-पटल पर रखा गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १२६०

उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

याचिका का उपस्थापन १२६०

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने मोटर गाड़ी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में एक प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की ।

सदस्य की नजरबन्दी . . . १२५९, १२६०-६२

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें अहमदाबाद के द्वितीय न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधीश से १८ अगस्त, १९५६ का एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि संसद-सदस्य श्री अ० क० गोपालन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और १८० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप के परिणामस्वरूप १७ अगस्त, १९५६ को निरुद्ध कर लिया गया है ।

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१-५२ . . . . १२६२–७३

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ पर चर्चा आरम्भ हुई तथा मांगों की पूरी-पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १२७३–१३०३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५६ पर, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११६१, दिनांक ३० अप्रैल, १९५६ द्वारा और आगे संशोधित रूप में रूपभेद करने के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त हुई तथा श्री राधा रमण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

[दैनिक संक्षेपिका]

पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन १३०३–१५

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सरकारी भगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि —

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में और आगे चर्चा तथा नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में चर्चा।